भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)

भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उसके अन्तर्गत बने नियम एवं संशोधन वनों, वनोपज के अभिवहन, इमारती लकड़ी और अन्य वनोपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से सम्बद्ध विधि के समेकन के लिए अधिनियम।

वनोपजों के अभिवहन और इमारती लकडियों और अन्य वनोपज पर उग्रहणीय शुल्क से (सम्बद्ध) विधि का समेकन करना समीचीन है। अतः एतत् निम्नलिखित रूप में वह अधिनियिमत किया जाता है-

सार संग्रह : तात्पर्य - इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पूर्व भारत में भारतीय वन विधान 1878 प्रभावशाली था। इस अधिनियम के बनने के उपरान्त इसके चार संशोधनों, जो 1890, 1901, 1918 एवं 1919 में हुए, का एकीकरण किया गया है। विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों का प्रकाशन भारतीय राजपत्र 1926 खण्ड 5 पृष्ठ 165 में दिया गया है।

मध्यप्रदेश शासन के विधि तथा विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्र. 12023-XX-I-अ (वि. सं. 74) दिनांक 12 जून, 1974 द्वारा "दी इण्डियन फारेस्ट एक्ट" का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (क्रमांक 19, वर्ष 1963) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्राधिकृत हिन्दी पाठ म. प्र. राजपत्र भाग 4 (ख) दिनांक 28-5-76 पृष्ठ सं. 441 आदि पर सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है।

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धारा 1 - संक्षिप्त नाम व विस्तार - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "भारतीय वन अधिनियम, 1927" है।

(2) इसका विस्तार उन राज्य क्षेत्रों को छोड़कर, जो प्रथम नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग 'ख' (Part B) राज्यों में समाविष्ट थे सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उन राज्य क्षेत्रों को लागू है, जो प्रथम नवम्बर 1956 के ठीक पूर्व बिहार, बम्बई, कुर्ग, दिल्ली, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तरप्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में समाविष्ट थे। कोई भी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम को, पूर्ण राज्य में या उसके किसी विशिष्ट भाग में, जिस पर इसका विस्तार है, पर वहाँ यह प्रवर्तन (Force) में नहीं है, प्रवर्त्तन में ला सकेगी।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश विधान क्र. 23, वर्ष 1958 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) धारा (1) के खण्ड (2) के अंत में निम्न प्रतिस्थापित :

- 'मध्यप्रदेश राज्य के मध्य भारत एवं सिरोंज क्षेत्र छोडकर'

(ख) नवीन उपधारा (3) प्रतिस्थापित।

(3) इसका विस्तार मध्यप्रदेश राज्य के मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल एवं सिरोंज क्षेत्र पर भी किया जाता है।

यह नियम भारत के संविधानीय परिवर्तन के फलस्वरूप एडाप्टेशन लॉ आर्डर 1937, 1950, 1956 में सम्मिलित (Adapt) किया गया।

तदनुसार यह अधिनियम मध्यप्रदेश की रियासतों में दिनांक 25 फरवरी, 1973 से प्रभावशील हुआ।

[G.S.R. 42 (E) दिनांक 1 फरवरी, 1973]

धारा 2 - निर्वचन खण्ड - इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरूद्ध न हो :

(1) "पशु" के अन्तर्गत हाथी, ऊँट, भैंस, घोडे, घोडियाँ, खस्सी पशु, टट्टू, बछेडे, बछेडियाँ, खच्चर, गधे, सुअर, भेडें, भेडियां, मेमने, बकरियाँ, और बकरियों के मेमने हैं।

(2) "वन अधिकारी" (Forest Officer) "वन अधिकारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार से सशक्त अधिकारी द्वारा किये गये इस अधिनियम के, सब या किसी, प्रयोजन को पूरा करने के लिये, अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन वन अधिकारी द्वारा किये जाने के लिये आपेक्षित कोई बात करने के लिए नियुक्त करे।

टिप्पणी

वन अधिकारी को वन-भूमि के अतिक्रामकों को ऐसी अतिक्रमित भूमि को पट्टे पर देने या तत्संबंध में समझौता करने का अधिकार नहीं है। (रतनसिंह राजपूत वगै. वि. म.प्र. राज्य वगे 2012 (3) म.प्र.लॉ.ज. 173 खंडपीठ, म.प्र.)

(3) "वन अपराध" (Forest Offence) से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभिप्रेत है।

टिप्पणी

"कत्था" एवं "कुच्च" वन उपज की परिभाषा अंतर्गत सन्निहित हैं। (म.प्र. राज्य वि. सेल्स एजोन्सीज 2005 (1) विधि भास्वर 163 (सु.को.) = A.I.R. 2004 S.C. 2088 = 2004 क्रि.लॉ.ज. 1832 = 2004 = सु.को. के (क्रि. 1313)।

(4) "वनोपज" के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुएँ :

(क) निम्न वस्तुएँ भले ही वन में पाई जावे, वन से लाई गई हों या नहीं यथा

अर्थात् इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कुचुक, खैर, लकड़ी का तेल, राल (resin), [1](सैलक (Shellac), गोंद), प्राकृतिक वार्निश, छाल, लाख, महुआ फूल, महुआ बीज, [2](तेन्दू पत्ता), कुथ (Kuth) और हर्रा, बहेड़ा, आँवला (myrobolans) हैं।

(ख) निम्नलिखित जब वन में पाई जावे अथवा वन से लाई जावें तब :

(i) वृक्ष और पत्ते, फूल एवं फल और वृक्षों के इससे पूर्व अवर्णित सब अन्य भाग एवं उपज,

(ii) वे पौधे जो वृक्ष नहीं हैं और जैसे पौधों के सब भाग व उपज या घांस, बेलें नरकुल, काई सहित,

---

1. म.प्र. राज्य संशोधन नियम क्र. 9 वर्ष 1965 द्वारा जोड़ा गया।
2. भारतीय वन (म.प्र. संशोधन) अधि. 1989 (1 वर्ष 1990) के द्वारा तेन्दू पत्ता म. प्र. (असाधारण) गजट दिनांक 10.1.90 को प्रकाशित से जोड़ा गया)

(iii) वन पशु, पशु की खालें, हाथी दांत, सींग, हड्डियाँ, रेशम, रेशम के कोए, शहद और मोम तथा पशुओं के सब अन्य भाग एवं उत्पादन,

(iv) पीट (peat) सतही मिट्टी (Surface soil), चट्टान (rock) एवं खनिज (minerals) जिसमें चूने के पत्थर, लेटराइट (लाल मुरूम), खनिज तेल और खानों (mines) एवं खदानों से प्राप्त मिनरल आईल एवं तेलीय पदार्थ सम्मिलित हैं।

[1](4-क) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति के बारे में प्रतिपाल्य अधिकरण आता है जो ऐसे अधिकरण के अधीक्षण या भार साधन में हैं।

(5) "नदी" के अन्तर्गत कोई सरिता (Stream) नहर (Canal), क्रीक या अन्य धारा (Channel) है। चाहे प्राकृतिक अथवा क्रत्रिम (Artificial) हो।

(6) "इमारती लकड़ी" के अन्तर्गत वृक्ष आते हैं जो गिर गये हों या गिराये गये हों और समस्त लकड़ी, जो किसी प्रयोजन के लिये काटी गई हो (Cut up), फैशन की गई हो (Fashioned) या खोखली की गई हो (Hollowed) या न की गई हो।

(7) "वृक्ष" के अन्तर्गत ताड़, बाँस, ठूँठ, झाड़ी, और बेंत प्रजाति सम्मिलित हैं।

नोट : (1) इस अधिनियम में 'वन' शब्द की परिभाषा नहीं दी है। प्रथम बार 'वन' शब्द की व्याख्या खण्डपीठ नागपुर (A.I.R. Nagpur), लक्ष्मण इच्छाराम वि. वन मण्डलाधिकारी, रायगढ़ के प्रकरण में परिभाषित की गई है जो निम्न है :

'वन' ऐसे भूखण्ड जो वृक्षों एवं छोटे वृक्षों आच्छादित हों, या ऐसा वृक्षों वाला भूखण्ड, जो वन प्राणी शिकार के लिये हो, या बिना काश्त की जंगली जमीन हो।

नोट : (2) वन अधिकारी (Forest Officer) भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक (Public Servant) है।

[2]नोट : (3) नर्मदा विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी समकक्ष वन अधिकारी हैं।

नोट : (4) चन्दन तेल वन उपज है। खुशबू इन्टरप्राइज एवं अन्य (सर्वोच्च न्यायालय वि. केरल सरकार (28.5.93)

---

1. भारतीय वन संशोधन अधिनियम (3) वर्ष 1933 के अन्तर्गत प्रति संस्थापित
2. म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्र. ष-5-खखख-84 दस-3 के अन्तर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के वन संरक्षक, वन मण्डलाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल, उपवन क्षेत्रपाल, वनरक्षक को समकक्ष क्षेत्रीय वन अधिकारी नियुक्त किया।

अध्याय 2

आरक्षित वनों के सम्बन्ध में

धारा 3 - वनों को आरक्षित करने की शक्ति - राज्य सरकार ऐसी किसी वन भूमि या पड़त भूमि (Wasteland) जो सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सम्पत्ति के अधिकार हैं, या जिसकी वनोपज की पूरी अथवा किसी भाग की सरकार हकदार है, इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से आरक्षित वन बना सकेगी।

टिप्पणी - इस धारा में वन भूमि तथा पड़त भूमि शामिल है, चाहे वह किसी के कब्जे में हो, लेकिन अन्य भूमि तभी इसके अन्तर्गत आवेगी जब वह किसी के मालिकाना, कब्जे में न हो (1980 All LJ NOC 77)।

धारा 4 - राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना - जब किसी भूमि को आरक्षित वन (Reserved Forest) बनाने का निश्चय कर लिया गया हो तब राज्य सरकार राजपत्र में निम्न आशय की अधिसूचना जारी करेगी -

(क) यह घोषणा करने वाली कि यह विनिश्चित किया गया है कि ऐसी भूमि को आरक्षित बनाया जावेगा।

(ख) ऐसी भूमि की स्थिति एवं सीमा को यथा-सम्भव विनिर्दिष्ट करने वाली।

(ग) ऐसी सीमाओं में समाविष्ट किसी भूमि में, या भूमि पर या किसी वन उपज में या वन उपज पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के अधिकारों के दावों की जाँच एवं
अवधारण करने के लिये और उनके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने के लिये जैसी इस अध्याय में उपबन्धित है, अधिकारी जिसे इसमें या इसके पश्चात् "वन व्यवस्थापन अधिकारी" (Forest Settlement Officer) कहा गया है को नियुक्त करने वाली।

स्पष्टीकरण

(1) खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिये यह पर्याप्त होगा कि वन की सीमाये मार्गों नदियों पुलों या अन्य सुविदित एवं सहज समझी जाने वाली सीमाओं से वर्णित की जावें।

(2) उपधारा 1 के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी सामान्यतः ऐसा व्यक्ति होगा जिसने वन विभाग के अन्तर्गत वन व्यवस्थापन अधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य वन पद (Forest Officer) नहीं धारण कर रखा हो।

(3) इस धारा की कोई बात, राज्य सरकार को, इस नियम के अधीन अधिकतम तीन तक अधिकारी वन व्यवस्थापन अधिकारी का कर्त्तव्य पालन करने हेतु नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी जिसमें अधिकतम एक अधिकारी "वन अधिकारी" भी हो सकता है।

धारा 5 - अधिकारों के प्रोद्भूत होने का वर्जन - धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त, ऐसी अधिसूचना में समाविष्ट भूमि में, या भूमि पर, कोई अधिकार, उत्तराधिकार के जरिये या सरकार द्वारा या ऐसे व्यक्ति या उसकी ओर से जिसमें ऐसा अधिकार निहित था, जबकि अधिसूचना निकाली गई थी, लिखित रूप में दिये गये अनुदान या की गई संविदा के अधीन वर्जित होने के सिवाय, अर्जित न होगा, न ही राज्य शासन द्वारा बनाये नियमों के अतिरिक्त ऐसी भूमि में कृषि या अन्य प्रयोजन के लिये कटाई, वनों की सफाई की जा सकेगी।

टिप्पणी धारा 5 : धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये नियमों के अतिरिक्त उक्त वन में लकड़ी कटाई अथवा वनों की सफाई धारा 26 (1) के अन्तर्गत वन अपराध (Forest Offence) है, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो।

धारा 6 - वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उद्घोषणा - धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने के उपरान्त वन व्यवस्थापन अधिकारी सम्बन्धित भूमि के आस-पास बसे समस्त ग्रामों में, स्थानीय भाषा में, निम्न उद्घोषणा प्रकाशित करावेगा -

(क) प्रस्तावित वन की स्थिति एवं सीमाओं को यथा सम्भव विनिर्दिष्ट करने वाली।

(ख) ऐसे वन के आरक्षण होने पर एवं उसके पश्चात् होने वाले परिणामों तथा उपबन्धों की व्याख्या एवं जानकारी देने वाली सूचना।

(ग) ऐसी घोषणा करने की तारीख से कम से कम तीन माह की अवधि नियत करने वाली तथा धारा 4 या 5 में वर्णित किसी अधिकार का दावा करने वाले हर व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली कि वह वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष ऐसे अधिकार के स्वरूप का, और उसके सम्बन्ध में दावाकृत प्रतिकार के परिमाण और विशिष्टियों का विनिर्दिष्ट करने वाली लिखित सूचना ऐसी कालावधि में प्रस्तुत करे या उपस्थित होकर कथन करे।

टिप्पणी (1) : यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी ने पड़त भूमि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का आक्षेप निरस्त कर दिया है तथा कलेक्टर ने वन अधिनियम की धारा 17 के अधीन अपील निरस्त कर दी है और ऐसी निरस्त अपील के विरूद्ध कोई निगरानी नहीं प्रस्तुत की गई हो तो व्यवहार न्यायालयों (Civil Courts) को उस भूमि का मुआवजा दिलाने का अधिकार नहीं है (देखें महालक्ष्मी बैंक लि. वि. बंगाल प्रान्त (ए. आई. आर. 1942 कलकत्ता पृष्ठ 371)।

टिप्पणी (2) उपधारा (ग) : के अन्तर्गत केवल वे ही व्यक्ति अधिकार का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं जिनका उस भूमि पर सूचना प्रकाशन की तिथि को अधिकार था। धारा 4 के अन्तर्गत सूचना प्रकाशन के उपरान्त (Assignee) इस धारा के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करने का हक नहीं है। इस परिस्थिति में Limitation Act की धारा 5 का भी लाभ नहीं मिलेगा। (1981, All LJ NOC 23)

धारा 7. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जाँच - वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 6 के अधीन दिये गये अधिकार के दावे से सम्बन्धित वादों की सुविधाजनक स्थान पर जाँच करेगा इसके अतिरिक्त, उन अधिकारों की, जो धारा 4 एवं 5 में वर्णित हैं, या शासकीय अभिलेखों में उपलब्ध है अथवा जिनकी जानकारी ऐसे व्यक्तियों के कथनों से जिन्हें अधिकारों का ज्ञान है, लेकिन धारा 6 के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत नहीं हुआ है परन्तु उनसे प्राप्त कर उनकी भी जाँच सुविधाजनक स्थान पर करेगा।

धारा 8. वन व्यवस्थापन अधिकारी की शक्तियाँ - ऐसी जाँच के प्रयोजन के लिये वन व्यवस्थापन अधिकारी निम्न शक्तियों का उपयोग कर सकेगा - अर्थात् -

(क) किसी भूमि पर, स्वयं या इस प्रयोजन के लिये अपने द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को, प्रवेश करने सर्वेक्षण करने (To Survey), सीमांकन करने (Demarcate) या उसका नक्शा बनाने की शक्ति और

(ख) वादों के विचारण में सिविल न्यायालयों की शक्तियाँ।

धारा 9. अधिकारों का निर्वापन - वे अधिकार, जिनका दावारा धारा 6 के अधीन नहीं किया गया है और जिनके अस्तित्व की जानकारी धारा 7 के अन्तर्गत की गई जांच द्वारा नहीं मिली है, जब तक कि उन अधिकारों का दावा करने वाला व्यक्ति, वन व्यवस्थापन अधिकारी का समाधान कि धारा 6 के अधीन नियत कालावधि के अन्दर ऐसा दावा न कर सकने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, धारा 20 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित होने के पूर्व नहीं कर देता, निर्वापित (extinct) हो जावेंगे।

नोट I . यदि भूमि धारा 3 के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है, तब दावा करने वाले ने समयावधि में दावा नहीं किया है तो भी उनके दावे निर्वापित नहीं होंगे। (उत्तर प्रदेश राज्य वि. महन्त अवधनाथ A.I.R. 1977, All. 129)

धारा 10. स्थानान्तरी खेती (Shifting Cultivation) की पद्धति सम्बन्धी दावों का निराकरण -

(1) वन व्यवस्थापन अधिकारी स्थानान्तरी खेती की पद्धति (Shifting Cultivation) से सम्बन्धित दावे की अवस्था में दावेदारों का कथन लिपिबद्ध करेगा जिनमें बाद का विवरण हो तथा उस नियम या आदेश का विवरण प्राप्त करेगा, जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की खेती प्रचलित है, तथा यह कथन एवं विवरण अपनी राय सहित, जिसमें यह स्पष्ट करेगा कि इस पद्धति की अनुमति दी जावे या पूर्णतः अथवा अंशतः प्रतिबन्धित की जावे, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्य सरकार उस कथन एवं राय के प्राप्त होने पर, इस पद्धति को पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात या निषिद्ध करने वाला आदेश दे सकेगी।

(3) यदि ऐसी पद्धति पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात की जाती है तो वन व्यवस्थापन अधिकारी :

(क) बन्दोबस्त वाली भूमि की सीमायें इस प्रकार बदल दें कि इस पद्धति की खेती हेतु उचित प्रकार की, आवश्यक मात्रा (Suficient extent), में तथा वादियों के लिये सुविधाजनक स्थान की भूमि दावदारों के लिये अपवर्जित हो जावे, या

(ख) बन्दोबस्त वाली भूमि के कतिपय प्रभागों का पृथक् से सीमांकन (Demarcation) कराकर और उसमें ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित करे, स्थानान्तरी खेती की पद्धति के लिये दावेदारों को अनुज्ञा देकर उसके प्रयोग का प्रबन्ध कर सकेगा।

(4) उपधारा 3 के अधीन किये गये सब इन्तजाम राज्य सरकार की पूर्व मन्जूरी के अधीन होंगे।

(5) स्थानान्तरी पद्धति से खेती के सम्बन्ध में यह समझा जावेगा कि यह ऐसा विशेषाधिकार है जिसे राज्य सरकार नियन्त्रित, निर्बन्धित, और उत्सादित कर सकती है।

धारा 11. ऐसी भूमि को अर्जित करने की शक्ति जिस पर अधिकार का दावा किया गया है - वन व्यवस्थापन अधिकारी किसी भूमि से या पर ऐसे किसी अधिकार विषयक किये गये दावे की दशा में, जो मार्ग अधिकार, चराई अधिकार, वनोपज सम्बन्धी अधिकार या जल मार्ग सम्बन्धी अधिकार से भिन्न है, उसे पूर्णतः या भागतः मन्जूर या खारिज करने वाला आदेश देगा।

(2) यदि ऐसा दावा पूर्णतः या अंशतः मंजूर किया जाता है तो व्यवस्थापन अधिकारी या तो :

(i) ऐसी भूमि को प्रभावित वन की सीमाओं से अपवर्जित (exclude) करेगा या -

(ii) ऐसे अधिकारों के अभ्यर्पण (surrender) के लिये स्वामी से करार (Agreement) करेगा।

(iii) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा उपबन्धित रीति से ऐसी भूमि को अर्जित करने की कार्यवाही करेगा।

(3) ऐसी भूमि को इस प्रकार अर्जित करने के लिए :

(क) वन व्यवस्थापन अधिकारी की बावत यह समझा जावेगा कि वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन कार्यवाही करने वाला कलेक्टर है।

(ख) दावेदार के बारे में यह समझा जावेगा कि वह उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन दी गई सूचना के अनुसार उसके समक्ष हाजिर होने वाला हितबद्ध व्यक्ति है।

(ग) इस अधिनियम की पूर्ववर्ती धाराओं के उपबन्धों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है, और

(घ) दावेदार की सम्मति से, या न्यायालय दोनों पक्षकारों की सम्मति से भूमि के रूप में या भागतः भूमि और भागतः धन के रूप में प्रतिकर कलेक्टर के अधिकार अनुसार अधिनिर्णित कर सकेगा।

धारा 12. चराई या वन उपज पर के दावों के अधिकारों के सम्बन्ध में आदेश - चराई या वन उपज पर अधिकारों से सम्बद्ध दावे की दशा में वन व्यवस्थापन अधिकारी उन्हें पूर्णतः या अंशतः मंजूर या खारिज करने वाला आदेश पारित करेगा।

टिप्पणी - (धारा 12) माननीय उच्च न्यायालय ने म. प्र. बीकली नोट्स 1978, पार्ट 1, क्रमांक 342) हर्रा व्यापारी संघ वि. म. प्र. राज्य में यह निर्णय प्रदान किया है कि राज्य शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह धारा 12 के अन्तर्गत वनोपज का निवर्तन किसी भी रीति से कर सकता है।

धारा 13. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा तैयार किये जाने वाले अभिलेख - वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 12 के अधीन कोई आदेश पारित करते समय निम्नलिखित को यथासाध्य अभिलिखित करेगा -

(क) अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, जाति, निवास, उपजीविका, और

(ख) उन सब खेतों या खेतों के समूहों (यदि कोई हों) का नाम, स्थिति और क्षेत्रफल तथा उन सब भवनों के (यदि कोई हों) नाम और स्थिति, जिनके विषय में अधिकारों का दावारा किया है।

धारा 14. जहां दावा मंजूर किया गया है वहां अभिलेख - यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 12 के अधीन किसी दावे को पूर्णतः या अंशतः मंजूर कर लेता है, तो वह उन पशुओं की संख्या और विवरण, जिन्हें दावेदार समय-समय पर वन में चराने का हकदार है, वह ऋतु जिसके दौरान ऐसा चराना अनुज्ञप्त है, उस इमारती लकड़ी और अन्य उपज का परिमाण जिसे वह समय-समय पर लेने या प्राप्त करने के लिये अधिकृत है, और ऐसी अन्य विशिष्टयाँ जैसी उस मामले में अपेक्षित हों, विनिर्दिष्ट करके यह भी अभिलिखित करेगा कि कहाँ तक दावा इस प्रकार मंजूर किया गया है। वह यह भी अभिलिखित करेगा कि दावाकृत अधिकारों के प्रयोग द्वारा प्राप्त इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज बेची जा सकेगी या वस्तु विनिमय की जा सकेगी या नहीं।

धारा 15. मंजूर किये अधिकारों का प्रयोग - वन व्यवस्थापन अधिकारी ऐसे अभिलेख तैयार करने के पश्चात् अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार और जिस आरक्षित वन के सम्बन्ध में दावा किया गया है, उनको बनाये रखने का सम्यक ध्यान में रखते हुए, ऐसे आदेश पारित करेगा जिससे इस प्रकार मंजूर किये गये अधिकारों का निरन्तर प्रयोग सुनिश्चित हो जावे।

(2) वन व्यवस्थापन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए :

(क) इस प्रकार आरक्षित किये जाने वाले वन खण्ड के अतिरिक्त कोई दूसरा पर्याप्त विस्तार वाला और युक्तियुक्त रूप में सुविधाजनक स्थान में स्थित वन खण्ड को ऐसे दावेदारों के प्रयोजन के लिये उपवर्णित कर सकेगा, और इस प्रकार मंजूर किये विस्तार तक यथास्थिति चराई या वन उपज का अधिकार प्रदान करने वाला आदेश पारित कर सकेगा।

(ख) प्रस्तावित वन की सीमाओं को इस प्रकार बदल सकेगा कि दावेदारों के प्रयोजनों के लिये पर्याप्त विस्तार की और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान की वन भूमि अपवर्जित (exclude) हो जावे।

(ग) ऐसे दावेदारों को, यथास्थिति, चराई या वन उपज के अधिकार ऐसे मन्जूर किए विस्तार तक, आदेशित ऋतु में, तथा प्रस्तावित वन के ऐसे प्रभागों के अन्दर, और ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जावें, चालू रखने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा।

धारा 16. अधिकारों का रूपान्तरण (Commutation) - यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी, आरक्षित वन को बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखकर धारा 15 के अन्दर ऐसे व्यवस्थापन करना असम्भव पाता है जिससे इस प्रकार मन्जूर किये गये विस्तार तक उक्त अधिकारों का निरन्तर प्रयोग सुनिश्चित हो जाता है, तो वह ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जिसे राज्य सरकार इस निमित्त बनावें, उसके बदले में ऐसे व्यक्तियों को धनराशि के संदाय द्वारा, या भूमि के अनुदान द्वारा, या किसी अन्य रीति से, जिसे ठीक समझता है, ऐसे अधिकारों रूपान्तरण कर सकेगा।

धारा 17. धारा 11 धारा 12 धारा 15 एवं धारा 16 के अधीन पारित आदेशों के विरूद्ध अपील - ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया है, या कोई वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारणतः या विशेषतः सशक्त अन्य व्यक्ति, दावे पर धारा 11, धारा 12, धारा 15 या धारा 16 के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास के अन्दर ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व विभाग के कलेक्टर से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी के समक्ष कर सकेगा जिसे राज्य सरकार ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील की सुनवाई के लिये राज्य-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे :

परन्तु राज्य सरकार एक न्यायालय, जिसे इसमें इसके पश्चात् वन न्यायालय (Forest Court) कहा गया है, स्थापित कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी और जब यह न्यायालय स्थापित हो जावे तब वैसी सब अपीलें उसके समक्ष प्रस्तुत की जावेंगी।

नोट : (1) मध्य प्रदेश शासन ने अधिसूचना क्रमांक 1028-3769-10-64 जो मध्य प्रदेश राज्य पत्र भाग 1 दिनांक 20-11-64 पृष्ठ 2765 में प्रकाशित है, धारा 17 के अधीन अपने क्षेत्रों में जिलाध्यक्ष (Collector) को अपील सुनने के लिये प्राधिकृत किया है।

टिप्पणी 1. (धारा 17) वन अधिनियम की धारा 17 के अधीन कलेक्टर को अपील सुनने हेतु अधिकृत किया है तो कलेक्टर "परसोना डेजिगनेटा" (Persona Designeta) है देखें ए.आई.आर. 1967 इलाहाबाद 472, इलाहाबाद लॉ जर्नल 1967 ।

यदि ऐसी अपील के अधिकार कलेक्टर को सौंपे गये हैं तो केवल कलेक्टर स्वयं ही अपील सुन सकता है।

टिप्पणी 2. इस धारा के अन्तर्गत अपील करने हेतु वन अधिकारी (Forest Officer) को भी प्राधिकृत किया है और वही अपील मेमो पर हस्ताक्षर करेगा। ऐसा वह राज्य शासन की ओर से कर रहा है। (उ.प्र. शासन वि. डिस्ट्रिक्ट जज, फैजाबाद एवं अन्य, AIR 1971, Allahabad 229)

धारा 18, धारा 17 के अधीन अपील (1) धारा 17 के अधीन हर अपील लिखित अर्जी द्वारा दी जायेगी और वन व्यवस्थापन अधिकारी को दी जावेगी जो उसे सुनवाई के लिये सक्षम अधिकारी को भेज देगा।

(2) यदि अपील धारा 17 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी के समक्ष की जावे तो भू-राजस्व से सम्बद्ध मामलों में अपील की सुनवाई के लिये विहित रीति से उसकी सुनवाई की जावेगी।

(3) यदि अपील वन न्यायालय (Forest Court) के समक्ष की जावे, तो न्यायालय, अपील की सुनवाई के लिये कोई दिन, तथा प्रस्तावित वन के आसपास ऐसा सुविधाजनक स्थान, नियत करेगा और इसकी सूचना पक्षकारों को देगा और तद्नुसार ऐसी अपील की सुनवाई करेगा।

(4) अपील पद, यथास्थिति, ऐसे अधिकारी द्वारा, न्यायालय द्वारा या ऐसे न्यायालय के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित आदेश, केवल राज्य शासन के पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

धारा 19, अधिवक्ता (Pleaders) - राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया है, इस अधिनियम के अधीन जांच या अपील के दौरान वन व्यवस्थापन अधिकारी, अपील अधिकारी या न्यायालय के समक्ष हाजिर होने, अभिवचन करने (Plead) और अपनी ओर से कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

धारा 20. प्रस्तावित वन को "आरक्षित वन" (Reserved Forest) घोषित करने की अधिसूचना -

(1) जब कि निम्नलिखित घटनायें घटित हो गई हों, अर्थात् -

(क) जबकि दावा करने के लिए धारा 6 के अधीन नियत कालावधि समाप्त हो गई हो तथा धारा 6 एवं 9 के अधीन सब दावों का (यदि कोई हों) वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया गया हो।

(ख) यदि ऐसे दावे किये गये हों तो ऐसे दावों पर वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील करने के लिए धारा 17 द्वारा परिसीमित कालावधि समाप्त हो गई हो और कालावधि में प्रस्तुत की गई सभी अपीलों का निपटारा अपील अधिकारी या न्यायालय ने कर दिया हो, और

(ग) जबकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित की जाने वाली सब भूमियाँ (यदि कोई हों) जिन्हें धारा 11 के अन्तर्गत वन व्यवस्थापन अधिकारी ने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (Land Acquisition Act, 1984) के अधीन अर्जित करने के लिये चुना है, उस अधिनियम की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार में निहित की गई हो।

तब राज्य सरकार परिसीमन सीमा-चिन्हों के अनुसार या अन्यथा उस वन की जिसे आरक्षित किया जाता है, सीमाओं को परिनिश्चित रूप से विनिश्चित करने वाली अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से उसे आरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना "राजपत्र" में प्रकाशित करेगी।

(2) ऐसा वन इस प्रकार नियम तारीख से आरक्षित वन (Reserved Forest) समझा जावेगा।

[1]धारा 20-अ-वन भूमि या पड़त भूमि आरक्षित वन माने जावेगें - इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावशील कोई अन्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे भारतीय राज्य की सीमा के अन्तर्गत की वन भूमि (Forest Land) या पड़त भूमि (Waste Land) उन राज्यों के किसी एकिकृत राज्य (Integrated State) में विलय होने की तिथि से और अब उस राज्य का भाग होने से इस धारा में अन्यत्र "संविलयित राज्य" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा (Merger Territories) -

(i) संविलयन (Merger) की तिथि (1.11.56) के ठीक पूर्व उस समय प्रचलित किसी कानून, रीति-रिवाज (Custom), नियम, अधिनियम, आदेश या अधिसूचना के अधीन जिस भूमि को सम्बन्धित राज्य शासन के "आरक्षित वन" (Reserved Forest) के रूप में मान्यता दी हो, या

(ii) कथित तिथि के ठीक पूर्व किसी प्रशासकीय रिपोर्ट में समाविष्ट, या किसी कार्य आयोजन (Working Plan) के अनुसार या किसी रजिस्टर में अभिलिखित (Recorded in Register) या रजिस्टर के अनुसार मान्य ओर कथित तिथि के बाद भी जा उस रूप में मानी गई है।

---

1. मध्य प्रदेश अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 की धारा 20 (अ) प्रतिस्थापित

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये "आरक्षित वन" (Reserved Forest) माने जावेंगे।

(2) प्रश्नास्पद सीमा में प्रभावशील इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई नियम, आदेश या अधिसूचना के अभाव में किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के विपरीत होते हुए भी उपधारा (1) में वर्णित कोई विधान, रिवाज, नियम, विनियम, आदेश या अधिसूचना विधिवत् प्रभावशील उसी तरह माने जावेंगे जैसे कि वे नियम, आदेश, अधिसूचना इस नियम के अन्तर्गत ही बनाये गये हैं और वे तब तक प्रभावशील रहेंगे जब तक कि उन्हें निरस्त, परिवर्तन या सुधार विधिवत् न किया जावे।

(3) उल्लिखित कोई रिपोर्ट, कार्य आयोजना या पंजी या उसमें कोई प्रविष्टि के सम्बन्ध में विवाद, व्यवहार न्यायालय में पस्तुत नहीं किया जा सकेगा, बशर्ते कि राज्य शासन यह प्रमाणित न कर दें कि कथित रिपोर्ट, कार्य योजना या पंजी, कथित शासक के प्राधिकार के अन्तर्गत विलयन की तिथि के पूर्व तैयार किया गया है और उसके बाद राज्य शासन द्वारा उनके प्राधिकार के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है और अविरत एवं प्रचलित है।

(4) संविलयित राज्य सीमा में ग्राम वन, संरक्षित वन या आरक्षित वन के अतिरिक्त अन्य कोई, किसी नाम से ज्ञात या स्थानीय नाम से ज्ञात मान्यता प्राप्त वन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित वन (Protected Forest) माने जावेंगे और उपधारा (2) एवं (3) के अन्तर्गत यथा आवश्यक परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) प्रभावित होंगे।

स्पष्टीकरण 1. कार्य योजना (Working) से तात्पर्य कोई कार्य-योजना (Plan) परियोजना (Scheme), प्रोजेक्ट (Project), नक्शे (Maps), चित्र (Drawings) एवं अभिन्यास (Layouts) से है जो वन के कार्य, या प्रबन्ध के दौरान कार्यवाही को सम्पन्न करने के लिये तैयार किये गये हों।

स्पष्टीकरण 2. शासक (Ruler) से तात्पर्य संविलयन की तिथि से पूर्व दरबार प्रशासन से है और स्टेट गवर्नमेंट (State Government) से तात्पर्य कथित तिथि के बाद उत्तराधिकारी शासन से है।

स्पष्टीकरण 3. एकीकृत राज्य से तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (15) में भारतीय राज्य का जो अभिकथन है, वही अर्थ होगा।

स्पष्टीकरण 4. एकीकृत राज्य से तात्पर्य मध्य प्रदेश राज्य, राजस्थान, मध्य भारत राज्य, विन्ध्य प्रदेश और भोपाल राज्य जो 1.11.56 के पूर्व विद्यमान थे, होगा।

नोट - आरक्षित वन में वन अपराध होने पर उसका न्यायालय में चालान करते समय "आरक्षित वन" प्रमाणित करने के लिए धारा 20 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना आवश्यक होती है। (अब्दुल वहाव वि. राज्य, MPLJ 1963 SN 37)

[(1969) 35 Cut. LT पृष्ठ 343]

(1970)-36 Cut. LT 395

धारा 21. ऐसी अधिसूचना के अनुवाद का वन के आस-पास के ग्रामों में प्रकाशन - ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तिथि के पूर्व, वन अधिकारी, इस अधिसूचना का स्थानीय भाषा में अनुवाद कराकर वन के आसपास के हर नगर एवं गाँव में प्रकाशित करावेगा।

धारा 22. धारा 15 या 18 के अधीन किये गये प्रबन्ध का पुनरीक्षण करने की शक्ति - राज्य सरकार, धारा 15 या 18 के अधीन किये गये किसी प्रबन्ध का पुनरीक्षण धारा 20 के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन के पांच वर्ष के अन्दर कर सकेगी। धारा 15 या 18 के अधीन किसी आदेश को इस प्रयोजन के लिये विखण्डित (Resuned) या रूपान्तरित (Modify) कर सकेगी और निर्देश दे सकेगी कि धारा 15 में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों में से कोई कार्यवाही ऐसी कार्यवाहियों में से किसी अन्य के बदले में की जावे या धारा 12 के अधीन मन्जूर किये गये अधिकारों का धारा 16 के अधीन रूपान्तरण (Commute) किया जावे।

धारा 23. आरक्षित वन में कोई अधिकार इसमें उपबन्धित रीति के अनुसार अर्जित होने के सिवाय अर्जित नहीं होगा - आरक्षित वन में या उस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार, केवल उत्तराधिकार द्वारा या सरकार द्वारा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, जिसमें ऐसा अधिकार धारा 20 के अधीन जारी अधिसूचना के समय निहित था, या उसकी ओर से दिये गये अनुदान या की गई लिखित संविदा के अधीन अर्जित किये जाने के सिवा, अर्जित नहीं होगा।

टिप्पणी

वन-भूमि के अतिक्रामकों को पट्टे पर देने की शक्ति राज्य शासन को नहीं है। वह इस संबंध में समझौता करने की शक्ति भी नहीं रखती है। (रतनसिंह राजपूत वगै. वि. म.प्र. राजय वगै. 2012 (3) म.प्र.लॉ.ज. 173 (खण्डपीठ, म.प्र.)।

धारा 24. बिना स्वीकृति अधिकारों का अन्य संक्रामण (Alienated) न किया जावेगा - धारा 23 में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई अधिकार जो धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन चालू रखा गया है, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अनुदान द्वारा, विक्रय द्वारा, पट्टे बन्धक (Mortage) या अन्यथा अन्य संक्रान्त न किया जावेगा।

परन्तु जब कि ऐसा कोई अधिकार किसी भूमि या गृह से अनुलग्न (Appended) है तब वह ऐसी भूमि या गृह के साथ बेचा या अन्य संक्रान्त किया जा सकता।

(2) ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में अभिप्राप्त कोई इमारती लकड़ी या वन उपज, उस मात्रा तक के सिवाय जो धारा 14 के अधीन आदेश में मंजूर की गई हो, बेची या विनिमय नहीं की जा सकेगी।

धारा 25. आरक्षित वनों में के पथों एवं जल मार्गों को बन्द करने की शक्ति - वन अधिकारी, आरक्षित वन में किसी लोक या प्रायवेट मार्ग या जल मार्गों को राज्य सरकार अथवा उसके निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से बन्द कर सकेगा, परन्तु वह यह तभी कर सकेगा जबकि इस प्रकार बन्द किये मार्ग या जल मार्ग की बजाय ऐसा प्रति स्थानी पथ या जल मार्ग जिसको राज्य सरकार युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक समझती है, पहले से ही विद्यमान है या वन अधिकारी द्वारा उसके बदले में उपबन्धित या सम्निर्मित (Constructed) किया गया है।

टिप्पणी - धारा 25 वन विभाग द्वारा निर्मित वन मार्ग सार्वजनिक मार्ग नहीं है तथा वन विभाग ऐसे मार्गों के उपयोग को नियन्त्रित कर सकता है। वन विभाग द्वारा वन मार्ग पर ट्रक/बस के परिवहन हेतु शुल्क वसूल करना संविधान के आर्टिकल 265 के विपरीत नहीं है, बल्कि ऐसी सेवा देने के उपलक्ष्य में हैं। (आनन्द ट्रांसपोर्ट कं. प्रायवेट लि. वि. वन मण्डलाधिकारी - रायपुर (दक्षिण) वन मण्डल AIR 1959, Madhya Pradesh, 224)

धारा 26. ऐसे वनों में प्रतिषिद्ध कार्य - (1) कोई व्यक्ति जो -

(क) धारा 5 के अधीन प्रतिबद्ध नई कटाई, सफाई करेगा या

(ख) आरक्षित वन में [1]या उस क्षेत्र की भूमि में जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के अन्तर्गत आरक्षित वन बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है, आग लगावेगा, या राज्य सरकार द्वारा बनाये किसी नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसी रीति से आग जलायेगा या जलते छोड़ देगा जिससे ऐसे वन संकटापन्न हो जावे।

या जो आरक्षित वन में

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।

(ग) ऐसी ऋतुओं में, के सिवाय, जिन्हें वन अधिकारी इस निमित्त अधिसूचित करे, कोई व्यक्ति न तो आग जलावेगा, रखेगा या ले जावेगा।

(घ) पशुओं का अतिचार (Trespass) करेगा, या पशु चरायेगा या पशुओं के अतिचार करने की अनुमति (Permit) देगा।

(ङ) किसी वृक्ष की कटाई या [1]से ले जाने में लापरवाही से वन को हानि पहुँचाएगा।

(च) किसी वृक्ष को काटेगा (Fells), वृक्ष के सूखने के उद्देश्य से उसके चारों ओर गहरा घाव (Girdle) बनायेगा, छाँटेगा (पत्ती या डाल काटना) (Lopping), छेवेगा (गोंद आदि निकालने के उद्देश्य से घाव बनाना) (Tap), या उसे जलाएगा, या उसकी छाल उतारेगा या पत्तियाँ तोड़ेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुँचाएगा। [1]या किसी अन्य वन उपज को नुकसान पहुंचावेगा।

(छ) पत्थर की खुदाई करेगा (Quarries), चूना अथवा लकड़ी की कोयला फूँकेगा (Burns) या किसी वन की सफाई करता है, या तोड़ता है या विनिर्माण की प्रक्रिया में वनोपज का संग्रहण या परिवहन करेगा।

(ज) खेती या अन्य प्रयोजन के लिये [1]किसी आरक्षित वन की सफाई करता है, या तोड़ता है या काश्त करता है या अन्य विधि से काश्त करने का प्रयास करता है।

(झ) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किसी नियम के उल्लंघन में शिकार खेलेगा, गोली चलाएगा, मछली पकड़ेगा, जल विषैला करेगा या पाश या जाल बिछाएगा, या

(ञ) ऐसे किसी क्षेत्र में जहाँ हाथी परिरक्षण नियम, 1879 (1879) का 6) प्रवृत्त नहीं है,

इस प्रकार बनाये किन्हीं नियमों के उल्लंघन में हाथियों का वध करेगा या उन्हें पकड़ेगा। या वन को नुकसान पहुँचाने के कारण, ऐसे प्रतिकार के अतिरिक्त जिसका संदाय किया जाना, सिद्ध दोष करने वाला न्यायालय निर्दिष्ट करे या ऐसी अवधि के कारावास से जो [1](1 वर्ष) तक हो सकेगा या जुर्माने से जो [2](पन्द्रह हजार) रूपया तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(2) इस धारा की बात के बावत यह न समझा जायेगा कि वह -

(क) वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा या राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम के अधीन किये गये कार्य, को या

(ख) धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन चालू रखे गये या सरकार द्वारा या उसकी ओर से धारा (23) के अधीन किये गये अनुदान या की गई लिखित संविदा द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग को प्रतिषिद्ध करती है।

(3) जब किसी आरक्षित वन में जान-बूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है तब (इस बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई शास्ति लगाई गई है) राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि ऐसे वन या उसके किसी प्रभाग में चराई या वनोपज से सम्बन्धित सब अधिकारों का प्रयोग उतनी कालावधि के लिये जितनी वह ठीक समझती है, निलम्बित रहेगा।

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।
2. म. प्र. अधिनियम क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।

टिप्पणी

प्राथमिक सूचना अपराध को प्रभावित करने हेतु महत्वपूर्ण लेखपत्र है। उसके लिखे जाने में विलम्ब पश्चातवर्ती सोच का जनक होता है। ऐसी परिस्थिति में दोष सिद्धि संभव नहीं होती है। (म.प्र. राज्य वि. जमादार 2004 (1) मनिसा 27 (म.प्र.)।

आरक्षित वन क्षेत्र में वहाँ की भूमि को खोदकर निकाला गया फ्लेग स्टोन ट्रक में रख दिए जाने के उपरांत उसे उसी वन क्षेत्र की परिसीमा में जप्ति उपरांत ट्रक के समय हरण की कार्यवाही वैध थी। (म.प्र. राज्य वि. शब्बीर खान, 2006 (2) म.प्र.लॉ.ज. 50 (म.प्र.)।

(1) धारा 26 (1) के अन्तर्गत अपराध में यहा प्रमाणित करना आवश्यक है कि आरक्षित वन से लकड़ी काटी गई एवं ले जाई गई। यह सबूत करने का अभियोजन पक्ष का उत्तरदायित्व है। (AIR 1959, SC 147)

(2) वन भूमि से वृक्ष गिराना नहीं, ले जाना भी अपराध है।

(3) मध्य प्रदेश संशोधित 9, वर्ष 1965 काफी व्यापक है संशोधित प्रावधान के अनुसार यह प्रमाणित करना काफी है कि अपराधी काश्त करता है या काश्त करने का प्रयास करता है चाले वह; वह व्यक्ति न हो जिसने सर्वप्रथम की थी। अपराधी की दलील कि वन भूमि पर पूर्व से की काश्त होती आ रही है मानने योग्य नहीं है। अपराधी काश्त करने का दोषी है। (State Vs. Jaimal, 1974 MPLJ SN 117, AIR 1924 Nag. 190 Dist.)

(4) मध्य प्रदेश बीकली नोट्स 1983 क्र. 379 कान्तिलाल वि. म. प्र. शासन, में यह निर्णय प्रदान किया गया है कि धारा 26 (1) सहपठित धारा 379 भा. द. वि. के अपराध में आरोप लगाने के लिये सारभूत कारण प्रथम दर्शनीय उपबन्ध है कि अभियुक्त के पास इस सम्बन्ध में कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण या समाधान कारक उत्तर नहीं है कि उसने ताजी काटी गई काफी मात्रा में इमारती लकड़ी का आधिपत्य कैसे प्राप्त किया है।
ऐसी स्थिति में माननीय उच्च-न्यायालय ने द.प्र.सं. 1973 की धारा 482 के अधीन आपराधिक आरोप को निरस्त करने का आवेदन अस्वीकार किया है।

(5) कोई व्यक्ति, उस वन भूमि में (जिसके आरक्षित करने के शासन की मंशा के अनुरूप धारा 4 के अन्तर्गत सूचना जारी कर दी है लेकिन धारा 6 अथवा 20 की कार्यवाही शेष है) काश्त के लिये भूमि तोड़ता है, तब यह काफी है कि धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी हो गई है तथा धारा 20 के अन्तर्गत अधिसूचना आवश्यक नहीं है। (1972 Cri L.J. 706)

(6) उपधारा (घ) के अन्तर्गत वन अपराध में लिप्त पशु भी उसी प्रकार राजसात् (Confiscation) के योग्य है जिस प्रकार अवैध इमारती लकड़ी का परिवहन करते गाड़ी बैंल AIR 1938 Nag. 385)

(7) प्रत्येक वृक्ष को काटना अलग-अलग अपराध है कोई व्यक्ति जितने वृक्ष काटेगा उतने अपराध करेगा। (AIR 1918 All. 351)

धारा 27. यह घोषित करने की शक्ति कि वन आरक्षित वन नहीं रहा है - (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन कोई आरक्षित वन या उसका प्रभार, ऐसी अधिसूचना द्वारा नियम तारीख से, आरक्षित वन नहीं रह जावेगा।

(2) इस प्रकार उक्त तारीख से ऐसा वन या उसका प्रभार आरक्षित वन नहीं रह जावेगा किन्तु उसमें वे अधिकार (यदि कोई हो) जो निर्वापित (extinguished) हो गये हों, ऐसा न रहने के परिणामस्वरूप पुनर्जीवित (Revive) नहीं हो जावेंगे।

अध्याय 3

ग्राम वनों (Village Forest) के सम्बन्ध में

धारा 28. ग्राम वनों का निर्माण - (1) राज्य सरकार किसी ऐसी भूमि के प्रति या उस पर, जो आरक्षित वन (Reserved Forest) कर दी गई है किसी ग्राम समुदाय को शासन के अधिकार समनुदेशित कर सकेगी और समनुदेशन (Assignment) रद्द कर सकेगी। इस प्रकार समनुदेशित वन "ग्राम वन" कहलावेंगे।

(2) जिस ग्राम समुदाय (Village Community) को ऐसा समनुदेशन किया गया है, उस ग्राम समुदाय के लिये इमारती लकड़ी, या अन्य वन उपज या चराई का उपबन्ध जिन शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, उन्हें ऐसे वन के संरक्षण एवं सुधार के लिये, उनके कर्त्तव्यों को विहित करने वाले नियम राज्य सरकार ग्राम वनों के प्रबन्ध को विनियमित करने के लिये बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम के वे सब उपबन्ध, जो आरक्षित वनों से सम्बद्ध है, वहाँ तक (जहाँ तक कि वे इस प्रकार बनाये नियमों से असंगत नहीं है) ग्राम वनों को लागू होंगे।

अध्याय 4

सरंक्षित वनों के सम्बन्ध में

धारा 29. सरंक्षित वन - (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अध्याय के उपबन्ध, किसी वन भूमि या पड़त भूमि (Waste Land) में जो आरक्षित वन नहीं है, परन्तु वह शासन की सम्पत्ति है या उस पर शासन का सम्पत्तिक अधिकार है, या कुछ या समस्त वन उपज जिसका शासन हकदार है, लागू होंगे। (2) इस अधिसूचना में सम्मिलित समस्त वन भूमि या पड़त भूमि को 'संरक्षित वन' कहा जावेगा। (3) ऐसी अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जावेगी जब तक उस भूमि पर सरकार या प्रायवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जाँच नहीं कर ली जाती और सर्वेक्षण या बन्दोबस्त अभिलेख में या अन्य किसी ऐसी रीति से, जैसी राज्य सरकार पर्याप्त समझती है, उन्हें अभिलिखित नहीं कर लिया जाता, तथा ऐसे हर अभिलेख के बारे में यह उपधारणा (Presumed) की जावेगी कि वे सही (Correct) है जब तक कि प्रतिकूल (Contrary) साबित न कर दिया जावे:

परन्तु यदि किसी वन भूमि या पड़त भूमि की बाबत राज्य सरकार, यह समझती है कि ऐसी जाँच एवं अभिलेख आवश्यक है, किन्तु उनमें इतना समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकार खतरे में पड़ जावेंगे, तो राज्य सरकार ऐसी जाँच लम्बित रहने तक ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकेगी, किन्तु इससे किसी व्यक्ति या समुदाय के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

धारा 30. वृक्ष आदि को आरक्षित करने की अधिसूचना निकालने की शक्ति - राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा -

(क) संरक्षित वन के किन्हीं वृक्षों या वृक्षों के वर्ग (class of trees) को अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से आरक्षित घोषित कर सकेगी।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर उस वन के किसी भाग को अधिकतम तीस वर्ष तक, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, बन्द कर सकेगी, तथा इस कालावधि में ऐसे प्रभाग पर प्रायवेट व्यक्तियों के अधिकार, ऐसी अवधि के दौरान निलम्बित रहेंगे, परन्तु यह तभी होगा जब ऐसे वन का शेष भाग पर्याप्त हो तथा वह उस क्षेत्र के व्यक्तियों, जिनके अधिकार निलम्बित हुए हैं, के प्रयोग के लिये पर्याप्त तथा युक्तियुक्त स्थान में हो, या

(ग) ऐसे वन की किसी भूमि में पत्थर निकालना (Quarrying of stones), चूने का भट्ठा लगाना (Burn Lime) या कोयला बनाना (Burn Charcoal), वन उपज का संग्रहण कर विनिर्माण की प्रक्रिया करने, या वन उपज का परिवहन करने (Removal) और वन में काश्त करने, भवन बनाने या पशुओं को रोधने (Herding of Cattles) या अन्य कारण से वनों की सफाई करना और भूमि तोड़ना पूर्वोक्त नियत तारीख से प्रातिषिद्ध कर सकेगी।

धारा 31. अधिसूचना के अनुवाद का आस-पास के क्षेत्रों में प्रकाशन - कलेक्टर, धारा 30 के अन्तर्गत निकाली गई अधिसूचना का स्थानीय भाषा में अनुवाद कराकर संदर्भित वन के आस-पास के प्रत्येक ग्राम व नगर में सहज दृश्य स्थान लगवायेगा।

धारा 32. संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की शक्ति - राज्य सरकार निम्नलिखित बातों के विनियमन के लिये नियम बना सकेगी, अर्थात्

(क) वृक्षों और इमारती लकड़ी की कटाई (Cutting) चिराई (Sawing), संपरिवर्तित (Conversion), करना और हटाना (Removal) तथा संरक्षित वन की वनोपज का संग्रहण (Collection), विनिर्माण (Manufacture) या परिवहन (Removal)।

(ख) संरक्षित वन के समीप के नगरों एवं ग्राम के निवासियों को अपने उपयोग के लिये वृक्ष, इमारती लकड़ी या वन उपज लेने हेतु अनुज्ञप्ति लेना (License) और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियों का पेश और वापस किया जाना।

(ग) व्यापार के प्रयोजनों के लिये वनों से वृक्षों, या इमारती लकड़ी को काटने (Feeling) या हटाने (Removing) एवं अन्य वन उपज का परिवहन करने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियाँ (License) प्रदान करना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियाँ पेश और वापस किया जाना।

(घ) खण्ड (ख) एवं (ग) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा जैसे वृक्षों को काटने अथवा इमारती लकड़ी या वन उपज संग्रहित करने एवं हटाने की अनुज्ञा के लिये, किये जाने वाले भुगतान (Payments) यदि कोई हों।

(ङ) ऐसे वृक्षों इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज के बारे में किये जाने वाले अन्य भुगतान (Payment) और वे स्थान जहाँ ऐसा संदाय किया जावेगा।

(च) ऐसे वनोंपज को जो संरक्षित वन से बाहर जावे, जांच कराने के सम्बन्ध में।

(छ) ऐसे वनों में खेती या अन्य प्रयोजन के लिये भूमि की कटाई, सफाई और भूमि तोड़ना।

(ज) ऐसे वनों में पड़ी इमारती लकड़ी एवं धारा (30) के अन्तर्गत आरक्षित वृक्षों की अग्नि से सुरक्षा।

(झ) ऐसे वनों से घास कटाना एवं पशु चराना।

(ञ) ऐसे वनों में शिकार खेलना, गोली चलाना, मछली पकड़ना, जल विषैला करना, पाश या जाल बिछाना और ऐसे वनों के उन क्षेत्रों में जहाँ हाथी परिरक्षण अधिनियम, 1879 (1797 का 6) प्रवृत्त नहीं है, हाथियों को पकड़ना।

(ट) धारा (30) के अधीन वन के किसी बन्द प्रभाग का संरक्षण और प्रबंध और

(ठ) धारा (29) में निर्देशित अधिकारों का प्रयोग।

टिप्पणी (1) - (1) मध्य प्रदेश शासन मोहलाइन पत्तों को ठेके पर दे सकता है तथा शासन को ऐसे पत्तों को घोष विक्रय के लिये विवश नहीं किया जा सकता (देखें 1965, एम.पी.एल.जे. टिप्पणी 129)।

टिप्पणी (2) - अधिकार शुल्क केवल उन पर लगाई जा सकती हे जो संरक्षित वन से उपज लें। (सूरजदीन वि. शासन 1960 रा. नि. 39)।

धारा 33. धारा 30 की अधिसूचना या धारा 32 के अधीन बने नियमों के उल्लंघनों के लिये शक्तियाँ - (1) जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा अर्थात् -

(क) धारा 30 के द्वारा आरक्षित [1]किसी वृक्ष, वन या वनोपज को गिरायेगा (Fells), वृक्ष को सूखने के उद्देश्य से उसके चारों ओर घाव करेगा (Girdles), पत्ते या डाल छांटेगा (Lopping), गोंद आदि निकालने के लिये छेवेगा (Taps) या उसकी छाल या पत्ती निकालेगा (Strips off the Break or leaves) या अन्य प्रकार से वृक्ष को हानि पहुँचावेगा।

(ख) धारा 30 के अधीन वाले किसी प्रतिषेध (Prohibition) के प्रतिकूल (Contrary) पत्थर की खुदाई (Quarry) करेगा, या चूने का भट्टा लगावेगा (Burns Lime) या कोयला बनावेगा (Burns Charcoal) या किसी वन उपज का संग्रहण करेगा, और उससे कोई विनिर्माण प्रक्रिया चलायेगा या किसी वनोपज को हटावेगा।

[2](ग) किसी संरक्षित वन में धारा 30 के अधीन किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल, किसी भूमि को खेती या अन्य प्रयोजन के लिये तोड़ेगा या साफ करेगा काश्त करेगा या काश्त करने का प्रयत्न करेगा या अन्य विधि से काश्त करेगा (Cultivate in any other manner),

(घ) ऐसे वन में आग लगावेगा या बिना युक्तियुक्त पूर्ण सावधानी बरते आग जलावेगा जिससे धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो, या गिराया गया हो, क्षति पहुँचे या धारा 30 (ख) के अधीन ऐसे बन्द किये क्षेत्र में फैल जावे।

---

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।
2. म. प्र. अधिनियम क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।

(ङ) ऐसे किसी वृक्ष या बन्द प्रभाग के समीप में उसके द्वारा जलाई आग को जलती छोड़ देगा।

(च) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिरावेगा या इमारती लकड़ी को इस प्रकार [1]हटावेगा कि जिससे धारा 30 के अन्तर्गत आरक्षित वृक्ष को हानि पहुँचे।

(छ) इस प्रकार के वृक्ष को पशुओं के द्वारा हानि पहुँचावेगा।

(ज) धारा 32 के अन्तर्गत बनाये नियमों का अतिलंघन (Infringe) करेगा।

(1) वह उस अवधि के कारावास से जो [1]एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो [1]पन्द्रह हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जब किसी संक्षित वन में जान-बूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है, तब राज्य सरकार इस बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई शास्ति लगाई गई है, निर्देश दे सकेगी, कि ऐसे वन में या उसके किसी प्रभाग में चराई या वनोपज के किसी अधिकार का प्रयोग उतनी अवधि के लिये जितना राज्य सरकार ठीक समझती है, निलम्बित करेगा।

टिप्पणी - (1) यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से संरक्षित वन में प्रवेश करे तो उस व्यक्ति के विरूद्ध धारा 33, अथवा भा.द.वि. की धारा 447 के अधीन मामला चलेगा।

(2) क्रिमिनल लॉ जर्नल (Criminal Law Journal), 1983 पृष्ठ 64 पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णीय किया है कि धारा 33 के वन अपराध में नरम रूख नहीं अपनाना चाहिए, इस धारा के अधीन कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।

इस निर्णय में भारतीय उच्च न्यायालय ने वन से सम्बन्धित अपराध पर वन अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही निष्ठा से करने का बल दिया है।

(3) धारा 33 (1) (क) के अन्तर्गत अपराध जमानत योग्य (Congnizable Offence) है। और अपराधी को जमानत पर छोड़ा जा सकता है।

धारा 34. इस अध्याय की कोई बात कतिपय मामलों में किये गये कार्यों का प्रतिषेध नहीं करेगी - इस अध्याय की कोई बात की बाबत यह नहीं समझा जावेगा कि ऐसे किसी कार्य का प्रतिषेध करती है जो वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से या धारा 32 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया गया है, जो धारा 29 के अधीन अभिलिखित किसी अधिकार के प्रयोग में, या धारा 30 के अधीन बन्द किये गये किसी वन के प्रभाग के विषय में, या किन्हीं उन अधिकारों के विषय में जिनका प्रयोग धारा 33 के अधीन निलम्बित किया गया है, किये जाने के अलावा किया गया है।

[1]34 अ. संरक्षित वन नहीं होने की घोषणा की शक्ति - राज्य शासन अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से ऐसे संरक्षित वन या उसके भाग को "संरक्षित वन" न होने की अधिसूचना निर्गमित कर सकता है।

इस प्रकार नियत तिथि से संरक्षित वन या उसे भाग 'संरक्षित वन' नहीं रहेंगे किन्तु वे अधिकार, (यदि कोई हो) जो समाप्त हो गये हैं, संरक्षित वन की समाप्ति पर पुनः जीवित नहीं होंगे।

---

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 9 वर्ष 1965 से धारा 34 (अ) जोड़ी गई।

अध्याय 5

जो वन और भूमियाँ सरकार की सम्पत्ति नहीं हैं उन पर नियंत्रण के सम्बन्ध में

धारा 35. विशेष प्रयोजनों के लिये वनों का संरक्षण - (1) राज्य सरकार राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा किसी वन या पड़त भूमि (Waste land) में :

(क) खेती के लिये भूमि तोड़ना या साफ करना।

(ख) पशु चराना (या)

(ग) वनस्पति (Vegetation) को जलाना या साफ करना।

(घ) पौधों या वृक्षों का काटना।

उस सूरत में विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी जिसमें कि ऐसा विनियमित या प्रतिषेध निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक के लिए आवश्यक प्रतीत होता है अर्थात्

(i) आंधी (Storms), तेज हवा (Winds), लुढकते पत्थर (Rolling Stones), बाढ़ (Floods), और हिमानी (Avalanches) से संरक्षण।

(ii) पहाड़ी भूभागों के शिखरों, ढलानों एवं घाटियों पर मृदा का परिरक्षण (Soil preservation), भूस्खलन (Landslips) या खादर (Ravines) और बेगधारा (Torrents) के बनने से रोकना, या भूमि का कटाव (Soil erosion) या उस पर बालू, पत्थर, बजरी के जमाव से भूमि का संरक्षण।

(iii) झरना (Springs), नदियों, तालाबों में जलपूर्ति बनाये रखना।

(iv) मार्गों, पुलों, रेलों के संचार मार्ग एवं अन्य मार्गों का संरक्षण।

[1](iv-a) वनों की हानि को रोकने एवं वनों के विकास एवं सुरक्षा के लिये।

(v) लोक स्वास्थ्य (Public Health) का परिरक्षण (Preservation)

(2) राज्य सरकार, किसी ऐसे प्रयोजन के लिये, ऐसे संकल्प कार्य (Works), जैसे वह ठीक समझती है, किसी वन या पड़त भूमि पर अपने व्यय से बनवा सकेगी।

(3) जब तक कि ऐसे वन या भूमि के स्वामी को इस बात के समाहित करने वाली सूचना दे दी गई हो कि तुम ऐसी सूचना से विनिर्दिष्ट, युक्तियुक्त कालावधि के अन्दर यह हेतुक दर्शित करो, कि यथास्थिति ऐसी अधिसूचना क्यों न निकाली जावे या संकल्प (Work) क्यों न बनाया जावे और जब तक कि उन अपेक्षाओं की, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य की, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, सुनवाई उस अधिकारी द्वारा न की जा चुकी हो जो इस निमित्त सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो, और राज्य सरकार उस पर विचार न कर चुकी हो, तब तक धारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना नहीं निकाली जावेगी और न ही उपधारा (2) के अधीन कोई कार्य (Work) आरम्भ किया जावेगा।

धारा 36. वनों का प्रबन्ध संभालने की शक्ति - (1) 35 के अधीन किसी विनिमय या प्रतिषेध की अपेक्षा या जानबूझकर अवज्ञा की दशा में या, उस धारा के अधीन होने वाले संकल्प (Work) के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार ऐसे वन या भूमि के स्वामी को लिखित सूचना के पश्चात् तथा उस सूचना पर उसके आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् उसे वन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन कर सकेगी और घोषित कर सकेगी कि आरक्षित वनों से सम्बन्ध इस अधिनियम के सब उपबन्ध या उसमें से कोई उपबन्ध इस भूमि पर लागू होंगे।

(2) ऐसे वन या भूमि के प्रबन्ध से उत्पन्न होने वाले शुद्ध लाभ, यदि कोई हों, तो उक्त भूमि के स्वामी को दिये जावेंगे।

---

1. म. प्र. अधिनियम क्र. 26 वर्ष 1950 से (IV-a) जोड़ा गया।
2. म. प्र. अधिनियम क्र. 26 वर्ष 1950 द्वारा धारा 36 (3) जोड़ी गई।

[1](3) शुद्ध लाभ की गणना करते समय वन के कार्य एवं प्रबन्ध में कुल किये गये खर्च की गणना, गणना की तिथि तक तथा कार्य व प्रबन्ध से प्राप्त कुल लाभ में समायोजित कर निकाली जावेगी।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजन के लिये :

(अ) कुल आय की गणना में वनोपज के सम्बन्ध में वन अपराधों में की गई जप्तियाँ (जो अपराध भूमि स्वामी ने नहीं किये हों) के राजसात् से प्राप्त कीमत होगी उसमें से सूचना देने वाले को कोई पारितोषिक दिया होगा वह घटाये जाने के बाद शेष राशि बचेगी, वह होगी।

(ब) कुल खर्च में निम्न खर्च सम्मिलित किये जावेंगे -

(i) कुल आय का 20 प्रतिशत राज्य सरकार को पर्यवेक्षण व्यय (Supervision Charges) के रूप में देय होगा।

(ii) ऐसे वन के राज्य सरकार के प्रबन्ध में आने की तिथि के पश्चात् भूमि स्वामी द्वारा ले जाई गई वनोपज की कीमत या कोई अर्जित लाभ।

(iii) वन प्रबन्ध के सम्बन्ध में वन-विभाग के कर्मचारियों को दिये गये वेतन एवं अन्य भत्ते।

(iv) ऐसे अन्य आकस्मिक व्यय, जो वन अधिकारी द्वारा किये गये हों जिनमें वन-उपज (Article) के संग्रहण, परिवहन या विक्रय का व्यय तथा वन-उपज के जप्त (forfeit), या राजसात (Confiscate) का व्यय सम्मिलित होगा।

धारा 37. कुछ अवस्थाओं में वनों का स्वत्व हरण - (1) इस अध्याय के अधीन ऐसे किसी मामले में जिसमें राज्य सरकार यह समझती है कि वन या भूमि को वन अधिकारी के नियन्त्रण में रखने के बजाय उसे लोक प्रयोजन के लिये अर्जित किया जावे, तब राज्य सरकार, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा उपबंधित रीति से उसे अर्जित करने के लिये कार्यवाही कर सकेगी।

(2) धारा 35 में समाविष्ट किसी अधिसूचना की तारीख से अन्यून तीन वर्षों में या अनधिक बारह वर्ष के अन्दर किसी भी समय भूमि स्वामी यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा वन या भूमि यदि लोक प्रयोजन के लिये अर्जित की जाना आवश्यक हो तो राज्य सरकार ऐसे वन या भूमि को अर्जित कर लेगी।

धारा 38. स्वामियों की प्रार्थना पर वनों का संरक्षण - (1) किसी भूमि का स्वामी, या उसके एक से अधिक स्वामी हैं, तो उनमें से कम से कम दो तिहाई अंशों के स्वामी, इस दृष्टि से कि इस भूमि पर रोपण या संरक्षण किया जावे, कलेक्टर को अपनी इस इच्छा का लिखित अभ्यावेदन कर सकेगा या कर सकेंगे कि -

(क) हमारी ओर से ऐसी भूमि का आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में, वन अधिकारी द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन जो परस्पर करार पाये जावें प्रबन्ध किया जावे।

(ख) इस अधिनियम के सब उपबन्ध या कोई उपबन्ध (Provisions) ऐसी भूमि को लागू कर दिए जावें।

(2) दोनों में हर अवस्था में, राज्य सरकार ऐसी भूमि को इस अधिनियम के ऐसे उपबन्ध राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लागू कर सकेगी जिसे वह ऐसी भूमि की परिस्थितियों में उचित समझते हों और जो आवेदकों द्वारा वांछित हो।

अध्याय 6

इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज पर शुल्क के संबंध में

धारा 39. इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज पर शुल्क आरोपित करने की शक्ति -

(1) केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति से, ऐसे स्थानों में और ऐसी दरों पर, जैसी वह अधिसूचना द्वारा घोषित करें, उस सब इमारती लकड़ी या वन-उपज पर शुल्क उद्ग्रहीत कर सकेगी -

(क) जो उन राज्यों के क्षेत्रों, में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, उत्पन्न होते हैं, और जिसके विषय में सरकार को कोई अधिकार प्राप्त है, या

(ख) जो उन नियमों के क्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, बाहर के किसी स्थान से लाया जाता है।

(2) ऐसे हर मामले में, जिसमें ऐसे शुल्क की बाबत यह निर्दिष्ट किया गया है कि वह मूल्यानुसार उद्ग्रहीत की जावे, केन्द्रीय सरकार वैसी ही अधिसूचना द्वारा, वह मूल्य नियत कर सकेगी जिस पर ऐसा शुल्क निर्धारित होगा।

(3) इमारती लकड़ी या अन्य वनोपज पर जो शुल्क या उस समय, जब वह अधिनियम किसी राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त होता है, राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन उसमें उद्ग्रहीत होते हैं, उन

सबके बाबत यह समझा जावेगा कि वे इस अधिनियम में उपबन्धों के अधीन उद्ग्रहीत होते हैं, और सम्यक् रूप से उद्ग्रहीत रहे हैं।

(4) जब तक कि संसद (Parliament) द्वारा प्रतिकूलतः उपबन्ध नहीं किया जाता, राज्य सरकार इस धारा में किसी बात के होते हुए किसी भी शुल्क को लगातार उद्ग्रहीत कर सकेगी, जिसे वह संविधान के प्रारम्भ के पूर्व इस धारा के उस समय प्रवृत्त रूप में विधि पूर्णतः उद्ग्रहीत करती थी। परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी शुल्क का उद्ग्रहण प्राधिकृत नहीं करती जो राज्य की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज और राज्य के बाहर के स्थान की समरूप इमारती लकड़ी या अन्य उपज के पूर्व कथित के पक्ष में विभेद करती है, या जो राज्य के बाहर किसी स्थान की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के मामले में, किसी एक स्थान की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के बीच विभेद करता है।

टिप्पणी - इस धारा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार इमारती लकड़ी या वनोपज पर शुल्क लगा सकती है, चाहे वह इस अधिनियम के क्षेत्र में उत्पन्न की गई हो। (देखें AIR 1965, Madhya Pradesh 215)।

धारा 40. सीमा सम्बन्धी उपबन्ध, क्रय धन या स्वामित्व के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा - इस अध्याय की किसी बात की बाबत यह समझा जावेगा कि वह उस राशि को, यदि कोई हो तो जो किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज पर क्रयधन या स्वामित्व के रूप में प्रभार्य है, सीमित करती, भले ही ऐसी इमारती लकड़ी या उपज के अभिवहन के दौरान उस पर रीति से उद्ग्रहीत होता है, जिसमें से शुल्क उद्ग्रहीत होता है।

अध्याय - 7

अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी एवं वन उपज के नियंत्रण के संबंध में

धारा 41. वन उपज के अभिवहन (Transit) को विनियमित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति –

(1) इमारती लकड़ी को बहाकर परिवहन करने के लिये विषय में, सब नदियाँ और उनके स्त्रोतो का नियन्त्रण और थल या जल द्वारा अभिवहन में कोई इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज के अभिवहन करने के लिये राज्य सरकार को अधिकार है तथा वह इमारती लकड़ी या वनोपज के परिवहन के विनियमित (Regulate) करने संबंधी नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम –

(क) उन मार्गो को विहित कर सकेगे जिनके द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वनोपज राज्य में आयात या राज्य से निर्यात् या राज्य के अन्दर परिवहन की जा सकेगी।

(ख) ऐसे अधिकारी के पास बिना, जो उसे देने लिये सम्यक् रूप से प्राधिकृत है, या ऐसे पास को प्रतिषिद्ध कर सकेंगे।

(ग) ऐसे पासों को दिये जाने, पेश करने, या वापस करने के लिये तथा उसके लिये फीस के दिये, जाने के लिये उपबन्ध कर सकेंगे।

(घ) अभिवहन में, इमारती लकड़ी या अन्य वन–उपज को, जिसके विषय में यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी कीमत के कारण या उसकी देय किसी शुल्क, फीस, या स्वामित्व या प्रभार के कारण कोई शुल्क सरकार को देय है, या जिस पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये चिह्न लगाना (Affix a mark) वांछनीय है, उसके बारे में रिपोर्ट देने, रोकने, उसका परीक्षण करने, (Examination) चिह्नित करने के लिये रोककर उपलब्ध कर सकने के नियम बना सकेंगे।

(ड) उन डिपो (Depot) की स्थापना और विनिमय के लिये जिनसे किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज व्यक्तियों द्वारा, जिनके भार-साधक में वह है, परीक्षा के लिये, या ऐसे धन के दिये जाने के लिये, या उस पर चिह्न लगाने के लिये, ले जाई जावेगी तथा उन शर्तों का, जिनके अधीन ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज ऐसे डिपो को लाई जावेगी, उनमें संग्रहीत की जावेगी, और उनसे हटाई जावेगी, उपलब्ध कर सकेंगे।

(च) इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के अभिवहन के लिये प्रयुक्त किसी नदी की धारा या तट को बन्द करना या बाधित करना या ऐसी किसी नदी में घास, शाखायें या पत्तियाँ फेंकना या ऐसा कोई कार्य करना जिससे ऐसी नदी का मार्ग बन्द या बाधित हो जावे, प्रतिषिद्ध कर सकेंगे।

(छ) ऐसी नदी की धारा या किनारों की किसी बाधा के निवारण या हटाने के लिये उस व्यक्ति से, जिनके कार्यो की उपेक्षा के कारण यह आवश्यक हुआ है, ऐसे निवारण या हटाने का खर्च वसूल करने के लिये उपबन्ध कर सकेंगे।

(ज) विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर, लकड़ी की चिराई मशीन के लिये गढ़्ढा बनाना, इमारती लकड़ी को संपरिवर्तित (Convert) करना, काटना, जलाना, छिपाना (Concealing) या विनियर (Vineer) बनाना या लकड़ी पर लगे चिह्नों को परिवर्तित करना (Altering) या नये चिह्न लगाना (Effacing) या इमारती लकड़ी को चिह्नित करने वाले हथौड़े (Making Hammer) का अपने आधिपत्य में रखना या साथ ले जाना, पूर्णरूप से या शर्तो के अधीन प्रतिषिद्ध कर सकेंगे।

(झ) इमारती लकड़ी के लिए संबंधी चिह्नों के प्रयोग और ऐसे चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित कर सकेंगे। उस समय को विहित कर सकेगे, जिनके लिये रजिस्ट्रीकरण प्रभावी रहेगा, एसे चिह्नों की उन संख्या को सीमित कर सकेंगे, जो किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत कराये जा सकेंगे तथा ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिये फीसों के उदाहरण के लिए उपबन्ध कर सकेंगे।

(2) राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग को या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र को लागू नहीं होंगे।

धारा 41-क. कस्टम प्रन्टियर के पार इमारती लकड़ी के परिवहन विषयक केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ - धारा 41 में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार उस मार्ग को विहित करने के लिए नियम बना सकेगी, जिसके द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वन्य-उपज ऐसे किन्हीं कस्टम फ्रन्टियर के पार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा परिनिश्चित है, आयात, निर्यात या राज्यक्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है या उनसे आयात-निर्यात या स्थानान्तरित परिवहन जा सकेगी और धारा 41 के अधीन बनाए गए कोई नियम, इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहकर ही प्रभावी होंगे।

अध्याय 8

बहती हुई या अटकी हुई लकड़ी के संग्रहण के सम्बन्ध में

धारा 45 कतिपय प्रकार की इमारती लकड़ी , जब तक कि उसके बारे में हक साबित नहीं होता, सरकार की सम्पत्ति समझी जावेगी और तदनुसार संग्रहित की जावेगी -

(1) बहती हुई (Adrift), किनारे लगी (Bcached), अटकी हुई (Stranded), या डूबी हुई (Sunk) समस्त लकड़ी -

समस्त काष्ट (Wood) या इमारती लकड़ी , जिस पर ऐसे चिन्ह लगे हैं तो धारा 41 के अधीन बनाये नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं है, या जिनके चिन्ह अग्नि या अन्य कारणों से मिट गये, बदल गये या बिगड गये हैं, और

ऐसे क्षेत्रों में जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, समस्त चिन्हित (unmarked) काष्ठ और इमारती लकड़ी ।

जब तक कोई व्यक्ति इस अध्याय में उपबन्धित रूप से अपना अधिकार और हम सिद्ध नहीं कर दे, शासकीय संपत्ति समझी जावेगी।

(2) ऐसी इमारती लकड़ी, किसी वन अधिकारी या अन्य व्यक्ति के द्वारा, जो उसे धारा 51 के अधीन बनाये किसी नियम के अन्तर्गत संग्रहण करने का हकदार है, संग्रहित की जावेगी और ऐसे डिपों में लाई जा सकेंगी जिसे वह अधिकारी बहती हुई लकड़ी की प्राप्ति के लिये अधिसूचित करें।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, किसी लकड़ी के किसी वर्ग को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी।

धारा 46. बहती हुई इमारती लकड़ी के दावेदारों को सूचना - धारा 45 के अन्तर्गत संग्रहित इमारती लकड़ी की समय-समय पर वन अधिकारी द्वारा सूचना जारी की जावेगी। सूचना में इमारती लकड़ी का विवरण अन्तर्विष्ट होगा तथा इमारती लकड़ी पर दावा करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जावेगी कि वह ऐसी सूचना की तारीख से दो माह से अन्यून अवधि में अपने दावे का लिखित कथन प्रस्तुत करें।

धारा 47. ऐसी इमारती लकड़ी पर किये गये दावे के बारे में प्रक्रिया

(1) पूर्वोक्त अनुसार, दावे का कथन प्रस्तुत होने पर वन अधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझता है, या तो दावे को रद्द करने के कारण दर्शाते हुए, दावे को रद्द करेगा या दावेदार को इमारती लकड़ी का प्रदान कर सकेगा।

(2) यदि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसी इमारती लकड़ी पर दावा किया जाता है, वह वन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को सिविल न्यायाल को निर्देशित करेगा, न्यायालय से उसके निराकरण (Disposal) सम्बन्धी आदेश होने तक अपने कब्जे में रख सकेगा।

(3) जिस किसी व्यक्ति का दावा इस धारा के अधीन खारिज किया जा चुका है, वह अपने द्वारा दावाकृत इमारती लकड़ी का कब्जा लेने के लिये खारिजी के तीन माह के अन्दर, वाद संस्थित कर सकेगा, किन्तु कोई व्यक्ति ऐसी खरिजी, या किसी इमारती लकड़ी को रोककर रखे जाने, या हटाने, या इस धार के अधीन अन्य व्यक्ति को परिदान के कारण कोई हर्जाना (Compensation) या कीमत (Cost) सरकार से या वन-अधिकारी से वसूल नहीं कर सकेगा।

(4) जब तक कि ऐसी कोई इमारती लकड़ी परिदत्त नहीं की गई है या उसके सम्बन्ध में बाद संस्थित नहीं किया गया है, तब तक ऐसी लकड़ी किसी सिविल न्यायालय, क्रिमिनल या राजस्व न्यायालय के आदेश (Process) के अधीन नहीं होगी।

धारा 48. जिसका दावा नहीं किया, उस लकड़ी का व्ययन (Disposal) - यदि यथा-पूर्वोक्त ऐसे कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता, या दावेदार धारा 46 के अधीन निकाली सूचना द्वारा नियम कालावधि के अन्दर दावा नहीं करता है या उसके द्वारा इस प्रकार दावा किये जाने पर उसका दावा खारिज किया गया हो या ऐसी इमारती लकड़ी का कब्जा लेने के लिये धारा 47 द्वारा नियम अपील कालावधि के अन्दर बाद संस्थित करने का लोप करता है तो ऐसी इमारती लकड़ी का स्वामित्व सरकार में निहित होगा या धारा 47 के अधीन अन्य व्यक्ति को परिदत्त होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति में ऐसी लकड़ी का स्वामित्व सब इल्जामों (Encumbrances) से मुक्त होकर निहित होगा जिन्हें उसने सृष्ट (Create) नहीं किया है।

धारा 49. ऐसी लकड़ी को हुए नुकसान के लिये सरकार और उसके अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे - किसी हानि या नुकसान के लिये, जो धारा 45 के अधीन संग्रहीत किसी लकड़ी को हुई है, सरकार उत्तरदायी नहीं होगी और जब तक कि कोई वन अधिकारी, ऐसी हानि या नुकसान उपेक्षा, विद्वेष या कपट से नहीं करता, तक तक वह ऐसी हानि या नुकसान के लिये उत्तदायी नहीं होगा।

धारा 50. इमारती लकड़ी के परिदान के पूर्व दावेदार द्वारा दी जाने वाली अदायगी - जब तक कोई व्यक्ति, ऐसी राशि जो, धारा 51 के अधीन बने किसी नियम के अधीन देय है, वन अधिकारी या अन्य व्यक्ति को, जो उसे प्राप्त करने का हकदार है, चुका नहीं देता, तब तक वह उपरोक्त इमारती लकड़ी का हकदार नहीं है।

टिप्पणी

धारा 50. वन अधिकारियों द्वारा वन अपराध में जप्त वाहन को दांडिक प्रकरण के लंबित रहते उल्लंघन करने वाले वाहन को अंतरिम रूप से सुपुर्दगी में दने का आदेश पारित करने में संबंधित मजिस्ट्रट सक्षम है। (दिलीप मीया वि. म.प्र. राज्य 2012 (1) म.प्र.लॉ.ज. 137 (म.प्र.)।

धारा 51. नियम बनाने व शक्तियाँ विहित करने की शक्ति

(1) राज्य सरकार निम्नलिखित बातों का विनियम करने के लिये नियम बना सकेगी : अर्थात्:

(क) धारा 45 में वर्णित सब इमारती लकड़ी का उद्धरण (Salving), संग्रहण (Collection) या व्ययन (Disposal)।

(ख) इमारती लकड़ी के उद्धरण और संग्रहण के लिए प्रयुक्त नावों का प्रयोग व रजिस्ट्रीकरण।

(ग) इमारती लकड़ी के उद्धरण और संग्रहण, स्थानान्तरण, भण्डारन कार्य के लिए राशि का भुगतान।

(घ) ऐसी इमारती लकड़ी को चिन्हित करने के लिए प्रयोग में आने वाले हथौड़े और अन्य उपकरणों का प्रयोग एवं रजिस्ट्रीकरण।

(2) राज्य शासन इस धारा के अधीन बने किन्हीं नियमों के उल्लंघन के रूप में शास्तियों के रूप में ऐसी अवधि का कारावास जो [1]1 वर्ष तक का हो सकेगा और अर्थ दण्ड जो [2]पन्द्रह हजार रूपये तक या दोनों विहित कर सकेगी।

---

1. म.प्र. विधान क्र. 1 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।
2. म.प्र. विधान क्र. 25 वर्ष 1983 द्वारा संशोधित। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28.05.83 के पृष्ठ क्र. 1635-45 पर प्रकाशित।
   म.प्र. अधि. क्र. 2998/दस/3/83 दिनांक 24.10.83 के द्वारा विधान क्रमांक 25 वर्ष 83 दिनांक 1.11.83 से प्रभावशील हुआ।

अध्याय 9

शस्तियाँ और प्रकिया

[3]धारा 52. अधिहरणीय (Confiscation) सम्पत्ति का अभिग्रहण और उसके लिये प्रक्रिया - जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी आरक्षित वन और संरक्षित वन या वन उपज के सम्बन्ध में कोई अपराध किया गया है तो वन उपज और समस्त औजार नाव, यान, रस्सी, जंजीर या अन्य किसी वस्तुओं को, जिनका प्रयोग ऐसे अपराध को करने में किया गया है, किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिग्रहित किया जा सकेगा।

टिप्पणी

धारा 52. वन अधिनियम स.प. धारा 30 अधिवक्ता अधिनियम 1961- सम्पत्ति के समपहरण की कार्यवाहियाँ - (क) वन अपराध में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष समपहरण कार्यवाहियों (Confiscution Proceedings) में अधिवक्ताओं की उपस्थिति अनुज्ञेय नहीं है।

(ख) समपहरण कार्यवाही में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु कोई उपबंध विद्यमान नहीं है। (कुलदीप शर्मा वि. म.प्र. राज्य वर्गे, 2012 (2) म.प्र. लॉ.ज. 453 (म.प्र.)।

यान की जप्ती कार्यवाही आरम्भ करने के पूर्व एकमान पूर्ववर्ती शर्त यह है कि उसके द्वारा वन-अपराध घटित किया जाना आवश्यक है। (म.प्र. राज्य वि. सेल्स एजेन्सीस 2005 (1) विधि भास्वर 163 (सु.को.) = A.I.R. 2004 S.C. 2088 = 2004 क्रि. लॉ. ज. 1832 = 2004 सु.को. के (क्रि.) 1313)।

(2) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति को जप्त (Seize) करने वाला अधिकारी, ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगावेगा कि इसका इस प्रकार अभिग्रहण (Seizure) किया गया है और अभिग्रहीत सम्पत्ति को यथाशीघ्र या तो सहायक वन-संरक्षक के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार ने अधिसूचित द्वारा इस निमित्त अधिकृत किया हो (जो इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकृत अधिकारी" (Authorised Oficer) के नाम से निर्दिष्ट है) के समक्ष पेश करेगा। जहाँ परिणाम (Quanitity), प्रपुँज (Bulk) या अन्य वास्तविक (Genuine) कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह साध्य न हो कि अभिग्रहीत सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश किया जावे, वहाँ वह अभिग्रहण (Seizure) के बाबत रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को करेगा, या जहां अपराधी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही (Criminal proceedings) तुरन्त आरम्भ करने का मत हो तो वह ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, उस अपराध का जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को करेगा :

परन्तु जब वह वन-उपज, जिसके बारे में ऐसे अपराध किये जाने का विश्वास है, सरकार की सम्पत्ति है और अपराधी अज्ञात है तो यदि अधिकारी, परिस्थिति के बारे में रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ (Official Superior) को यथाशक्य शीघ्र दे देता है तो पर्याप्त होगा।

(3) उपधारा (5) के अध्यधीन रहते हुए जहाँ प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थित अभिग्रहीत सम्पत्ति अपने समक्ष पेश किये जाने पर या अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि उसके बारे में कोई वन अपराध किया गया है वह लिखित आदेश द्वारा और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों, से उस वन उपज को जो इस प्रकार अभिग्रहीत की गई है, समस्त औजारों, यानों, नावों, रस्सों, जंजीरों किसी अन्य वस्तु सहित जिनका प्रयोग ऐसे अपराध को करने के लिए किया गया है अधिहृत (Confiscate) कर सकेगा। अधिहरण के आदेश की एक प्रति अविलम्ब उस वन वृत्त सरक्षक को भेजी जायेगी जिसमें इमारती लकड़ी या वनोपज अभिग्रहीत की गई है।

(4) धारा (3) के अधीन किसी सम्पत्ति को अधिहरण करने वाला आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्राधिकृत अधिकारी -

(क) सम्पत्ति के अधिहरण के लिये कार्यवाही किये जाने के बारे में सूचना, उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रट को विहित प्रारूप में नहीं देता।

---

3. म.प्र. अधि. क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित 27.3.2010 से प्रभावशील।

(ख) उस व्यक्ति को जिसकी सम्पत्ति अभिग्रहीत की गई है, या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसके बारे में प्राधिकारी अधिकारी को यह प्रतीत होता हो कि उसका ऐसी सम्पत्ति में कोई हित है, लिखित सूचना नहीं दे देता है।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जावे, करने का अवसर नहीं दे देता; और

(घ) अधिहरण करने वाले अधिकारी की एवं तथा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की जिसे या जिन्हें खण्ड (ख) के अधीन सूचना दी गई है, सुनवाई उस प्रयोजन के लिये नियत की गई तारीख को नहीं कर लेता।

(5) धारा (3) के अधीन किन्हीं औजारों, यानों, नावों, रस्सों, जंजीरों, या अन्य वस्तु को अधिहृत करने का आदेश नहीं किया जावेगा, यदि उपधारा (4) के खण्ड में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, "प्राधिकृत अधिकारी" के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि किन्हीं ऐसे औजारों, यानों, नावों, रस्सों, जंजीरों या अन्य वस्तुओं का प्रयोग उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के बिना या यथा स्थिति उसके नौकर या अभिकर्ता (Agent) की जानकारी या मौनानुकूलता कि बिना किया गया था और यह कि वन अपराध किये जाने के लिये पूर्वोक्त वस्तुओं के प्रयोग को रोकने के लिए समस्त सम्यक् (Reasonable) और आवश्यक पूर्वावधानियाँ (Precautions) बरती गई थी।

टिप्पणी

वन अपराध में प्रयुक्त वाहन को समपहृरण का आदेश पारित करने के पूर्व यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या यह प्रमाणित होती है कि उस अपराध में प्रयुक्त वाहन को उसके स्वामी की जानकारी में प्रयुक्त किया गया था। ऐसे निष्कर्ष के अभाव में यान के समपहृरण का ओदश विखंडित किया गया। (प्रकाश राय वि. म.प्र. राज्य 2006 (4) मनिसा 145 म.प्र. = एवं देवकी नंदन शर्मा वि. प्राधिकृत अधिकारी एवं अपर वन मंडलाधिकारी वर्गे. 2011 (3) म.प्र. वी. नो. 132 (म.प्र.)।

विचारण न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को वन-अपराधों में दोषमुक्त किया गया था तब उस अपराध में प्रयुक्त वाहन के समपहृरण का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं था अत: उसे विखंडित किया गया। (केशव प्रसाद गुप्ता वि. म.प्र. राज्य वगै. 2013 (2) म.प्र. लॉ.ज. 149 (म.प्र.)।

वन-अपराध में प्रयुक्त मशीन एवं डम्परों को ठेकेदार ने किराये पर लेकर उसको जानकारी दिए बिना उसका कथित वन-अपराध में प्रयोग किया था। किंतु अपीलार्थी को बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद उसने मूल परिवहन करार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था अत: उसके अभिवाक को निरस्त करने के ओदश की पुष्टि की गई। (रामेन्द्रपाल सिंह वि. म.प्र. राज्य वगै. 2013 (2) म.प्र.लॉ.ज. 226 (खंडपीठ म.प्र.)।

इन्दौर से कार मालिक ने उसके मामा को कार से भोपाल पहुँचाने हेतु कार चालक को भेजा था। भोपाल से इन्दौर वापिसी यात्रा में कार चालक ने कुछ व्यक्तियों को यात्रा करने दी, जो अवैध रूप से चंदन की लकड़ी ले जा रहे थे। इस तथ्य का कार मालिक को ज्ञान नहीं था। चूँकि जप्त कार का उपयोग कार परिवहन किया गया था अत: कार के समपहृरण आदेश को विखण्डित किया गया। (देवकी नंदन वि. प्राधिकृत अधिकारी 2012 (2) म.प्र.लॉ.ज. 45 म.प्र.)।

[1](6) अभिगृहीत सम्पत्ति, प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की अपील प्राधिकारी द्वारा पुष्टि होने तक या उसके द्वारा स्वप्रेरणा से कार्रवाई प्रारम्भ करने की कालावधि की समाप्ति तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, धारा 52-क के अधीन यथाविहीत अभिरक्षा में बनी रहेगी।

[1](7) जहाँ मामले की अधिकारिता रखने वाला प्राधिकृत अधिकारी, अभिग्रहण में या अन्वेषण में स्वयं अन्तर्वलित है, वहाँ अगला उच्च प्राधिकारी इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के संचालन के लिए उसी श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को मामला अन्तरित कर सकेगा।"

[2](नवीन धारा 52 क, ख, ग, का अन्त:स्थापन) - मूल अनिअधिनियम में धारा 52 के पश्चात् निम्नलिखित धाराये अन्त:स्थापित की जावें अर्थात् :

---

1. म.प्र. अधि. क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा जोड़ा गया।
2. म.प्र. अधि. क्र. 25 वर्ष 1983 द्वारा धारा 52, क, ख, ग का अन्तस्थापन।

धारा 52-क. प्रधिकृत अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील - [1]प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर या यदि ऐसे आदेश सम्बन्धी तथ्य (Fact) की संसूचना उसे नहीं दी गई हो, ऐसे आदेश की जानकारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उस वन वृत्त के वन संरक्षक को (जिसमें वन उपज अभिग्रहीत की गई हो) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अपीलीय अधिकारी" के नाम से निर्दिष्ट है) को लिखित में अपील, ऐसे फार्म में तथा ऐसी फीस के साथ जो विहित की गई है, कर सकेगा और उसके साथ अधिहरण (Confiscation)आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जावेगी।

स्पष्टीकरण

(1) इस उपधारा में तीस दिन की कालावधि की गणना करने में वह समय अपवर्जित (Excluded) कर दिया जायेगा जो आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिये अपेक्षित रहा हो।

(2) उपरोक्त धारा 1 में वर्णित "अपीलीय अधिकारी" जब कोई अपील प्रस्तुत न हो, तब प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के आदेश प्राप्त किये जाने की तारीख से 30 दिन के अन्दर 'स्व प्रेरणा' (Suo-moto) से कार्यवाही कर सकेगा और उसकी सूचना, अभिग्रहण करने वाले अधिकारी को, तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका कि अपीलीय अधिकारी की राय में, अभिहरण के आदेश से प्रभावित होना संभाव्य है, दे सकेगा या अपील के ज्ञापन प्राप्त होने की दशा में वह अपील की सूचना उन व्यक्तियों को देगा और मामले के अभिलेख मंगा सकेगा:

परन्तु अपील की औपचारिक सूचना, यथापूर्वेक्त अपीलार्थी, अभिग्रहण करने वाले अधिकारी, और प्रतिकूलत: प्रभावित होने वाले किन्हीं व्यक्तियों में से उनको दिया जाना आवश्यक नहीं होगा जो सूचना का अधित्यजन (Waive) कर दें या जिन्हें अपील सुनवाई की तारीख 'अपीलीय अधिकारी' द्वारा अन्य रीति से सूचित कर दी जावे।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील की स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही के बारे में प्राधिकृत अधिकारी को सूचना लिखित में देगा।

(4) अपील प्राधिकारी, अधिहरण, की गई विषय-वस्तु की अभिरक्षा (Custody), परिरक्षण (Practitioner) या व्ययन (Dsiposal) (यदि आवश्यक हो) के लिए अन्तरिम आदेश कर सकेगा जैसे कि उस मामले में परिस्थिति में न्याय संगत और उचित होते हों।

(5) 'अपील अधिकारी' मामले की प्रकृति या अन्तर्गत जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए अपील के पक्षकारों को, उनका प्रतिनिधित्व उनके अपने-अपने विधि व्यवसायियों (Legal Practitioner) द्वारा किये जाने अनुज्ञा दे सकेगा।

(6) अपील की या 'स्वप्रेरणा' से की जाने वाली कार्यवाही की सुनवाई के लिये नियत की गई तारीख को या ऐसी तारीख को जो सुनवाई स्थगित की जाने के पश्चात् निश्चित की गई हो, अपील अधिकारी, अभिलेख का परिशीलन करेगा, और यदि अपील के पक्षकार स्वयं उपस्थित हों तो उनकी सुनवाई करेगा या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने, उसे उलटने (Revesal) या उसे उपान्तरित (Modify) करने का आदेश पारित करने की कार्यवाही करेगा :

परन्तु यदि कोई अन्तरिम आदेश पारित करने के पूर्व, अलील प्राधिकारी, अपील या स्वप्रेरणा से की गई कार्यवाही के उचित निर्णय के लिये आवश्यक समझता है तो अतिरिक्त जाँच या तो स्वयं करेगा या प्राधिकृत अधिकारी से करावेगा, और किसी ऐसे तथ्य का, जो विचारार्थ हो, प्राख्यान या खण्डन करने के लिये, पक्षकारों, को शपथ पत्र फाइल करने को अनुज्ञात कर सकेगा और तथ्यों का प्रमाण शपथ (Affidavits) द्वारा दिये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(7) अपीलीय अधिकारी पारिणामिक स्वरूप (Consequential nature) के ऐसे ओदश पारित कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे।

(8) अन्तिम आदेश, या पारिणामिक स्वरूप आदेश की प्रति अनुपालन के अथवा अपील अधिकारी के आदेश के अनुकूल अन्य समुचित आदेश पारित करने के लिए "प्राधिकृत अधिकारी" को भेजी जावेगी।

---

1. म.प्र. अधि. क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा जोड़ा गया।

धारा 52. ख. अपील अधिकारी के आदेश के विरूद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण 52-ख-

(1) अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील अधिकारी द्वारा पारित किये गये अन्तिम आदेश से या पारिणामिक स्वरूप आदेश से व्यथित हो, उस आदेश के, जिसके विरूद्ध आक्षेप किया जाना ईप्सित है, तीस दिन के भीतर, सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण के लिये याचिका प्रस्तुत कर सकेगा जिसके सेशन खण्ड के भीतर अधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के अधीन तीस दिन कीकालावधि की संगणना करने में, वह समय अपवर्जित किया जावेगा जो अपील अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित रहा हो।

(2) सेशन न्यायालय, अपील अधिकारी द्वारा पारित किये आदेश की पुष्टि कर सकेगा, या उसे उपट सकेगा या उसे उपान्तरित कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण में पारित किये गये आदेश की प्रतियाँ अपील अधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारी को अनुपालन हेतु, या ऐसे अतिरिक्त ओदश पारित करने हेतु या ऐसी अतिरिक्त कार्यवाही करने हेतु भेजी जावेगी जैसी की न्यायालय द्वारा निर्देशित की जावे।

(4) इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चित करने के लिये, सेशन न्यायालय, यथाशक्य उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसका कि प्रयोग और अनुसरण वह दण्ड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code 1973) (1974 का 2) के अधीन किसी पुनरीक्षण का ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चय करने के समय करता है।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पारित किया गया सेशन न्यायालय का ओदश अन्तिम होगा और उसे किसी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी

वन अपराध में जप्त संपत्ति वाहन के समपहरण का आदेश को अपीलीय प्राधिकारी/वन संरक्षक द्वारा विखंडित कर प्रकरण को पुन: आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। ऐसा आदेश अंतिम आदेश है अत: अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी सेशन न्यायालय में पोषणीय है। (म.प्र. राज्य वि. भानुप्रताप सिंह 2009 (1) म.प्र. हा. टु. 33)।

निगरानी न्यायालय (सेशन न्यायालय) द्वारा वाहन को सुपुर्दगी में देने के आदेश के विरूद्ध समादेश याचिका अप्रचलनीय है। (धरमचन्द्र वि. पंजाब राज्य 2009) (1) म.प्र. हा. टु. 38)।

धारा 52. ग. कतिपय परिस्थितियों में न्यायाल की अधिकारिता का वर्जन - उस अपराध का, जिसके कारण उस सम्पत्ति का अभिग्रहण (Seizure) किया गया है जो कि अधिहरण की विषय-वस्तु है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को, सम्पत्ति के अभिगहण के लिये कार्यवाहियाँ शुरू की जाने के बारे में धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन सूचना के प्राप्त हो जाने पर, किसी न्यायालय, अधिकरण, या प्राधिकारी (जो धारा 52, 52-क, 52ख में निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, अपील अधिकारी या सेशन न्यायालय से भिन्न हो) को इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात होते हुए भी, उस सम्पत्ति के कब्जे, परिदान, व्ययन या वितरण के विषय में कोई आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके बारे में धारा 52 में अधिहरण की कार्यवाहियाँ शुरू हो गई हैं।

स्पष्टीकरण - यहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, वन अपराध की विचाउरण करने की अधिकारिता दो या अधिक न्यायालयों को हो, वहां ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में से किसी एक को धारा 52 (4) के अधीन सूचना प्राप्त होने का यह अर्थ लगाया जावेगा कि उस उपबन्ध के अधीन सूचना समस्त न्यायालों को प्रापत हो गई है और अधिकारिता का प्रयोग करने का वर्जन समस्त न्यायालयों पर प्रवर्तित होगा।

(2) उपधारा (1) में की गई कोई बात धारा (61) के अधीन व्यावृत (Saved) शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

टिप्पणी

वन अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत वन अपराधों में प्रयुक्त ट्राली को वन अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत किया गया था। धारा 52 के अधीन तत्संबंध में वन अधिकारी द्वारा स्थानीय मजिस्ट्रेट को प्रेषित सूचना प्राप्ति उपरांत जप्त शुदा ट्राली को मजिस्ट्रेट के लिए सुपुर्दगी में दोनों का अधिकार नहीं है। (राम निवास वि. गेम रेंज चम्बल सेंचुरी, भिंड 2012 (2) म.प्र.लॉ.ज. 661 (म.प्र.)।

टिप्पणी - (1) श्री कन्हैयालाल पुत्र जानकीलाल ब्राह्मण निवासी सेन्धवा का ट्रक क्र. MHB 5995 दिनांक 24.2.85 को जप्त हुआ। इस जप्ती की सूचना धारा 52(4) क अन्तर्गत सेन्धवा स्थित मजिस्ट्रेट को दी गई। श्री कन्हैयालाल ने धारा 451 द.प्र.सं. के तहत ट्रक को सुपुर्दनामे पर देने हेतु न्यायालय सेन्धवा में आवेदन दिया जो प्रकरण क्र. 63/85 दर्ज हुआ। यह आवेदन न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 2.5.85 द्वारा खरिज हुआ।

इस आदेश के विरूद्ध उन्होंने उच्च न्यायालय, बेन्च इन्दौर में रिवीजन पिटीशन दर्ज किया जो प्रकरण क्र. Cr. R/105/85 दर्ज हुआ। इस रिवीजन पिटीशन में धारा 451 C-PC के अन्तर्गत ट्रक को सुर्पुदामे पर देने के अतिरिक्त यह भी निवेदन किया कि ट्रक में सागौन इमारती लकड़ी थी जो म.प्र. वनोपज व्यापार (विनिमयन) अधिनियम, 1669 से नियन्त्रित है तथा वह इस नियम में घोषित specified forest produce पर उसकी धारा 22 के अनुसार भारतीय वन अधिनियम, 1927 या अन्य नियम लागू नहीं होते।

उच्च न्यायालय ने अने फैसले दि. 11.4.86 में निर्णय दिया कि यद्यपि सागौन इमारती लकड़ी विनिर्शिष्ट वनोपज है, लेकिन केवल उस सम्बन्ध में ही अन्य नियम नहीं लगते जिनका प्रावधान म.प्र. वनोपज व्यापार (विनियमन) अधिनियम 1969 में है तथा धारा 52(ग) इस पर लागू होता और रिवीजन पिटीशन खारिज हुआ।

वन अपराध प्रकरणों में राजसात किये गये वाहनों के शासकीय उपयोग/विक्रय के लिये प्रक्रिया :

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 239/4573/10/2/91 दिनांक 10 जनवरी 1992 के द्वारा वन अधिनियमों के अन्तर्गत राजसात हुए वाहनों के शासकीय उपयोग में लेने, अथवा विक्रय करने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की है, तथा :

भ. व. अ. 1927, म. प्र. वनोपज (व्यापार-विनियमन) अधिनियम 1969, म. प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 एवं म.प्र. वनोपज अभिवहन (गमन) नियम 1961 के अन्तर्गत अवैध वनोपज के परिवहन में लिप्त वाहन राजसात करने के अधिकार वन अधिकारियों को दिये गये हैं, इन प्रावधानों के अन्तर्गत जो भी वाहन राजसात किये जाते हैं उनके शासकीय उपयोग अथवा निवर्तन के सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :

राजसात शुदा वाहन जैसे कार, ट्रक आदि, यदि विभागीय कार्य के उपयुक्त हों तो सम्बन्धित वन मण्डलाधिकारी वाहन के समस्त विवरण उपलब्ध कराते हुए उक्त वाहन के शासकीय उपयोग में लाने के लिए, शासन से अनुमति हेतु, प्रस्ताव मु.व.सं. (संरक्षण) मु.व.सं. (उत्पादन) के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। जिन वाहनों को शासकीय उपयोग में लाया जाता है उसके सम्बन्ध में वाहन का निर्माण वर्ष, उक्त वाहन के द्वारा आज तक तय की दूरी, वाहन की वर्तमान स्थिति आदि के सम्बन्ध में मोटर वाहन निरीक्षक (Motor Vehicle Inspector) या अन्य किसी प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रकरण के साथ शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

(2) यदि राजसात हुआ वाहन शासकीय उपयोग हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसका निवर्तन; निम्नानुसार किया जावेगा :

(क) प्रत्येक वन वृत्त से राजसात शुदा वाहनों के अवरोध मूल्य निर्धारित करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा :

(अ) सम्बन्धित वन वृत्त के वन संरक्षक ..... अध्यक्ष,

(ब) जिस वर मण्डल के अन्तर्गत वाहन
राजसात किये गये है उनको छोड़कर
अन्य किसी दो वन मण्डलों के वन
मण्डलाधिकारी ..... सदस्य

(स) वन मण्डलाधिकारी, जिसके क्षेत्र
के वाहन राजसात किये गये हैं .....सदस्य सचिव

(द) लोक निर्माण विभाग (ई. एण्ड एम)
या सिंचाई विभाग (E & M) के प्रतिनिधि ..... सदस्य

(कम से कम कार्यपालन यन्त्री स्तर के हों)

उपरोक्त समिति, वाहन का अवरोध मूल्य निर्धारण करने में अन्य मुद्दों के साथ साथ वाहन का निर्माण वर्ष, वाहन का मूल मूल्य, वर्तमान में नये वाहन के मूल्य एवं वाहन की वर्तमान स्थिति का भी ध्यान रखेगी।

(ख) वन मण्डलाधिकारी (जिसके क्षेत्र में वाहन राजसात किया गया है) द्वारा आवश्यक प्रसार प्रचार उपरान्त सील बन्द निविदा के माध्यम से निविदा बुलवाई जावेगी।

(ग) अवरोध मूल्य से अधिक ऑफर प्राप्त होने पर विक्रय की स्वीकृत देने हेतु वन मण्डलाधिकारी ही सक्षम होंगे। यदि दो बार निविदा के प्रयास होने के पश्चात् भी अवरोध मूल्य से कम राशि की निविदा प्राप्त हो तो 10% तक कम राशि की स्वीकृति देने हेतु वन संरक्षक सक्षम होंगे। यदि 10% से कम मूल्य की निविदा प्राप्त हो तो विक्रय मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

(घ) निविदा पूरी करने के प्रक्रिया, ट्रक के राजसात के आदेश पारित होने के दिनांक से, चार माह के अन्दर पूरी की जावेगी।

उप सचिव
म.प्र. शासन

शासन की अधिसूचना

(1) म. प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्र. 2998/दस/3/83 दिनांक 24-10-83 से धारा 52 संशोधित के अन्तर्गत राज्य शासन ने सहायक वन संरक्षक को 'प्राधिकृत अधिकारी' नियुक्त किया है।

(2) म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्र. 1808/दस/3/83 दिनांक 11-5-84 जो राजपत्र दि. 11-5-84 के पृष्ठ 1523 पर प्रकाशित हुई के अन्तर्गत राज्य शासन ने उप वन संरक्षक तथा विशेष कर्तव्य अधिकारी को धारा 52 (संशोधित) के अन्तर्गत 'प्राधिकृत अधिकारी' नियुक्त किया है।

(3) धारा 52 में 52A. 52B तथा 52C मध्यप्रदेश राज्य संशोधन अधिनियम क्र. 25/1983 द्वारा जोड़ी गई और 1 नवम्बर 1983 से प्रभावी की गई।

न्यायालयों के निर्णयों के उद्धरण

(1) वन अधिकारी की अभिग्रहण और गिरफ्तारी की धारा 52 के अन्दर शक्ति उस दशा में कार्यवाही की जाने के लिए प्राधिकृत करती है जब वन अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वन सम्बन्धी अपराध किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्राधिकारी न केवल वन उपज जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया है उसको अभिग्रहीत (Seize) करने शक्ति रखता है बल्कि उन औजारों (Tools), नावों (boats) गाडियों (Carts) या पशु जानवरों को भी जो अपराध करने में प्रयोग में लाये गये हैं - उन्हें भी अभिग्रहीत कर सकता है। वन-अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार करने की भी शक्ति है जिसके विरूद्ध यह युक्तियुक्त सन्देह (reasonable suspicion) मौजूद है कि उसका ऐसे वन-अपराध से सम्बन्ध है कि जिसकी सजा एक माह के कारावास तक हो सकती है यह धारा 64 में उपबंधित किया गया है - अयोध्याप्रसाद वि. स्टेट म. प्र. - 1978 (1) म.प्र.वी. नोट 491 (जस्टिस जी.पी. सिंह (श्री गुरु प्रसन्न सिंह - म. प्र. हाईकोर्ट)

(2) धारा 52 - क्लास 121 फारेस्ट मैन्युअल हाल्यूम 1 - इमारती लकड़ी का अभिग्रहण-प्राधिकारी पर प्रमाण भार है कि वह सिद्ध करे कि अवैध साधनों द्वारा व्यक्ति इमारती लकड़ी के कब्जेदार बने हैं - यदि यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है तो इमारती लकड़ी छोड़ने के योग्य होगी - (जस्टिस गोलवलकर-मिस. पिटीशन नं. 38/1958 निर्णीत दिनांक - 18.11.1959 (मध्यप्रदेश हाईकोर्ट) ;

(3) अधिहरण करने का आदेश (order of confiscation) ठीक निरस्त किया गया - सेशन्स जज ने रिव्हीजनल को दो आधारों पर मंजूर की जिसे हाईकोर्ट म.प्र. के जस्टिस व्ही.डी. ग्यानी ने उचित ठहराया। सेशन्स जज का निर्णय का पहला आधार यह था कि कन्सरवेटर फारेस्ट-अपीलीय अधिकारी ने यांत्रिक तौर पर मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना आदेश पारित किया और इस तथ्य की अनदेखी की कि क्या खदान संरक्षित वन में थी ? रिव्हीजनल कोर्ट सेशन्स जज इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सर्वे नम्बर 121/1 रकवा 8.25 हैक्टेयर का पट्टा रिस्पोडेन्ट को दिया गया था और यह सामग्री रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह दर्शित हो सके कि यह भूमि संरक्षित वन में शामिल की गई थी जो नक्शा पेश हुआ है उससे यह दर्शित नहीं होता कि सर्वे नम्बर 267 का कोई कम्पार्टमेन्ट (भाग) था जो संरक्षित वन में समाविष्ट है। इस आधार पर सेशन जज का फैसला उचित है - (डिविजनल फारेस्ट आफीसर वि. गोरधन लाल - 1986 (II) म. प्र. वी. नोट 182 जास्टिस व्ही. डी. ग्यानी म. प्र. हाईकोर्ट)

(4) धारा 52 (2) के अधीन रिपोर्ट - अभिग्रहीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अभिग्रहण करने वाला अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी यथाशीघ्र ही अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट करेगा। यदि दाण्डिक कार्यवाही तुरन्त आरम्भ करने का मत हो तो विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट की जायेगी। अभिग्रहण करने के समय तथा रिपोर्ट करने के समय के बीच अन्तर थोड़ा रहना चाहिये हफ्तों या महीने नहीं बीतना चाहिये - (कमलेश कुमार हरवंश लाल छावड़ा वि. स्टेट म. प्र.- 1985 म.प्र.ला.ज. 72 = ए.आयआर. 1985 म.प्र् 130 जस्टिस मुले तथा जस्टिस ग्यानी);

(5) मध्यप्रदेश सरकार द्वारा धारा 52 तथा 55 में किया गया संशोधन पूर्वगामी (भूतलक्षी) (Retrospective) नहीं है अर्थात् संशोधन दिनांक से पूर्व प्रभावी नहीं है। संशोधित धारा 52(3) में धारा 52(बी) के अधीन कन्सरवेटर फारेस्ट के आदेश के विरूद्ध सेशन्स कोर्ट में निगरानी (पुनरीक्षण-Revision) का प्रावधान है। धारा 52-सी के अधीन कोर्ट की अधिकारिता पर उस दशा में रोक लगाई गई है जब वन अपराध कारित करने में प्रयोग में लाये गये वनोपज या वाहन के बारे में डिवीजनल फारेस्ट आफीसर ने कोर्ट को यह इत्तिला कर दी हो कि उनके अधिहरण (Confiscation) की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है - धारा 55 (संशोधित) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिहरण का आदेश धारा 52(2) लगायत 52 सी के अध्यधीन (Subject to) रहेगा और धारा 54 के अधीन सम्पत्ति के व्ययन (disposal) का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाना तभी सम्भव है जब अधिहरण की कार्यवाही की जाने की कोई इत्तिला वन मण्डलाधिकारी की ओर से कोर्ट को नहीं मिली हो - (अहमद जी वि. स्टेट म. प्र. - 1985 JIJ 482 = 1985 म.प्र.ला.ज. 243 = AIR 1986 म.प्र. 1-जस्टिस सी.पी. सेन तथा जस्टिस अवस्थी - (म.प्र. हाईकोर्ट)

(6) धारा 52 म. प्र. हाईकोर्ट के कूट परीक्षण का अवसर देने के लिए मामला लौटाया - ट्रैक्टर तथा ट्राली के अधिहरण (Confiscation) का आदेश हुआ। रिझर्व फारेस्ट में एक ट्रैक्टर तथा ट्राली को चैक किया गया और 290 ताजे बाँसों और 9 ताजी बल्लियाँ उनमें लदान की गई पाई गई। ट्रेक्टर को धरमदास चर्मकार द्वारा चलाया जा रहा था। ट्रैक्टर के साथ श्रमिकगण थे जिन्होंने बताया कि ये वनोपज रिझर्वफारेस्ट से काटी गई है। नॉन एप्लीकैण्ट के कहने पर संगवही के आरक्षित जंगल से काट कर सेमरा गांव ले जाई जा रही थी। ड्रायवर के पास ट्रांजिट पास नहीं था, इसलिये वनोपज को अभिग्रहीत किया गया हैर केस रजिस्टर हुआ। ड्रायवर शो काज नोटिस पर जवाब आया कि ट्रैक्टर ट्राली चन्द्रकान्त उर्फ रामवल का है जिसे उसने ही सिंघरोड़ी रोड के लिए पानी लाने के लिए लगाया गया था। धरमदास इस ट्रैक्टर का क्लीनर होना जवाब में बताया गया। 1 अप्रैल 1984 को काम समाप्त होने पर ट्रक धरमदास की देख रेख में छोड़ा गया था। जवाब के अनुसार ये बांस निस्तार के लिए सगुना, फददू गिरधारी, सम्पत, शम्भू, दारोनी, धरमदास क्लीनर की परमीशन पर ले जा रहे थे। उन्होंने बांस तथा बल्लियां अपनी होने या उनके कहने पर काटे जाने के तथ्य से इन्कार किया। यह जवाब नामंजूर किया गया और अपराध धारा 52 सह पठित धारा 5 तथा 12 वन उपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 के अधीन किया जाना पाया गया। ट्रैक्टर ट्राली के अधिहरण (Confiscation) का आदेश दिया गया। कन्सरवेटर फारेस्ट शहडोल (मध्यप्रदेश) के यहाँ अपील की गई जो 16.08.1984 को खारिज हुई। अतिरिक्त सेशन्स कोर्ट के यहाँ रिव्हीजन की याचिका प्रस्तुत की गई। जिसमें यह विनिश्चित किया गया कि अभियोजन ने यह साबित नहीं किया कि जिस जगह से अभिग्रहण (Seizure) किया गया वह जगह आरक्षित वन थी। मौखिक साक्ष्य इस बारे में काफी नहीं है तथा अभियुक्तजन को वन अधिकारियों ने जो गवाहान के कथन लिये उन पर कूट परीक्षण (Cross examination) का अवसर नहीं दिया गया जो कानून के विपरीत है उन्होंने विचारण तथा अपील कोर्ट के निर्णयों को रद्द किया और ट्रैक्टर/ट्राली लौटाये जाने का आदेश दिया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में स्टेट म. प्र. की ओर से मामला पहुंचने पर जस्टिस गुलाब सी. गुप्ता ने मानपुर D.F.O. को मामला लौटाते हुए अभियुक्त जन को गवाहान पर कूट परीक्षण करने का अवसर देने के पश्चात् कानून के अनुसार निर्णय देने के निर्देश के साथ आदेश पारित किया। (स्टेट म. प्र. वि. हीरालाल पटेल - 1993 FLT (समरी) 15 म. प्र. हाईकोर्ट, (जस्टिस गुलाब सी. गुप्ता (म.प्र.)।

(7) धारा 52, 52A तथा 52B के अधीन अधिहरण का आदेश - दुखी व्यक्ति अस्थायी व्यादेश (Temporary Injunction) के लिए प्रार्थना कर सकती है।

अस्थायी व्यादेश के लिए मामले की सुनवाई करते समय न्यायालय को गुणागुण (on meritis) पर मामले को नहीं विचार में लेना चाहिये। अस्थायी व्यादेश की कार्यवाही पूरक कार्यवाही (Supplemental proceedings) होती है जिसमें मूल मामले को प्रेस नहीं किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94 (सी.पी.सी.) पूरक कार्यवाही के विषय में स्पष्ट है धारा 94 क्लाज सी में न्यायालय की शक्ति अस्थायी व्यादेश की मंजूरी के बारे में है। न्यायालय जिसके समक्ष अधिकारिता का प्रश्न उठाया जाये उसे अन्तरिम आदेश जारी करने की शक्ति है बिना इसके कि पहले अधिकारिता पर विचार किया जाए। जब तक कि अधिकारिता का प्रश्न नकारात्मक न निर्णीत किया जावे तब तक प्राथमिक दृष्टि से न्यायालय को मामले से संबंधित कानून सम्मत समस्त कार्य एवं किसी कार्यवाही को करने का अधिकार है - (प्रीतपाल सिंह वि. स्टेट म. प्र. 1988 ज.ला.ज. 549 = AIR 1989 NOC 207 (जस्टिस ए. के. दुबे - म. प्र. हाईकोर्ट)

(8) धारा 52(2) तथा 54 - सम्पत्ति का व्ययन - (disposal of property) इस कार्यवाही में अन्तिम आदेश के अध्यधीन बने रहकर अन्तरिम व्ययन का आदेश दिया जा सकता है। बाद में जो अन्तिम (Final order) आदेश न्यायालय का होगा उसके अनुसार अन्तरिम आदेश प्रभावित रहेगा। शब्बीर अली वि. स्टेट म. प्र. - 1986 ज. ला. ज. 469 = 1987 म. प्र. लॉ. ज. 57 जस्टिस व्ही. डी. ग्यानी म. प्र. हाईकोर्ट)

(9) धारा 52-C दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 451 तथा 457-वन अपराध कारित करने में कथित रूप से प्रयोग किये गये, अधिहरण किये जाने वाले (of vehicle to be confiscated) यान की सुपुर्दगी के आवेदन को मजिस्ट्रेट नामंजूर कर दिया। उस आदेश के विरुद्ध रिव्हीजन हाईकोर्ट में की गई जस्टिस के.एल. इसरानी म.प्र. हाईकोर्ट ने रिषीनाथसिंह विरुद्ध स्टेट म. प्र. - 1992 F.L.T. 109 (म.प्र.) में यह करार दिया कि जब ट्रक पुलिस द्वारा नहीं बल्कि रेंज अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत (Seized) किया गया और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया तथा उस ट्रक के सम्बन्ध में धारा 52 फोरेस्ट एक्ट 1927 की आकर्षित होती है तब मजिस्ट्रेट का अधिकारी उस ट्रक को अन्तरिम अभिरक्षा में दिये जाने के बारे में समाप्त हो जाता है उसके अधिकार के बाहर की बात हो जाती है (बाबूलाल लोधी वि. स्टेट म.प्र. 1987 म.प्र.ला.ज. 316=1987 ज.ला.ज. 423; तथा कन्हैयाला वि. स्टेट - 1988 ज.ला.ज. 94 अनुसरित) - (मामले के तथ्य ये थे कि फारेस्ट डिपार्टमेन्ट ने एक ट्रक को 35 पत्थर ले जाते हुए 8.12.1990 के जब्त (Seize) किया था किन्तु फारेस्ट विभाग की कस्टडी में ट्रक आवेदक ले भागने में सफल हो गया। फारेस्ट डिपार्टमेन्ट ने इस बारे में पुलिस स्टेशन रायसेन में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने केस धारा 353, तथा 186 सह पठित धारा 34 (IPC) के रजिस्टर किया और बाद में ट्रक चोरी होने के बारे में धारा 379 (IPC) और जोड़ दी गई। अभियुक्तो की जमानत 23.12.90 को ली गई और 25-12-90 को ट्रक जप्त किया गया तथा चालान 26-12-90 को CJM रायसेन के समक्ष किया गया। उसी दिन आवेदक ने ट्रक के सुपुर्दगी में देने हेतु आवेदन धारा 451, 457 (CrPC) में पेश किया। फारेस्ट रेंज आफिसर ने एक आवेदन CJM को पेश किया जिसमें यह बातया गया कि आवेदक के विरूद्ध फारेस्ट एक्ट 1927 की धारा 26 में केस रजिस्टर्ड है और ट्रक No. MPD 9007 वन अपराध से संबंधित है वन अधिकारी न यह भी निवेदन किया कि धारा 52 फारेस्ट एक्ट के अधीन विचारण न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट को इस मामले में आवेदन धारा 451, 457, CrPC के तहत विचार करने की अधिकारिता नहीं है। अतएव ट्रायल कोर्ट ने ट्रक आवेदक को सुपुर्दगी में दिये जाने का आवेदन निरस्त कर दिया। सेशन्स जज के समक्ष रिव्हीजन पिटीशन फायल की गई वह भी नामंजूर हुई, उसके बाद आवेदक ने रिट पिटीशन नं. M.P. No. 473/1991 फाइल की जो मंजूर होकर मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिया गया कि आवेदक के आवेदन पर ताजा विनिश्चय (Fresh decision) इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21-3-91 में दिये गए observations के प्रकाश में लिया जावे किन्तु CJM रायसेन ने दुबार विनिश्चय में भी आवेदक की सुपुर्दगी में ट्रक दिये जाने की अर्जी नामंजूर कर दी। उसके विरूद्ध हाईकोर्ट में पुन: रिव्हीजन पेश की गई थी।

इस रिव्हीजन में हाईकोर्ट के समक्ष यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया था कि रेट पिटीशन में हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिये थे उससे आवेदक को सुपुर्दगी में लेने के अधिकार अर्जित हुए - इस तर्क के विनिश्चय में पैरा 9, 10 में 1992 FLT 109 (112) में जस्टिस के.एल. इसरानी ने कहा कि -

(1) Proceeding for embracing a right acquired or accured (2) and a legal proceeding for acquisition of a right इन दोनों में अन्तर है, पहला निहित अधिकारी रक्षित है किन्तु मेरी राय में इस कोर्ट द्वारा रिट रिटीशन में दिया निर्देश कि विधिक कार्यवाही सुपुर्दगी में व्हीकल Vehicle लेने की जाय - वह Saved असुरक्षित नहीं है जबकि कोर्ट को फोरस्ट विभाग से नोटिस और इत्तिला मिल चुकी कि वन अपराध के प्रयोग से व्हीकल सम्बन्धित है इसलिये मजिस्ट्रेट को आवेदक की सुपुर्दगी में ट्रक दिये जाने बाबत आवेदन सुनते और विनिश्चय की अधिकारिता नहीं है (1990 MPLJ 188 = JLJ 249) (डौलूमल वि. स्टेट म.प्र. डीबी हाईकोर्ट म.प्र.)

(10) ए.पी. श्रीवास्तव वि. स्टेट म. प्र. - 1990 FLT 325 मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - (जस्टिस गुलाब सी. गुप्ता-मध्यप्रदेश) धारा 319 तथा 482 CrPC) तथा धारा 420, 467 तथा 468-(IPC)- धारा 482 (CrPC) के अधीन आवेदन की गाह्यता-विरले मामलों में शक्ति प्रयोग उस दशा में जब विवशकारी परिस्थितियां शक्ति प्रयोग के लिए मौजूद हों अन्यथा 482 CrPC के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि 15-1-1980 को धारा 379 (IPC) के अपराध के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह पुलिस स्टेशन कोंडागांव में प्रतिप्रार्थी नम्बर 2, 3 तथा एक मृत विनोद कुमार जो अब मर गया है - के नाम सहित दर्ज हुई। उसमें कहा गया कि जंगल की लकड़ी लॉट नम्बर 996/1022 बेईमानी से अभियुक्तों द्वारा फर्जी डाक्यूमेंट के आधार पर हटाई गई। पुलिस ने अपराध 420/467/468 (IPC) के अपराधों की चार्ज शीट (चालान) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर में पेश की, जब मामले में चार्ज लगाने के प्रश्न पर मजिस्ट्रेट ने विचार किया तब आवसेदकों की भी ग्रस्तता (involvement) प्रस्तुत

चालान के अपराध में होना प्रतीत हुई और मजिस्ट्रेट ने धारा 319 (CrPC) के अधीन आवेदकों को भी अभियुक्तों (अपराधकर्ताओं) की श्रेणी में शामिल किये जाने और समन किये जाने का ओदश पारित किया। ओदश दिनांक 29-11-1986 से दुखी होकर आवेदकों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में धारा 482 (CrPC) के अधीन हाईकोर्ट की विशेषाधिकार की शक्तियों के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें अभियुक्त बनाये जाने के आदेश को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। जस्टिस गुलाब सी. गुप्ता ने इस मामले में धारा 482 CrPC की शक्तियाँ किन अवस्थाओं में प्रयोग की जा सकती हैं उनका इस मामले में मौजूद होना नहीं पाया और करार दिया कि प्राथमिक दृष्टि में मजिस्ट्रेट ने रिकार्ड चालान आदि देखकर आवेदकों के विरूद्ध मामला बनाना पाकर उन्हें अभियुक्तों में जोड़े जाने और समन किये जाने का ओदश दिया है जो ठीक है इस स्तर पर उस ओदश में कोई हस्तक्षेप धारा 482 CrPC के अधीन नहीं किया जा सकता। इस मामले में हाईकोर्ट ने निम्न प्रकार से केस पर विचार किया -

(1) जोगिन्दर सिंह वि. स्टेट पंजाब - AIR 179 SC 339, में सुप्रीम कोर्ट लॉ कमीशन की रिपोर्ट (क्रमांक 41) के प्रकाश में विचार करके विनिश्चित किया कि यह सभी न्यायालयों को लागू है, धारा 319 के अधीन न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध जो मामले में अभियुक्त नहीं बनाये गये हैं किन्तु जिनके विरूद्ध विचारण के दौरान अपराध में अभिग्रस्त होने की पर्याप्त साक्ष्य है (against whom there appears sufficient evidence during trial, indicating his involvement in the offence as an accused) अन्य अभियुक्तों के साथ विचारण किया जाने के लिए निर्देश दिया जा सकता है (हरीशंकर व्यास वि. स्टेट म.प्र. 1991 (1) म.प्र.वी.नो. 116) में भिन्न मत है)

जस्टिस गुलाब सी. गुप्ता मध्यप्रदेश ने इस मामले में सुप्रीमकोर्ट के उद्धृत केस में शब्द "Evidence" (साक्ष्य) का निर्वचन किया। उनके अभिमत में धारा 319(1) CrPC में शब्द "Evidence" से अभिप्राय विचारण के दौरान रिकार्ड की गई केवल - 'evidence' नहीं है बल्कि धारा 169 तथा 170 CrPC जो मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले भेजने की स्टेज है उसमें भी शब्द - 'evidence' प्रयोग किया गया है जो दर्शाता है कि अपराध के अन्वेषण के दौरान जो सामग्री इकट्ठी की गई वह भी 'साक्ष्य' होना मानी गई है - (ए.पी. श्रीवास्तव वि. स्टेट म.प्र. 1990 (1) म.प्र.वी.नो - 218) सुप्रीम कोर्ट ने रघुवंश दुबे वि. स्टेट बिहार में अपनाये गये दृष्टिकोण का अनुमोदन ही - (AIR 1967 SC 1167) की पुष्टि ही जोगिन्दर सिंह वि. स्टेट पंजब AIR 1979 SC 339 में भी है (अरूण दुबे वि. स्टेट म.प्र. 1991 CrI.J. 840 (844-845) में की है।

(11) स्टेट म. प्र. वि. राकेश कुमार - 194(1) MPJR 368 जस्टिस एस. के. दुबे, (क्रिमिनल रिव्हीजन नं. 191/1990 निर्णीत दिनांक 14-6-1994 ग्वालियर बैंच);

इस मामले के संक्षिप्त तत्य इस प्रकार हैं कि पुलिस पिछोर (जिला शिवपुरी) मध्यप्रदेश को यह इत्तिला मिलने पर कि ट्रक नम्बर UTP 6276- अस्सी बैग तेंदू पत्ता-वन उपज ट्रांजिट पार (परिवहन परवाना) लिये बिना ले जा रहा है। पुलिस ने ट्रक को 15-8-1990 (12.30 p.m.) पर Seize अभिग्रहण कर लिया। सीजर मेमो बनाया और ड्रायवर राकेश को कस्टडी में लिया। एक केस धारा 379 (IPC) तथा मध्यप्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1964 की धारा 5, 7 तथा 8 के अधीन पिछोर पुलिस द्वारा रजिस्टर किया गया जो क्राइम नं. 139/1990 पर कायम हुआ।

ट्रक जप्त करने के बाद पुलिस पिछोर (जिला शिवपुरी - म. प्र.) ने रेंज आफिसर शिवपुरी (म. प्र.) को इत्तिला दी कि वन अधिनियम के तहत वन अपराध किया गया है अतएव वह ट्रक के अधिहरण (Confiscation) की कार्यवाही करें। इस इत्तिला के साथ F.I.R. तथा Seizure Memo की प्रतिलिपि भेजी गई। डिप्टी डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर शिवपुरी म. प्र. ने 20-8-1990 को चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट शिवपुरी (म. प्र.) को इत्तिला की कि सीज्ड प्रापर्टी के वन अपराध में प्रयोग किये जाने के कारण अधिहरण की कार्यवाही (Confiscation proceedings) प्रारम्भ की जा रही है - सीज्ड प्रापर्टी ट्रक No. UTP 6276 तथा 80 बैग्स तेंदू पत्ता है।

राकेश कुमार रिस्पांडेट को अधिहरण की कार्यवाही के प्रारम्भ करने का नोटिस दिया गया लेकिन वह 1-10-90 के नोटिस के बावजूद नियत दिनांक 15-10-90 तक उपस्थित नहीं हुआ। इसलिये उपवन मण्डलाधिकारी ने एक पक्षीय कार्यवाहीद की और अपराध धारा 41 तथा 52 फारेस्ट एक्ट, 1927 तथा धारा 5 म. प्र. तेंदू पत्ता व्यापार (विनिमय) अधिनियम, 1964 होने का साबित पाया।

इसी बीच प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पिछोर (शिवपुरी) के समक्ष राकेश कुमार ने धारा 451 तथा 457 (CrPC) के अधीन अभिग्रहीत ट्रक को सुपुर्दगी (custody) में देने का आवेदन पेश किया। रेंज आफिसर की रिपोर्ट के बाद रिस्पांडेट का आवेदन नामंजूर किया गया क्योंकि ट्रक धारा 52 भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन अभिग्रहीत (seized) किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिछोर (जिला शिवपुरी म. प्र.) ने यह आदेश भी दिया कि ट्रक को कस्टडी में देने की न्यायालय को अधिकारिता (Jurisdication) नहीं है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने रेंज आफिसर पिछोर (शिवपुरी) को एक लेटर जारी किया कि

अभिग्रहीत ट्रक धारा 379 (IPC) के मामले में भी केस प्रापर्टी है इसलिए उसके निर्णय तक जब्त प्रापर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जावे।

इस आदेश से दुखी होकर रिस्पांडेन्ट ने सेशन्स कोर्ट के समक्ष रिव्हीजन पेश की। सेशन्स जज ने रिव्हीजन मंजूर करते हुए यह समुक्ति की (Observed) कि यह शंकास्पद है कि ट्रक अधिहरण किये जाने योग्य है या नहीं और इस प्रकार निर्देश दिया कि रिस्पाडन्ट को ट्रक सुपुर्दगी में Rs. 50.000 पचास हजार रूपये के बंध पत्र पर दिया जावे। इस आदेश के विरूद्ध स्टेट म. प्र. ने हाईकोर्ट में ग्वालियर बैंच में रिव्हीजन पेश की जिसमें जस्टिस एस.के. दुबे ने निम्नलिखित विनिश्चय किया :

(A) वन अपराध को करित करने में वन उपज तथा व्हीकल अधिग्रहीत (Seized) की जाती है और अभिहरण की कार्यवाही (Proceedings for Confiscation) प्रारम्भ की जाती है जिसकी इत्तिला फारेस्ट एक्ट 1927 की धारा 52(4) के अधीन अधिहरण की कार्यवाही के बारे में अपराध का विचाराधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त की जाती है, तब कोई भी न्यायालय ट्रिब्यूनल या प्राधिकारी-धारा 52, 52A तथा 52-B में निर्दिष्ट किसी को भी यह अधिकार नहीं रहेगा कि वह प्रश्नाधीन प्रापर्टी के कब्जे, डिलेव्हरी, डिस्पोजल या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई आदेश दें। पैरा 5-[1994(1) MPJR 368];

(B) धारा 451 दण्ड प्रक्रिया संहिता केअधीन अभिग्रहीत प्रापर्टी के डिस्पोजल, (व्यय-निराकरण) या निपटारे के सम्बन्ध में - मध्यप्रदेश राज्य वन अधिनियम में धारा 52 अन्त: स्थापित की गई। अत: धारा 52C (सी) की दृष्टि से मजिस्ट्रेट की अधिकारिता समाप्त हो गई है (The jurisdication of the Magistrate to make any order with regard to disposal etc. of the orders seized proertyunder Section 451, CrPC is ousted in view of Section 52-C, inserted in the Forest Act (1) MPJR 368 (S.K. Duey, J)

(C) वन अपराध के लिये यह पेनट कोड या अन्य किसी अधिनियम के अधीन अपराध की साथ अपराध में पुलिस आफिसर द्वारा ट्रक के सीजर (Seizer) धारा 52(1) के अधीन अधिहरण (Confiscation) की कार्यवाही के प्रारम्भ की जाने की इत्तिला के पश्चात् इस न्यायालय की राय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की धारा 451 तथा 457 तथा 457 CrPC के प्रावधानों के अधीन अभिग्रहीत विषय वस्तु के सम्बन्ध में अन्तरिम या अन्तिम अभिरक्षा का आदेश पारित करने के लिए कार्यवाही की अधिकारिता समाप्त रहेगी (will stand ousted)। वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की है - उसे प्राधिकृत अधिकारी को इस बात का समाधान (तुष्टि) करना होगा कि इस प्रकार अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति अधिहरण किये जाने (Confiscation) की दायी नहीं है यदि अधिहरण किये जाने का आदेश दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपील के उपचार का और उसके बाद रिव्हीजन सेशन्स कोर्ट में करने का उपाय करना चाहिये जहाँ धारा 52-C(सी) के अधीन अधिकारिता प्रदान की गई है - Para 11-1994 MPJR 368 (at page 372-373) (मध्यप्रदेश) (जस्टिस एस. के. दुबे);

इसकी पुष्टि में अन्य पूर्व के रूलिंग मध्यप्रदेश तथा अन्य निर्दिष्ट किये गये हैं -

(अ) कन्हैयालाल वि. स्टेट म. प्र. - 1988 ज. ला. 94 - ट्रक फारेस्ट आफिसर द्वारा सीज हुआ तथा कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। अधिहरण की कार्यवाही की इत्तिला धारा 52(4) के अधीन वन विभाग ने मजिस्ट्रट को दी थी उस इत्तिला धारा 52(4) के अधीन वन विभाग ने मजिस्ट्रट की अधिकारिता सीज्ड प्रापर्टी के डिस्पोजल करनेकेआदेश देने की समाप्त हो जाती है।

(आ) रिषीनाथ सिंह वि. स्टेट म. प्र. - 1992 म. प्र. ला. ज. 159 - केस पुलिस में धारा 353 तथा 186 सहपठित धारा 34 (IPC) के साथ रजिस्टर हुआ था, फारेस्ट विभाग ने ट्रक को सीज (Seize) किया था - कन्हैयालाल केस - 1988 JLJ 94 तथा बाबूलाल लोधी वि. स्टेट म. प्र. 1987 JLJ 423 का अनुसरण, करते हुए डीबी म. प्र. हाईकोर्ट ने धारा 52-C के अधीन मजिस्ट्रेट की अधिकारिता, सीज्ड प्रापर्टी के डिस्पोजन के सम्बन्ध में वर्जित मानी।

(इ) रेंज फारेस्ट आफिसर वि. कि रोडीलाल 1987 Cr. L.J. 1314 अधिकारिता का वर्जन केवल धारा 52-B(2) (IF Act) के तहत तब नहीं रहता जब सेशन्स कोर्ट रिव्हीजन की सुनवाई करता है और अधिहरण के आदेश के विरूद्ध की गई अपील खारिज की जाती है।

(ई) स्टेट म. प्र. वि. कुंअर लाल - 1994 (I) म. प्र. वी. नोट 48 - जिसमें ट्रैक्टर-ट्राली को पत्थरों के Slabs के साथ फारेस्ट आफीसर ने सीज किया था और इत्तिला CJM को दी थी। धारा 457 CrPC का आवेदन मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था लेकिन सेशन्स कोर्ट ने रिव्हीजन मंजूर कर ली थी उसके विरूद्ध हाईकोर्ट म. प्र. ने आदेश दिया कि धारा 52, 52-A, 52-B और 52-C फारेस्ट एक्ट (म.प्र. राज्य संशोधन) के देखने से सेशन्स, जज द्वारा दिया गया आदेश बिल्कुल अवैध है (is patently illegal);

(उ) अशोक कुमार वि. स्टेट मध्यप्रदेश-क्रिमिनल रिव्हीजन नं. 59/1989 निर्णीत दि. 13.4.1994) म. प्र. हाईकोर्ट (Unreported case) में यही अभिमत प्रकट किया गया है।

(ऊ) Distinguished Cases - (I) भगवान भाई वि. वन मण्डल अधिकारी - 1995 म. प्र. वी. नोट 44; (2) स्टेट म. प्र. वि. बंशीलाल 1991 म. प्र. वी. नोट 118 प्रश्नाधीन मामले में इसलिये लागू नहीं होते हैं क्योंकि इन दोनों मामलों में अधिहरण (Confiscation) की कार्यवाही नहीं प्रारम्भ की गई थी और इस बारे में कोई इत्तिला अधिकारिता से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं दी गई थी।

(12) धारा 52-ए-अपील-अधिहरण (Confiscation) के आदेश से दुखी व्यक्ति - अपील - आदेश दिये जाने की तारीख से या आदेश सम्बन्धी तथ्य की संसूचना मिलने से जानकारी होने की तारीख से तीस दिन (thirty days) के भीतर उस सरकल के प्रभारी वन संरक्षक (अपील प्राधिकारी) को जिसके क्षेत्र में वनोपज या सम्पत्ति को अभिग्रहीत (Seized) किया गया है - अपील कर सकेगा और अपील का ज्ञापन नियम (3) के अनुरूप होगा तथा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जायेगा। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लगाई जायेगी तथा अपील के ज्ञापन पर कोर्ट की स्टाम्प पचास रुपये मूल्य के लगाये जायेंगे।

आदेश की नकल प्राप्त करने में लगा समय - अपील की म्याद में मुजरा दिया जायगा - पिन्नूलाल वि. श्रीराम 1990 रा. नि. 371 पैरा 5 रेव्हन्यू बोर्ड, (सिकतर सिंह वि. प्रतीम सिंह - 1985 रा. नि. 430)

आदेश की संसूचना (जानकारी) से अपील की म्याद गिनी जायेगी और मानी जायगी - रामदीप वि. गिरधारी - 1987 रा. नि. 2401, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर पूर्वी बस्तर वि. इन्दर सिंह - 1973 स. नि. 578.

आदेश के विषय वस्तु (तथ्य) की जानकारी होना चाहिये, पारित होने की जानकारी काफी नहीं है -

(बसन्त सिंह वि. स्टेट - (1972 रा. नि. 428 पैरा 4, तथा 6) छोटेलाल वि. म. प्र. राज्य 1988 रा. नि. 13, केशरी वि. झब्बू - 1990 रा. नि. 237 न्याय से इन्कार नहीं होगा,

(मोहरसिंह वि. जसवंत सिंह - 1980 रा. वि. 16)

अपील का अधिकार - कानून में निहित अधिकार (Vested right) है और कानून द्वारा सृजित (created by Law) - कानूनी अधिकार (Statutory right) है इसे अन्यथा नहीं छीना जा सकता - छोगालाल वि. म. प्र. राज्य 1994 रा. नि. 388 (जस्टिस आर. तिवारी म. प्र. हाईकोर्ट), (सीताराम वि. म. प्र. राज्य 1979 रा. नि. 509 पैरा 7 फुल बैंच हाईकोर्ट म. प्र.) वि. महाराजा मार्त्तण्डसिंह जू देव वि. कमिश्नर ऑफ एक्सपेन्डीचर टैक्स - 1982 ज. ला. ज. 249 हाईकोर्ट);

अपील मूल आदेश के विरूद्ध होगी -

आदेश अधिकारिता रहित हो उसे निरस्त करना कर्तव्य है - (बाबूलाल वि. छोट लाल - 1975 797 पैरा 25 फुलबैंच हाईकोर्ट)

कानूनी प्राधिकारी या ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश यदि युक्तियुक्त तर्क संगत (Reasoned order) या आख्यापक (Speaking order) नहीं दिया गया है तो वह निरस्त किये जाने योगय हो जाता है - अनिल कुमार वि. अपीली अथारिटी - 1987 रा. नि. 185 पैरा 4 हाईकोर्ट म. प्र. 1976 JLJ 293 फुल बैंच हाईकोर्ट म. प्र. 1984 रा. नि. 398 पैरा 4, 7, 8 (AIR 1977 SC 112)

म. प्र. वन (अपील का फार्म) नियम 1988

म. प्र. शासन, वन विभाग - अधिसूचना क्र. 18-3-88-X-3 दिनांक 30-11-88 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. XVI वर्ष 1927) की धारा 52 उपधारा (क) के उपखण्ड (4) तथा धारा 52(क) के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग में लाते हुए राज्य शासन निम्न नियम बनाता है अर्थात् :

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू होने की तिथि :

(1) ये नियम "मध्य प्रदेश वन (अपील का फार्म) नियम 1988" कहलावेंगे।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश पर है।

(3) ये नियम उस तिथि से लागू होंगे जो राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित की जावे।

नोट - म. प्र. शासन वन विभाग, की अधिसूचना क्र. 18-3-88-x-3 दिनांक 30 नवम्बर, 88 मध्य प्रदेश वन (अपील का फार्म) नियम 1988 के नियम 1 के उपनियम (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन 1 दिसम्बर 1988 वह तिथि निश्चित करता है जिस दिन से उपरोक्त नियम लागू होंगे।

2. परिभाषाएं - इस नियम में जब तक कि कोई बात नियम या सन्दर्भ के विपरीत न हो :

(क) "अधिनियम से तात्पर्य भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्र. XVI वर्ष 1927) जिस रूप में मध्य प्रदेश में लागू है, होगा।

(ख) "अपीलीय अधिकारी" से तात्पर्य सर्कल के प्रभावी वन संरक्षक से है।

(ग) "प्राधिकृत अधिकारी" से तात्पर्य राज्य शासन द्वारा धारा 52 उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिकृत अधिकारी से है।

(घ) फार्म से तात्पर्य इस नियम के साथ संलग्न फार्म से है।

(3) (1) राजसात करने के आदेश के विरूद्ध अपील : धारा 52(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित राजसात करने के आदेश के विरूद्ध, अपील ज्ञाप में निम्न विवरण होना चाहिये यथा :

(क) वह लिखित में होगा

(ख) अपीलकर्ता के नाम व पते का उल्लेख

(ग) उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है, के दिनांक का उल्लेख

(घ) अपीलकर्ता को वह आदेश प्राप्त होने के दिनांक का उल्लेख

(ड.) घटना का स्पष्ट विवरण

(च) अपील के आधारों का क्रमवार उल्लेख तर्क एवं विवरण सहित

(छ) संक्षिप्त में चाही गई राहत का उल्लेख

(ज) अपील आवेदन अपीलकर्ता अथवा उसके अधिकृत अभिकर्ता द्वारा निम्न फार्म में प्रकाणित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिये - यथा :

मैं, ……... ऊपर दिये अपील ज्ञाप में दिया अपीलकर्ता एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि अपील में दिया विवरण मेरे ज्ञान व विश्वास के आधार पर सही है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

2. अपील का आवेदन अपील कर्ता अथवा उसके अधिकृत अभिकर्ता द्वारा अपीलीय अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से (Personally) प्रस्तुत किया जावेगा।

3. अपील के ज्ञाप पर पचास रुपये के कोर्ट की स्टाम्प लगाये जावेंगे।

4. सम्पत्ति के राजसात करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की सूचना प्रेषित करना।

अधिनियम की धारा 52 उपधारा 4 के खण्ड (क) के अन्तर्गत, प्राधिकृत अधिकारी, उस मजिस्ट्रेट को, जिसको जप्ती के स्थान पर हुए अपराध के विचारण का क्षेत्राधिकार हो; सम्पत्ति के राजसात करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की सूचना फार्म "A" में देगा।

नोट : फार्म "A" नीचे दिया है।

फार्म "A"

दिनांक .....

प्रेषक .....

.....

प्रति,

न्यायायिक दण्डाधिकारी

.....

.....

(1) उस सम्पत्ति का विवरण जिसको राजसात किया जाना प्रस्तावित हो तथा उन परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण, जिसके कारण वह जप्त की गई हो।

(2) राजसात किये जाने के लिए प्रस्तावित सम्पत्ति के मालिक का पूर्ण विवरण :

(3) उस व्यक्ति का नाम जिसके पास से वह सम्पत्ति जप्त की गई

(4) जप्ती का स्थान, दिनांक एवं समय

(5) उस अधिकारी का नाम, जिसने विचाराधीन सम्पत्ति जप्त की।

(6) विचाराधीन सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य।

(7) अपराध/अपराधों का विवरण जिसके कारण जप्ती की गई।

(8) विचाराधीन सम्पत्ति को राजसात करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी - Confiscation तथा forfeiture में अन्तर है। भारतीय दण्ड विधान के अनुसार अधिहृत (Confiscation) के आदेश देने के पूर्व, जिसकी सम्पत्ति अधिहरण की जा रही है, उसको सुनवाई तथा बचाव का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये। यह कार्यवाही आवश्यक है, जप्ती किसी अपराध में जाँच के पश्चात् निर्मुक्त हो सकती है।

[1]धारा 53. धारा 52 के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति - रेंजर से अनिम्न पंक्ति वाला कोई वन अधिकारी, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने धारा 52 के अधीन कोई औजार, नाव, यान या कोई अन्य वस्तु अभिगृहीत की है, इस प्रकार अभिगृहीत सम्पत्ति को धारा 52 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो उस अपराध का जिसके मद्दे अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखता हो, जब ऐसा अपेक्षित हो, पेश करने हेतु एवं अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित ऐसी सम्पत्ति के मूल्य के बराबर की ऐसी रकम की, ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विहित किया जाए, प्रतिपूर्ति का उसके स्वामी द्वारा निष्पादन करने पर उन्हें निर्मुक्त कर सकेगा ।"

धारा 54. तदुपरि प्रक्रिया - ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट सब सुविधापूर्ण शीघ्रता से ऐसे उपाय करेगा जो अपराधी की गिरफ्तारी और विचारण तथा सम्पत्ति का विधि के अनुसार व्ययन के लिये आवश्यक हो :

[2]परन्तु सम्पत्ति के व्ययन से सम्बन्धित आदेश पारित करने के पूर्व मजिस्ट्रेट यह विनिश्चित करेंगे कि ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में धारा 52(4) के अन्तर्गत ऐसी सूचना, इस न्यायालद्व या अन्य न्यायाल में जो जप्त सम्पत्ति के विषय में विचारण (Try) हेतु सक्षम है, प्राप्त हुई है या नहीं।

[3]धारा 55. वन-उपज, औजार आदि कब अधिहरणीय होंगे - (1) ऐसी सब इमारती लकड़ी या वनोपज, जो सरकार की सम्पत्ति नहीं है, और जिसके विषय में वन अपराध किया गया है और ऐसे वन विषयक अपराध के करने में प्रयुक्त सब औजार, नावें, छकड़े और पशु अधिहरणीय होंगे।

[4](1) ऐसी समस्त इमारती लकड़ी या वनोपज या दोनों में से प्रत्येक दशा में, जो सरकार की सम्पत्ति नहीं है और जिनके विषय में कोई वन अपराध किया गया है और समस्त औजार, नावें, यान, रस्से, जंजीरें, या कोई अन्य वस्तु जिनको प्रत्येक दशा में, किसी वन अपराध के करने में प्रयोग किया गया है, अपराधी को ऐसे वन अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने पर धारा 52, 52-क 52-ख, और 52-ग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अधिहरणीय होगी।

---

1. म.प्र. अधि. क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा जोड़ा गया।
2. म.प्र. विधान क्र. 25 वर्ष 1983 द्वारा जोड़ा गया।
3. धारा 54 के अन्तर्गत सम्पत्ति के व्ययन को जो प्रावधान है उसमें सुपुर्द नामा शामिल है अत: ट्रक सुपुर्द नामे पर दी जा सकती है। (साबिर अली वि. म. प्र. शासन, 1987 धारा 57)
4. म.प्र. विधान क्र. 25 द्वारा 55(1) प्रतिस्थापित।

(2) ऐसा अधिहरण, ऐसे अपराध के लिये विहित किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त हो सकेगा।

टिप्पणी (1) - यदि मवेशी मालिक अपनी मवेशियों को अवैध रूप से वन में चरवाहे के द्वारा चरवावे या प्रवेश करावे तो ऐसे मवेशी वन अधिनियम के अन्तर्गत राजसात् किये जा सकते हैं। मवेशी अपराध के साधन है, क्योंकि ऐसे मवेशी से अपरिपक्व पौधे नष्ट होते हैं तथा ऐसे मवेशियों को वन में प्रवेश कराकर या उनसे चरवाकर व्यक्ति धारा 26 (च) का अपराध करता है अत: ऐसे मवेशी राजसात् किये जा सकते हैं।

टिप्पणी (2) - वन में अवैध रूप में वनोपज, या इमारती लकड़ी की चोरी करने के लिए उपयोग में आने वाले, बैल भी राजसात् किये जा सकते हैं।

धारा 56. वन अपराध के लिये विचारण की समाप्ति पर - उस वन उपज का व्ययन जिसके सम्बन्ध में यह अपराध हुआ है, जब किसी वन विषयक अपराध का विचारण समाप्त हो जाता है, तब वह वन उपज, जिसके सम्बन्ध में ऐसे अपराध हुआ है, सरकार की सम्पत्ति है या उसका अधिहरण हुआ है तो वह वन अधिकारी द्वारा अपने भारसाधन (Charge) में ली जावेगी, और किसी अन्य दशा में, उसका ऐसी रीति से व्ययन (Disposal) किया जावेगा, जैसा न्यायालय निर्दिष्ट करें।

धारा 57. जब अपराधी अज्ञात है, या पाया न जा सके तब प्रक्रिया - जब अपराधी अज्ञात है, या पाया नहीं जाता, तब यदि मजिस्ट्रेट का यह निष्कर्ष है कि कोई अपराध किया गया है, तो वह आदेश दे सकेगा कि वह सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में अपराध हुआ है, वह अधिह्रत की जावे और वन अधिकारी द्वारा अपने भारसाधन में ले ली जाये या उस व्यक्ति को दे दी जावे जिसे मजिस्ट्रेट उसका हकदार समझता है :

परन्तु जब तब कि ऐसी सम्पत्ति के अभिग्रहण की तारीख से एक मास का अवसान न हो गया हो, या उस पर किसी अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति की, यदि कोई हो, या ऐसे साक्ष्य की, यदि कोई हो, जिसे वह अपने दावे के समर्थन में पेश करे, सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जावेगा।

टिप्पणी (1) यह धारा उस वन उपज के व्ययन का प्रावधान करती है जो शासन की सम्पत्ति नहीं है लेकिन उसके सम्बन्ध में वन अपराध हुआ है, ऐसी सम्पत्ति भी अधिहरण के योग्य है।

(इब्राहिम अकबर अली वि. राज्य शासन व अन्य (1963) (1) कि. लॉ. ज. 664)

धारा 58. धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत विनश्वर (Perishable) सम्पत्ति विषयक प्रक्रिया - मजिस्ट्रेट धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत और शीघ्र (Speedy) और प्रकृत्य (Natural), क्षयशील (Decay) सम्पत्ति के विक्रय के लिये इसमें या इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्देश दे सकेगा और आगमों (Sale Proceeds) को इस प्रकार बरत सकेगा, जिस प्रकार वह उस सम्पत्ति को बरतता यदि बेची नहीं गई होती।

धारा 59, धारा 55, 56, 57 के अधीन आदेशों की अपील - वह अधिकारी जिसने धारा 52 के अधीन अभिग्रहण किया है या उसके पदीय वरिष्ठों में से कोई, या इस प्रकार अभिग्रहीत सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति धारा 55 या 57 के अधीन पारित किये गये किसी आदेश की तारीख से एक मास के अन्तर, उसके विरुद्ध अपील, उस न्यायालय में कर सकेगा जिसमें ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेशों की अपील मामूली तौर पर होती है और ऐसी अपील कर पारित आदेश अन्तिम होगा।

[1]धारा 60. (1) सम्पत्ति कब सरकार में निहित होगी - धारा 52 के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिह्रत की जाने के लिये आदेशित सम्पत्ति धारा 52 (क) के अधीन अपील के पेश किये जाने पर या "स्वेप्रेरणा" से की जाने वाली कार्यवाहियों के पश्चात् धारा 52 (ख) के अधीन सेशन न्यायालय के समक्ष किये गये पुनरीक्षण की कार्यवाहियों के परिणाम के अध्याधीन रहते हुए, पुनरीक्षण की कार्यवाही समाप्त हो जाने पर, समस्त विल्लंगमों (Encumbrances) से मुक्त होकर सरकार में निहित होगी :

परन्तु ऐसा विधान (Vesting) निम्नानुसार होगा :

(क)	जहाँ अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील नहीं की जाती है या उसके द्वारा स्वप्रेरणा से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।	धारा 52 (क) के अधीन अपील करने के लिए या "स्वप्रेरणा" से कार्यवाही करने के लिए विनिर्दिष्ट कालावधि का, अवसान हो जाने पर।

---

1. म.प्र. विधान क्र. 25 वर्ष 83 की धारा 7 द्वारा संशोधित।

(ख)	जहाँ धारा 52 (क) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश पारित किये जाते हैं किन्तु धारा 52(ख) के अधीन कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाता।	धारा 52 के अधीन पुनरीक्षण के लिये याचिका प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर।

(2) जब कि, यथास्थिति, धारा 55 या धारा 57 के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिहरण के लिये आदेश पारित किया जा चुका है और ऐसी अपील के लिये धारा 59 द्वारा परिसीमित कालावधि बीत गई है, और ऐसी कोई अपील नहीं की गई है, या कि ऐसी अपील के किये जाने पर अपील न्यायालय, ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी प्रभाग के बारे में ऐसे आदेश की पुष्टि करता है, तो यथा स्थिति, ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका ऐसा कोई प्रभाग समस्त विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार में निहित होगा।

धारा 61. अभिग्रहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति की व्यावृत्ति (Saving) - इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात की बाबत यह नहीं समझा जायेगा कि वह राज्य सरकार द्वारा इस निमित सशक्त अधिकारी को ऐसी सम्पत्ति को तुरन्त निर्मुक्त करने के निर्देश देने से निवारित करती है जो धारा 52 के अन्तर्गत अभिग्रहीत की गई हो।

टिप्पणी

वन-अपराध में प्रयुक्त जप्त ट्रक को प्राधिकारी द्वारा समपहृत किए जाने के आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। (मोहम्मद आशिक वि. महाराष्ट्र राज्य 2009 (1) C.C.S. (88)।

धारा 62. दोषपूर्ण अभिग्रहण के लिये दण्ड - कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी तंग करने के लिये और अनावश्यक रूप से किसी सम्पत्ति का अभिग्रहरण इस बहाने से करता है कि ऐसी अभिग्रहीत सम्पत्ति अधिहरणीय है, वह उस अवधि के लिये कारावास से जो [2](एक वर्ष) तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो [2](एक हजार रुपये) तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय हो सकेगा।

धारा 63. वृक्षों एवं इमारती लकड़ी पर चिन्हों के कूटकरण (Counter feiting) और विरुपण (Defacing) करने और सीमा-चिन्हों को बदलने के लिये शास्ति - जो व्यक्ति किसी लोक (Public) या व्यक्ति को हानि पहुँचाने या क्षति पहुंचाने या भारतीय दण्ड संहिता (1960 का 45) में यथा - परिभाषित सदोष (Wrongful) लाभ के आशय से -

(क) जानबूझकर किसी इमारती लकड़ी या खड़े वृक्ष पर लगे किसी ऐसे चिन्ह का कूटकरण करेगा जिसे वन अधिकारी यह उपदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं कि ऐसी इमारती लकड़ी या वृक्ष सरकार की या किसी व्यक्ति की सम्पतित है, या उसे, किसी व्यक्ति द्वारा विधित: काटा या हटाया जा सकेगा, या

(ख) किसी वन अधिकारी या उसके निर्देश के अन्तर्गत किसी वृक्ष या इमारती लकड़ी पर लगाये किसी ऐसे चिन्ह को बदलेगा, विरूपित करेगा या मिटायेगा, या

(ग) किसी वन या पड़त भूमि (Waste Land) के, जिस पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं सीमा चिन्हों को बदलेगा (Alters), सरकायेगा (Moves), नष्ट करेगा (Destroys) या विरूपित (Deface) करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि [1][6 मास] से कम नहीं होगी और दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो रु. 5000/- (पांच हजार तक) या दोनों से दण्डित हो सकेगा :

टिप्पणी : (1) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 23 में सदोष लाभ (Wrongul gain) की निम्न परिभाषा दी है -

"सदोष लाभ अर्थात् गैर-कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति जिस पर लाभ पाने वाले व्यक्ति का कानूनी हक नहीं होता।"

(2) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 28 में कूटकरण (Counter feit) की निम्न परिभाषा दी है -

"एक व्यक्ति द्वारा कूटकरण किया गया है जब कहा जायेगा जो एक वस्तु ऐसी बनाता है जो दूसरे के समरूप (Resemble) हो, और इस समरूपता से उसका उद्देश्य धोखा देने का हो या वह जानता हो कि इस प्रकार धोखा देने का कार्य हो सकता है।"

---

2. म.प्र. विधान 9 वर्ष 1965 धारा द्वारा संशोधित।

1. विधान क्रमांक 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।

टिप्पणी : (2) इस धारा के अन्तर्गत किये अपराध का वन अधिकारी द्वारा धारा 68 के अन्तर्गत शमन (Compounding) नहीं किया जा सकता है।

टिप्पणी : (3) इस चिन्ह से अभिप्रेत वन भूमि की बाहरी सीमा के अतिरिक्त वन सीमा के अन्दर की सीमा से भी है जो यह प्रदर्शित करे या पृथक् करे कि किस खंड के वृक्ष गिराये जाने हैं। जैसे काटने वाले कूपों की सीमा चिन्ह। (देखें AIR 1943 नागपुर, पृष्ठ 139-140)

धारा 64. वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति

(1) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध या युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान है कि वह एक मास या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी वन अपराध से सम्प्रक्त (Concerned) है कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के या बिना किसी वारण्ट के गिरफ्तार कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला हर अधिकारी बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के और बन्धपत्र पर निर्मुक्त करने सम्बन्धी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए गिरफ्तार किये व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट के, जिसे इस मामले में अधिकारिता प्राप्त है, के समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के पास ले जावेगा या भेजेगा।

(3) इस धारा किसी बात की बाबत यह नहीं समझा जावेगा कि वह ऐसे कार्य के लिए जो अध्याय 4 के अधीन अपराध हैं, तब तक कि धारा 30 के खण्ड (ग) के अधीन ऐसा कार्य प्रतिषिद्ध न कर दिया हो।

(1) टिप्पणी - यदि कोई प्लान्टेशन वाचर किसी व्यक्ति को संदक्षित वन में निषिद्ध वृक्ष काटते देखता है, तो उसको वृक्ष की रक्षा कि निमित्त उस व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा तथा यह माना जावेगा कि प्लान्टेशन वाउचर भा.व.अ. की धारा 2(2) के अन्तर्गत "वन अधिकारी" है।

नोट : प्लान्टेशन वाचर के कब्जे से छूट भागना धारा 224 IPC के अन्तर्गत अपराध है, साथ ही प्लान्टेशन वायर को चोट पहुँचाना धारा 332 भा. व. द. वि. के अन्तर्गत अराध है।

(अब्दुल अजीज वि. यूनियन टेरीटरी त्रिपुरा 1963(1) CRI LJ 558)

धारा 65. किसी गिरफ्तार व्यक्ति को बन्धपत्र पर निर्मुक्त करने की शक्ति : वन क्षेत्रपाल (Forest ranger) से अनिम्न पंक्ति को कोई वन अधिकारी जिसने या जिसके अधीनस्थ ने, धारा 64 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा यह बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर निर्मुक्त कर सकेगा कि यदि या जब ऐसी अपेक्षा की जावेगी, तो और तब मैं मामले के मारे में अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट के समक्ष या निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा।

धारा 66. अपराधों का किया जाना निवारित करने की शक्ति - हर वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी वन विषयक अपराध के किये जाना को निवारित करेगा और उसे निवारित (Prevent) करने के प्रयोजनों के लिये हस्तक्षेप कर सकेगा।

[1]धारा 66-क. अपराध का प्रयत्न या दुष्प्रेरण - कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उसके उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे उपबंधों या नियमों का उल्लंघन किया है।"

धारा 67. अपराधों का संक्षिप्त विचारण (Summary Trial) करने की शक्ति - जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा निमित्त विशेषतया सशक्त कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन किसी ऐसे वन विषयक अपराध का सक्षिप्तत: विचारण कर सकेगा जो ..... [2](एक वर्ष) से अनधिक कारावास या .....[2](एक हजार रूपये) से अनधिक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय है।

---

1. म.प्र. विधान क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित ।
2. म.प्र. विधान क्र. 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित ।

धारा 68. अपराधों का प्रशमन करने की शक्ति - राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी वन अधिकारी को शक्ति प्रदान कर सकेगी कि वह -

[1](क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध या युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान है कि उसने धारा 62 या धारा 63 में विनिर्दिष्ट अपराध से भिन्न कोई वन अपराध किया है, उस अपराध के लिए, जिसके बारे में यह सन्देह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत करे; और

[1](ख) जब कोई सम्पत्ति अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होने के कारण अधिगृहीत कर ली गई है, तब समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिहरण का आदेश पारित किए जाने के पूर्व ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित उसके मूल्य का संदाय कर दिए जाने पर, उस सम्पत्ति को निमुक्त करे।

[1](2) ऐसे अधिकारी को, यथास्थिति ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य, या दोनों का संदाय किए जाने पर, संदग्धि व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा, और अभिगृहीत की गई सम्पत्ति, यदि कोई हो, निर्युक्त कर दी जाएगी तथा ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

[1](3) कोई भी वन अधिकारी इस धारा के अधीन तब तक सशक्त नहीं होगा जब तक कि वह रेंजर की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का वन अधिकारी नहीं है, और उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत धन की राशि किसी भी मामले में वन उपज के मूल्य के दो गुने से कम नहीं होगी :

परन्तु ऐसी वन उपज के मामले में जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया है, और जो सरकार की सम्पत्ति नहीं है या ऐसी वन उपज के मामले में जिसका मूल्य एक हाजार रुपये से कम है तथा यदि अपराधी ने प्रथम बार अपराध किया है, तो संदिग्ध व्यक्ति को उन्मोचित किया जा सकेगा और अभिगृहीत की गई सम्पत्ति, (वन उपज से भिन्न), यदि कोई है, दस हजार रुपये की राशि के संदाय पर या अभिगृहीत सम्पत्ति के मूल्य पर, जो भी कम हो, निर्मुक्त की जा सकेगी, अभिगृहीत वनर उपज केवल तभी निर्मुक्त की जा सकेगी जब वह यथास्थिति सरकार की सम्पत्ति नहीं है या जब उसके मूल्य का संदाय कर दिया जाता है।"

[2]2. राज्य शासन धारा 68 के अन्तर्गत वन अपराधों का शमन (Compound) करने के लिये निम्न अधिकारियों को अधिकृत करती है -

(i) समस्त कलेक्टर, एक्स्ट्रा अजिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार।

(ii) समस्त वन संरक्षक, उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक, अति. सहायक वन संरक्षक, तथा वन क्षेत्रपाल जिनका मासिक वेतन 100/- रु. से कम न हो तथा उसकी सेवा वन क्षेत्रपाल के रूप में दस वर्ष से कम न हो।

परन्तु :

(अ) अधिनियम की धारा 79 के अधीन अपराध सके सम्बन्ध में अधिकार का उपयोग केवल कलेक्टर, वन संरक्षक या वन मण्डल के प्रभारी ही कर सकेंगे।

(ब) वन क्षेत्रपाल अधिकार का उपयोग तब ही कर पावेंगे जब उनको वन संरक्षक द्वारा इस हेतु विशेष रूप से अधिकृत किया जावे।

(2) इस प्रकार प्रतिकर के रूप में निर्धारित राशि पुनरीक्षण में निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा घटाई जा सकेगी -

(अ) जिलाध्यक्ष द्वारा, यदि नियम की उपधारा (i) में निर्धारित करने वाला अधिकारी पद में जिलाध्यक्ष से निम्न हों।

(ब) वन संरक्षक द्वारा, यदि राशि का निर्धारण करने वाला अधिकारी वरन मण्डल का प्रभारी अधिकारी हो।

(स) वन मण्डल के प्रभारी अधिकारी द्वारा यदि राशि का निर्धारण उस अधिकारी द्वारा किया गया हो जो उसके अधीन हो।

टिप्पणी (1) ऐसे वन अपराध जिसमें आरिक्षत वन में अवैध रूप से वृक्ष कटाई का आरोप हो तो वन अधिकारी, जो राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत हो, ऐसे अपराधों का राजीनामा कर सकता है तथा लकड़ियों का बाजार मूल्य वसूल कर सकता है - (देखें म. प्र. लॉ जनरल 1957 पृष्ठ 622 वीर सिंह गौड़ विरुद्ध म. प्र. शासन)

---

1. म.प्र. विधान क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।
2. फारेस्ट मेन्युअल के अध्याय XV, पैरा 80 नोटिफिकेशन नं. 161-910-XV दि. 15.2.32 ।

धारा 69. यह उपधारा कि वन उपज सरकार की है - जबकि इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही में या इस अधिनियम में या इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कार्य के परिणामस्वरूप ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या वन उपज सरकार की है या नहीं, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जावे, यह उपधारणा की जायेगी कि यह सरकार की सम्पत्ति है।

अध्याय 10

पशु अतिचार

धारा 70 पशु अतिचार अधिनियम, 1871 का लागू होना - किसी आरक्षित वन में या किसी संरक्षित वन के किसी प्रभाग में, जो विधि पूर्वक (Lawfully) चरागाह के लिये बन्द किया गया है, अतिचार करने वाले पशुओं को, पशु अतिचार नियम 1871(1871 का 1) धारा 11 के अर्थ में लोक बागान (Public Plantation) को नुकसान करने वाला पशु समझा जावेगा और किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत (Seized) और परिबद्ध (Impound) किया जस सकेगा।

धारा 71. इस नियम के अधीन निर्धारित जुर्मानों को बदलने की शक्ति - राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 12 के नियत जुर्माने के बदले इस अधिनियम की धारा 70 के अधीन परिबद्ध हर पशु के लिये ऐसा जुर्माना उद्ग्रहीत (Levied) किया जावेगा जैसा वह ठीक समझती है किन्तु वह निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा -

[1](i) प्रत्येक हाथी के लिये ..... एक हजार रुपये

[1](ii) प्रत्येक ऊँट के लिये ..... दो सौ पचास रुपये

[1](iii) प्रत्येक भैंस के लिये ..... एक सौ रुपया

[1](iv) प्रत्येक घोड़ा, खस्सी टट्टू ..... एक सौ रुपया
बछेड़ा, बछेड़ी, खच्चर, सांग, बैल, गाय या बछड़ी (Heifer)

[1](iv) प्रत्येक बछड़े (call) गधा सुअर, मेढ़े, मेटी, मेमने, बकरी या उसके मेमने ..... पचास रुपये

[1]नोट - परन्तु परिबद्धता की कालावधि के दौरान ऐसे पशु के रखरखाव का खर्च वन मण्डलाधिकारी द्वारा जुर्मानों के अतिरिक्त नियत की गई प्रचलित दरों पर वसूलीय होगा।

नोट - पशु अतिचार नियम अलग परिशिष्ट में दिया है।

---

1. म.प्र. विधान क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित ।

अध्याय 11

वन अधिकारियों के सम्बन्ध में

धारा 72. राज्य सरकार वन अधिकारियों के कतिपय शक्तियाँ विनिहित कर सकेंगी -

(1) राज्य सरकार किसी वन अधिकारी में निम्नलिखित सब शक्तियाँ या उनमें से कोई शक्ति विनिहित कर सकेगा, अर्थात् -

(क) किसी भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण, सीमांकन या नक्शा तैयार करने की शक्ति।

(ख) साक्षियों को हाजिर होने के लिये और दस्तावेजों (Documents) एवं सारवान् (Material) वस्तुओं को पेश करने के लिये विवश करने वाल सिविल न्यायालय की शक्ति।

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता (1988) के अधीन तलाश वारण्ट निकालने की शक्ति और

(घ) वन विषयक अपराधों की जाँच करने और ऐसी जाँच के दौरान साक्ष्य लेने और उसे अभिलिखित करने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य मजिस्ट्रेट के सामने पश्चात्वर्ती विचारण में ग्राह्य होगा यदि वह अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में लिया गया हो।

धारा 72 के अन्तर्गत बने नियम - (नोटीफिकेशन नं. 1126 दि. 22-11-1911)

राज्य शासन समस्त वन अधिकारियों को जो वन मण्डल के प्रभार में है, और समस्त सहायक वन संरक्षकों को, (जिन्होंने फारेस्ट कोड की धारा 40 में निर्धारित वन विधि की परीक्षा पास कर ली है) धारा 72 के अन्तर्गत समस्त अधिकार उनके प्रभाग-क्षेत्र में उपयोग करने हेतु अधिकृत करती है। साथ ही समस्त परिक्षेत्र अधिकारी एवं सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जिन्हें वन अपराधों की जाँच हेतु अधिकृत किया गया है, साक्षियों को हाजिर होने के लिये समन जारी करने हेतु अधिकृत करती है।

साक्ष्यों को भोजन व्यय (Diet money) का भुगतान - वन अधिकारियों द्वारा की जा रही वन अपराधों की जाँच में उपस्थित होने वाले साक्ष्यों की वन-मण्डलाधिकारी द्वारा भोजन व्यय का भुगतान स्थानीय न्यायालयों में प्रचलित दर से, या जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर कर सकता है।

टिप्पणी (1) धारा 72 के अन्तर्गत वन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के समक्ष तथा उसका प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान करने के बाद लिये गये साक्ष्य, दण्डिक प्रकरण के लिये महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो दण्डाधिकारी के समक्ष प्रयोग किये जा सकते हैं।

(ज.लॉ.जर्नल 1960 टिप्पणी 160, सज्जन सिंह वि. म. प्र. राज्य)

(2) ऐसे वन अधिकारियों को जिन्हें धारा 72 के अन्तर्गत प्राधिकृत किया गया हो, जाँच पड़ताल, के अधिकार हैं तथा बयान शपथ पर लिपिबद्ध करने का अधिकार है।

(3) इस धारा के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारियों को व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा अब व्यवहार प्रक्रिया संशोधन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत व्यवहार न्यायाधीश के वे अधिकार समाविष्ट किये गये हैं जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्षियों को आहूत करने तथा लेख प्रस्तुत करने का है तथा अन्य तत्समय प्रावधान सम्मिलित है।

धारा 73. वन अधिकारियों को लोक सेवक समझा जावेगा - सभी वन अधिकारियों को भारतीय दण्ड विधान संहिता (1860 का 45) के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

[1]धारा 74 सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के लिये परित्राण -

इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या किसे गये आदेशों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या [2]इस प्रकार की जानें से छोड़ दी गई किसी बात के लिये किसी लोक सेवक के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

टिप्पणी - (1) सद्भावनापूर्वक की परिभाषा भातीय दण्ड विधान, 1860 की धारा 52 में दी है। जिसके अन्तर्गत कोई बात "सद्भावनापूर्वक " की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती यदि वह सम्यक् ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो।

(2) ए.आई.आर. 1960 उड़ीसा 151(163) पर यह प्रतिपादित किया है कि "सद् भावनापूर्वक" कार्य का विचार अभियुक्त की स्थिति तथा किन परिस्थितियों में उसने कार्य किया है उसके सम्बन्ध में देखा जाना चाहिए।

टिप्पणी

वन अपराध में न्यायालय द्वारा उसका संज्ञान लिए जाने पर इस धारा के प्रावधान प्रयोज्यनीय हैं। (योगेश वि. योगेन्द्र वर्गे. वि. म.प्र. राज्य वर्गे. 2013(1) म.प्र.लॉ.ज. 498 (खंडपीठ म.प्र. = 2013 (1) म.प्र.वी.नो. 172 (खंडपीठ म.प्र.)।

धारा 75. वन अधिकारी व्यापार नहीं करेंगे - राज्य सरकार की लिखित अनुज्ञप्ति के बिना कोई वन अधिकारी, मालिक या अभिकर्त्ता के रूप में इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज का व्यापार नहीं करेगा, या किसी वन के पट्टे (Lease) में या वन के ठेके में हितबद्ध नहीं होगा या बनेगा चाहे वे उन राज्य क्षेत्रों के, जिन पर यह नियम निस्तारित होता है, अन्दर हो या बाहर हो।

धारा 76. नियम बनाने की अतिरिक्त शक्तियाँ - राज्य निम्नलिखित के लिये नियम बना सकेंगी -

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी वन अधिकारी को शक्तियाँ या कर्त्तव्यों को निहित व सीमित करने के लिये।

(ख) इस अधिनियम के अधीन जुर्माना और अधिहरण के आगमों में से अधिकारियों और सूचना देने वाले पुरस्कारों का विनियमन करने के लिये।

(ग) सरकार के वृक्षों और इमारती लकड़ी का जो प्रायवेट व्यक्तियों की भूमियों में उगे हुए हैं या उनके अधिपत्य में है, के संरक्षण पुनरोत्पादन, और व्ययन करने के लिये, और

(ग-क) इस अधिनियम की धारा 53 के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त किए जाने के लिए दी जाने वाली प्रतिभूति का प्रारूप विहित करने के लिए,

(ग-ख) इस अधिनियम की धारा 80-ए की उपधारा (3) के अधीन वन पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को या इस निमित्त राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत ऐसे पदाधिकारी को अपील करने की कालावधि और रीति विहित करने के लिए,

(घ) साधारणत: इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये।

धारा 76. के अन्तर्गत बने नियम - अधिसूचना क्र. 130-130-484-XV दि. 31.1.28 क्र. 624-625-341-XV दि. 12-6-28 एवं क्र. 78-XV- दि. 12-6-29

(धारा 76 (क) एवं (ख) के अन्तर्गत)

(1) समस्त वन संरक्षक, समस्त कलेक्टर, असिस्टेन्ट कमिश्नर, उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक, अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक (अब सहायक वन संरक्षक) (चाहे वे परिवीक्षाधीन (Probation) हों या अन्यथा) तहसीलदार, वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्रपाल, वनपाल, वनरक्षक, (चाहे वे अस्थाई नियुक्ति पर हों, या स्थाई) को इस अधिनियम के अन्तर्गत समस्त कार्य करने एवं अधिनियम में दिये वन अधिकारियों के अधिकारों का उपयोग करने हेतु नियुक्त किया जाता है।

---

1. मध्य प्रदेश अधिनियम 9, वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।
2. म. प्र. विधान क्र. 25 वर्ष 1983 द्वारा पुन: संशोधित।

(2) निम्न तालिका में प्रथम कॉलम में दिये अधिकारी उनके आगे कॉलम 2 एवं 3 में दर्शाये अधिकारों का उपयोग करेंगे :

	अधिकारी का वर्ग (1)	धारा (2)	अधिकार का संक्षिप्त उल्लेख (3)
(1)	समस्त उपवन संरक्षक तथा सहायक वन संरक्षक जब वे वन मण्डल के प्रभार में हो।	21	आरक्षित वन की अधिसूचना के रूपान्तरण (Translation) का प्रकाशन।
		26(1) (c)	ऐसी अवधि (Season) की अधिसूचना जारी करना जब वन में आग जलाना प्रतिबद्ध न हो।
		45 (2)	बहती हुई (Drift timber) लकड़ी के डिपो घोषित करना।
		46	बहती हुई लकड़ी के दावेदारों को सूचना देना।
		47	बहती लकड़ी के दावों को निपटाना।
		50	बहती लकड़ी के सम्बन्ध में भुगतान लेना।
		61	जप्त सम्पत्ति को छोड़ने के निर्देश देना।
		83 (a)	शासकीय बकाया धन की वसूली के लिये वनोपज का बेचना।
		80 'A'	आरक्षित एवं संरक्षित वन की भूमि पर से अवैध कब्जेदार (Encroacher) को हटाना तथा उस भूमि की फसल, ढाँचा (Structure), राजसात् (Forfeit) करना)।
(2)	समस्त जिलाध्यक्ष (Collectors), उप वन संरक्षक, सहायक जिलाधीश (Asstt. Collector) उप-जिलाधीश (Dy Collectors) सहायक वन संरक्षक, उप वन मण्डलाधिकारी, तहसीलदार, वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी, तथा उप वन क्षेत्रपाल तथा वनपाल जब वे वन संरक्षक द्वारा विशेष, रूप से अधिकृत हों।	26 (2) (a)	धारा 26 (1) में प्रतिबन्धित कार्यों की अनुमति देना।
(3)		41, 62	म. प्र. ट्रान्जिट रूल 1961 की धारा 14 के अधीन डिपो स्थापित करना जहाँ वनोपज परीक्षण, हैमर लगाने एवं वसूल होने योग्य रकम का निर्धारण करने हेतु ले जाई जावेगी। म.प्र. ट्रान्जिट (फारेस्ट प्रोड्यूज) (Device) के रजिस्ट्रेशन का सर्टीफिकेट देना।
		52-(A)	धारा 52(3) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश पर अपील या Suo-moto कार्यवाही करना।
(4)	समस्त वन संरक्षक, वन मण्डलाधिकारी, उप वन मण्डलाधिकारी, या उपरोक्त अधिकारियों द्वारा लिखित में अधिकृत व्यक्ति।	41 42	म.प्र. ट्रान्जिट (फारेस्ट प्रोड्यूज) रूल 1961 की धारा 4(1) (A) तथा उसके प्रावधानों के अन्तर्गत शासन की वनोपज (जो किसी व्यक्ति की न हो) के परिवहन के लिये ट्रान्जिट पास जारी करना।
(5)	समस्त उप वन संरक्षक, वन संरक्षक या उप वनमण्डलाधिकारी जिन्होंने शासन द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा में 'वन विधि की परीक्षा पास की हो'।	72 (a)	अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में - (1) किसी जमीन पर प्रवेश करने, उसका सर्वेक्षण, सीमांकन करने या उसका नक्शा बनाना। (2) साक्ष्य की उपस्थिति एवं अभिलेख की प्रस्तुति के लिए विवश करने।
(6)	समस्त वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी, उप वन क्षेत्रपाल या पिरक्षेत्र सहायक, जिन्हें वन अपराधों की जाँच हेतु अधिकृत किया गया हो।	72 (b)	साक्षियों को बुनाने हेतु समन जारी करने का अधिकार।
(7)	समस्त उप वन संरक्षक, वन मण्डलाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, उप वन मण्डलाधिकारी, वन क्षेत्रपाल,	83 (1)	शासन की बकाया राशि की वसूली के लिये वनोपज कब्जे में लेना।

	परिक्षेत्र अधिकारी, या वन संरक्षक द्वारा विशेष रूप से अधिकृत परिक्षेत्र सहायक।		
(8)	कोई पुलिस वन या राजस्व अधिकारी।	41	म. प्र. ट्रान्जिट (फारेस्ट प्रोड्यूज) रूल, 1961 की धारा 24 के अन्तर्गत
		42	वनोपज को परीक्षण के लिये रोकना।
(9)	1. उप वन मण्डलाधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी)। 2. वन मण्डलाधिकारी	52 (3)	धारा 52 के अन्तर्गत जप्त वनोपज, वाहन, नाव, रस्सों को राजसात् करना (confiscate)
(10)	समस्त रेटेड एवं चराई पास जारी करने वाले वेंडर।	26 (2) a	आरक्षित वनों में धारा 26(1) का खण्ड (घ), (च), (छ) में वर्जित कार्यों की अनुमति देना।

धारा 76 (घ) के अन्तर्गत बने नियम - अधिसूचना क्र. 1126 दिनांक 27-11-1911 एवं 211 दिनांक 12-3-1912 :

(फारेस्ट मैन्युअल पैरा 77 उद्धृत)

(1) वन अपराध की जाँच परिक्षेत्र अधिकारी या उस परिक्षेत्र सहायक के द्वारा की जावेगी जिसे वन मण्डलाधिकारी ने इस हेतु अधिकृत किया हो।

साथ ही परिक्षेत्र सहायक द्वारा उसके स्वयं के पकड़े प्रकरण की जाँच तब तक नहीं की जावेगी जब ऐसा करने का विशेष, कारण न हो तथा उसे उस परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा अनुमति दी हो जिसका वह मातहत है।

(2) जाँच समाप्त होने पर आगे किसी अधिकारी द्वारा, बिना वन मण्डलाधिकारी की पूर्व स्वीकृति के, जाँच नहीं की जावेगी तथा ऐसी जाँच वन क्षेत्रपाल से अनिम्न अधिकारी को नहीं सौंपी जावेगी। यदि वन क्षेत्रपाल उपलब्ध न हो तो परिक्षेत्र अधिकारी को दी जावेगी। यदि अपराध, रिपोर्ट की तारीख से तीन माह पूर्व घटित हुआ हो, तो ऐसी जाँच वन मण्डलाधिकारी द्वारा स्वयं ही की जावेगी।

(3) वन रक्षक, अपराध का पता लगने के 48 घंटे में अपराध की रिपोर्ट समीपस्थ परिक्षेत्र सहायक या परिक्षेत्र अधिकारी को (जिन्हें रूल (1) में जाँच हेतु अधिकृत किया गया है) देगा।

(4) अपराध की सूचना प्राप्त होने पर, परिक्षेत्र अधिकारी या परिक्षेत्र सहायक, जितनी जल्दी संभव हो, यदि वन परिक्षेत्र अधिकारी है तो अधिकतम एक माह तथा परिक्षेत्र सहायक है तो अधिकतम 15 दिवस में जाँच पूर्ण करेगा। जाँच पूर्ण करेगा। जाँच जहाँ अपराध घटित हुआ है, या पकड़ा गया है उस स्थल या अन्य उसके पास सुविधाजनक स्थल पर की जावेगी। यदि आवश्यक हो तो अन्य स्थलों पर भी जाँच की जा सकेगी यदि अपराधी का उपस्थित रहना आवश्यक न हो। पर जाँच अधिकारी तीन दिन में पूरी होना चाहिए लेकिन यह वन मण्डलाधिकारी का अधिकार है कि जाँच हेतु सन्तोषप्रद कारण दर्शाने पर आठ दिवस तक अवधि में वृद्धि कर दें। अवधि समाप्त होने पर जाँच प्रतिवेदन, रूल 7 या 8 में दर्शाये अनुसार जाँच कार्यवाही (Proceeding) के साथ प्रस्तुत कर दी जावे।

(5) इन नियमों के अन्तर्गत जाँच करने वाला प्रत्येक अधिकारी, अपराध की सूचना प्राप्त होने की तिथि से प्रकरण की कार्यवाही "केस डायरी" में रखेगा। वह उस डायरी में निम्न बातें उल्लेख करेगा :

(1) समय व दिनांक जब सूचना हुई।

(2) जाँच के लिये जहाँ गये वह स्थल का नाम व वहाँ की गई कार्यवाही।

(3) साक्ष्यों को बुलाने एवं कथन लेने का विवरण।

(4) अपराधी का कथन।

(5) अन्य कार्यवाही का विवरण, जो कि जैसे स्थल निरीक्षण आदि।

(5) जाँच पूर्ण करने की तिथि अंकित करेगा वह साक्ष्यों के कथन लेगा तथा अपराधी का कथन लेखबद्ध करेगा व उसके हस्ताक्षर करायेगा तथा यह स्पष्ट करेगा कि अपराधी प्रकरण में राजीनामा करना चाहता है या नहीं केवल नियम (6) की स्थिति को छोड़कर जाँच पूर्ण होने पर किसी व्यक्ति को रोका नहीं जावेगा।

(6) सामान्यत: अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जावेगा जब तक उसका रहने का निश्चित ठिकाना हो या भागने की आशंका न हो। गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जावेगा या बिना विलम्ब किये पुलिस में दिया जावेगा।

(7) (अ) यदि जाँच अधिकारी को प्रकरण का अभिसंधान (Compound) करने की शक्ति है तो वह प्रकरण का अभिसंधान करेगा तथा क्षतिपूर्ति की रकम निश्चित करेगा, किन्तु कार्यवाही की सूचना वन मण्डलाधिकारी को अवश्य देगा।

(8) यदि जाँच अधिकारी प्रकरण के अभिसंधान हेतु अधिकृत नहीं है, या अपराधी ने राजीनामा देने से इंकार किया है, या उपस्थित होने से इंकार किया है, या नियम (4) में निर्धारित अवधि में जाँच पूर्ण नहीं करवाई है तो वह प्रकरण मय कार्यवाही के विवरण के, अपने से वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से वन मण्डलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जाँच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर वन मण्डलाधिकारी आवश्यक आदेश देंगे। जाँच पूर्ण न होने पर आगे जाँच हेतु आदेश देंगे। लेकिन यदि जाँच में सात दिन से अधिक समय लगेगा तो इसका प्रतिवेदन डिप्टी कमिश्नर (जिलाधीश) को भेजा जावेगा।

केवल जब कोई व्यक्ति नियम 6 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया हो, को छोड़कर किसी प्रकरण का न्यायालय में चालान, बिना वन मण्डलाधिकारी के आदेश, नहीं किया जावेगा। चालान हेतु पत्र न्यायाधीश को लिखा जावेगा तथा निर्धारित चालान फार्म लगाया जावेगा। इसी प्रकार नियम 6 में गिरफ्तार व्यक्ति का भी चालान बनाया जावेगा।

पैरा 77 (ब) विभागीय आदेश क्र. 1012-E-196 दिनांक 27-4-28 ।

केस डायरी के लिये निम्न फार्म प्रयुक्त होंगे :

अंग्रेजी	शिड्यूल IX	89
हिन्दी	"	99

समस्त अधिकारी जो प्रकरण का अभिसधान करेंगे "फारेस्ट केस रजिस्टर" में विवरण रखेंगे। यह रजिस्टर शिड्यूल IX के फार्म 8 पर होगा। इस रजिस्टर के निम्न विवरण होंगे :

(1) अनुक्रमांक (Serial Number)

(2) अपराध होने का पी.ओ.आर. नम्बर तथा दिनांक

(3) रिपोर्ट होने का या शिकायत या पता लगाने का दिनांक।

(4) अपराधी का नाम, पिता का नाम, निवास-स्थान एवं अपराधी का सामाजिक स्तर।

(5) चोरी के प्रकरण में वनोपज का मूल्य या वन हानि के प्रकरण में हानि का मूल्यांकन।

(6) जाँच का संक्षिप्त विवरण व पारित आदेश।

(7) अधिकारी के हस्ताक्षर।

प्रत्येक प्रकरण के निर्णय पर निर्णायक अधिकारी के दिनांकित हस्ताक्षर होंगे।

यह रजिस्टर वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रत्येक जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर की 15 तारीख को जिले के कलेक्टर को प्रेषित किया जावेगा।

नोट : राजबाड़े समिति के प्रतिवेदन पर शासन ने इस रजिस्टर को कलेक्टर को प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त की।

(फारेस्ट कैन्युअल पैरा 77(a) के अन्तर्गत)

धारा 77. नियमों के भंग के लिये शास्तियाँ - इस अधिनियम के अधीन किसी नियम को, जिसके उल्लंघन के लिये कोई विशेष शास्ति उपबन्धित नहीं है, भंग करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के कारावास से जो [2](छः मास) तक का होगा और जुर्माने से जो [1](पन्द्रह हजार) रुपये तक हो सकेगा या दोनो से दण्डनीय होगा।

धारा 78. नियमों को विधि का बल प्राप्त होना - इन नियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये नियम राजपत्र में प्रकाशित किये जावेंगे और तदुपरि, जहाँ तक वे इस अधिनियम से सुसंगत हैं, वहाँ तक वे इस प्रकार प्रभावशाली होंगे मानो वे इसमें अधिनियमित हुए हैं।

---

1. वन अधिनियम क्र. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।
2. वन अधिनियम 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।

अध्याय 12

प्रकीर्ण (Miscelleneous)

धारा 79. वन अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को सहायता देने को आबद्ध व्यक्ति - (1) हर ऐसा व्यक्ति, जो किसी आरक्षित या संरक्षित वन में किसी अधिकार का प्रयोग करता है, या जो ऐसे वन से, किसी वन उपज को लेने या इमारती लकड़ी काटने और हटाने या उसमें ढोर चराने के लिये अनुज्ञात है, और हर व्यक्ति जो ऐसे वन में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नियोजित है, और

ऐसे वन के समीपस्थ किसी ग्राम का हर व्यक्ति जो सरकार द्वारा नियोजित है या जो समुदाय प्रति की जाने वाली सेवाओं के लिये सरकार से उपलब्धियाँ पाता है, ऐसी जानकारी, जो किसी वन विषयक अपराध के किये जाने के आशय की उसके पास है, निकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को अनावश्यक विलम्ब के बिना, देने के लिये आबद्ध होगा, और

(क) ऐसे वन में वन अग्नि को, जिसके बारे में उसे ज्ञान या जानकारी हो बुझाने के लिये,

(ख) ऐसे वन के समीप्य में किसी अग्नि को, जिसके बारे में उसे ज्ञान या जानकारी है, अपनी शक्ति के अनुसार किन्हीं वैध साधनों द्वारा, ऐसे वन में फैल जाने से रोकने के लिए,

तुरन्त कार्यवाही करेगा चाहे उसे किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई हो या नहीं, और

(ग) ऐसे वन में वन विषयक अपराध रोकने, और

(घ) जब कि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे वन में ऐसा कोई अपराध किया गया है तब अपराधी का पता लगाने और उसको गिरफ्तार कराने में उसकी सहायता माँगने वाले किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी की सहायता करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो ऐसा करने के लिये आबद्ध होते हुए भी बिना किसी विधिपूर्ण प्रति हेतु (Law full excuse) जिसे साबित करने का भार उसको होगा :

(क) उपधारा, (1) द्वारा अपेक्षित जानकारी निकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, को अनावश्यक विलम्ब के बिना नहीं देगा,

(ख) किसी आरक्षित या संरक्षित वन में वन अग्नि (Forest fire) के बुझाने के लिये उपधारा (1) द्वारा यथा-अपेक्षित कार्यवाही नहीं करता।

(ग) ऐसा वन के सामिप्य में की किसी अग्नि को ऐसा वन में फैलने से नहीं रोकेगा जैसा कि उपधारा (1) से आपेक्षित है, या

(घ) ऐसे वन में किसी अपराध का किया जाना रोकने में, या उस दशा में, जिससे कि यह विश्वास करने का कारण है कि एसे वन में ऐसा अपराध हुआ है, अपराधी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने में उसकी सहायता मांगी जाने पर किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी की मदद नहीं करेगा, वह ऐसी अवधि को कारावास जो [1](छः मास) तक की हो सकेगा और जुर्माने से जो [1](एक हजार रूपये) एक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

टिप्पणी - धारा 79 इस धारा के अधीन वन अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को वन अपराध रोकने में सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था है। ऐसी ही व्यवस्था भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 37 में है तथा सहायता न देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 187 का अपराध माना गया है।

धारा 80 उन वनों का प्रबन्ध जो सरकार एवं अन्य व्यक्तियों की संयुक्त सम्पत्ति है -

(1) यदि सरकार और कोई व्यक्ति किसी वन या पड़त (Waste) भूमि में, या उसकी पूरी उपज या उसके किसी भाग में संयुक्त हितबद्ध है तो राज्य सरकार या तो :

(क) उसमें ऐसे व्यक्ति को, उसके हित के लिये लेखा देते हुए, ऐसे वन, पड़त भूमि या उपज का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेगी, या

---

1. वन अधिनियम 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।

(ख) इस प्रकार संयुक्तत: हितबद्ध व्यक्ति द्वारा वह पड़त भूमि या उपज का प्रबन्ध करने के लिये ऐसे विनियम जारी कर सकेगी जैसे वह उसके प्रबन्ध और उसमें के सब पक्षकारों के हितों में आवश्यक समझती है।

(2) जब कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सरकार किसी वन या पड़त भूमि या उपज का प्रबन्ध अपने हाथ में लेती है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे वन, पड़त भूमि या उपज पर अध्याय 2 या अध्याय 4 में अन्तर्विष्ट कोई उपबन्ध उन पर लागू होंगे और तदुपरि ऐसे उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।

[1]धारा 80 (अ) अनधिकृत रूप आरक्षित या संरक्षित वन की भूमि पर कब्जा रखने के लिये शास्ति -

(1) ऐसे क्षेत्रों की भूमि जो धारा 20 या 29 के अधीन आरक्षित या संरक्षित वन है के किसी भूखण्ड पर कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से कब्जा करता है या कब्जे में रखता है, जैसा भी हो, इस अधिनियम के अनतर्गत उसके विरुद्ध अन्य कोई कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वन अधिकारी, जो वन मण्डलाधिकारी के पद से निम्न न हो, के आदेश द्वारा, संक्षिप्त रूप से (Summarily), बेदखल (Ejected) किया जा सकता है और उस पर खड़ी फसल, या भवन, या अन्य जो उस भूमि पर बनाया हो (Constructed), यदि अभियुक्त द्वारा, वन मण्डलाधिकारी द्वारा नियत अवधि में नहीं हटाई जावे, तो ऐसी स्थिति में वे सभी राजसात् (Forefeiture) योग्य हैं :

परन्तु ऐसे बेदखली आदेश, उपरोक्त उपधारा के अन्तर्गत, जब तक पारित नहीं किये जावेंगे तब तक कि ऐसे प्रस्तावित बेदखली किये जाने वाले व्यक्ति को, समुचित कारण बतलाये जाने का अवसर प्रदान न किया गया है कि उपरोक्त आदेश क्यों न पारित किये जावें ?

(2) ऐसी सम्पत्ति, जो राजसात् की गई हो, का व्ययन (Disposal) वन अधिकारी के आदेशानुसार होगा। किसी भी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य, जो भूमि को मूल स्थिति में लाने के लिये हटाये जावेंगे, उसक समस्त व्यय उस व्यक्ति से धारा 82 के अन्तर्गत दिये प्रावधान से वसूली योग्य होगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो वन अधिकारी की उपधारा (1) के अन्तर्गत पारित आदेश से असन्तुष्ट है, व ऐसी रीति या समयावधि में (जो निश्चित की गई हो) राज्य शासन या राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है और उक्त अधिकारी का आदेश, उक्त अपील के निर्णय के अध्यधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

(4) इस धारा के प्रावधान, उन क्षेत्रों तथा उन तिथियों से प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य शासन विनिर्दिष्ट करे। अलग-अलग तिथियाँ निर्धारित की जा सकती हैं।

म. प्र. शासन सूचना क्र. 11658/X/65 राज्य शासन धारा 80(अ) की उपधारा (3) के अन्तर्गत 'उपसचिवत मध्य प्रदेश शासन' को अपील अधिकारी नियुक्त करता है।

म. प्र. शासन अधिसूचना क्र. 6342/X/66 दि. 24-6-66 द्वारा शासन बिलासपुर जिले में धारा 80(अ) के प्रावधान लागू होने की तिथि 1 जुलाई, 1966 नियत करता है।

म. प्र. शासन अधिसूचना क्र. 5322/X/67 दि. 14-6-67 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दि. 20-3-67 (असाधारण) पृष्ठ 640 पर प्रकाशित मध्य प्रदेश शासन निम्न जिलों में धारा 80(अ) की उपधारा (4) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में लाते हुए दिनांक 20-3-1967 से उक्त धारा के प्रावधान लागू करता है।

(राजपत्र दि. 16-6-67 पृष्ठ 1814)

(1) *पूर्वी निमाड़ (2) *सीधी (3) *सरगुजा (4) *सीहोर (5) *रायगढ़ (6) *दुर्ग (7) *बस्तर (8) *सागर (9) *जबलपुर (10) *बालाघाट (11) * दमोह (12) *मण्डला (13) *सिवनी (14) * नरसिंहपुर (15) *रायसेन (16) *छिन्दवाडा (17) *होशंगाबाद (18) *बतूल (19) *शजापुर (20) *राजगढ़ (21) *विदिशा (22) *ग्वालियर (23) *भिण्ड (24) *शिवपुरी (25) *मुरैना (26) *गुना (27) *दतिया (28) *इन्दौर (29) *उज्जैन (30) *देवास (31) *धार (32) *सतना (33) *रतलाम (34) *पश्चिमी निमाड़ (35) *मन्दसौर (36) *रीवा (37) *पन्ना (38) *सतना (39) *शहडोल (40) *छतरपुर (41) *टीकमगढ़ (42) *रायपुर।

---

1. वन विधान क्र. 9 वर्ष 1965 की धारा 17 से धारा 80 अ जोड़ी गई ।

टिप्पणी धारा 80-(A) (1)

(1) धारा 80 (A) के अधीन बेदखली होने वाला क्षेत्र धारा 20 या 29 के अधीन आरक्षित या संरक्षित वन होना चाहिये।

(2) अनाधिकृत कब्जा करना या कब्जा बनाये रखना

(1) अप्राधिकृत रूप से कब्जा करना - वाक्यांश में व्यक्ति को प्रारम्भ में ही कब्जा विवादित भमि पर करने का कोई अधिकार नहीं होता है वह जबरदस्ती कब्जा करता है, उसके पास कोई परमिट, लायसेन्स, पट्टा या कोई प्राधिकार किसी प्रकार का नहीं होता है और वह उसके बावजूद कब्जा बिना किसी प्राधिकार के कर लेता है ;

(2) अप्राधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखता है या कब्जे में बना रहता है - इस वाक्यांश का अर्थ यह हो सकता है कि व्यक्ति का ऐसी भूमि का भले ही प्रारम्भ में कब्जा प्राधिकृत रहा हो लेकिन कानून (IF Act) या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को किसी भूमि पर कब्जा रखने का अधिकार समाप्त हो जाता है तो वह कानूनी रूप से अधिकार की समाप्ति हो जाना कहा जाता है और विधि के अधीन कब्जे को अधिकार समाप्त होने के बावजूद व्यक्ति विवादित प्रश्नाधीन भूमि पर अप्राधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखता है अर्थात् भूमि पर कब्जे में बना रहता है तो वह धारा 80(1) के अधीन बेदखली के योग्य हो जाता है।

(3) बिल्डिग में फर्नीचर आदि रखा हो या अन्य सामान रखा हो उसे समपहृत नहीं किया जा सकता उसके forfeit करने का अधिकार नहीं है - Marandmal Vs. State of M.P. 1981/MPLJ/Note 55=1981 (II) MPWN 118=1981 RN 349 RN 349 पैरा 3 हाईकोर्ट (म. प्र.)

(4) कब्जा अप्राधिकृत (unauthorised) होना चाहिये - महाराज सिंह वि. स्टेट म. प्र. - 1979 रा. नि. 82, देवीसिंह वि. स्टेट म. प्र. 1979 रा. नि. 355 (पैरा 4)

(5) केन्द्र सरकार के स्वामित्व की भूमि पर जो पब्लिक प्रेमिसेज (Evicition of unathorised occupants Act 1971) एक्ट 1971 में आती है उसकी धारा 5 के अधीन (Estate Officer) सम्पदा अधिकारी ही बेदखली की कार्यवाही कर सकता है। उस एक्ट की धारा 15 में अन्य कोर्ट की अधिकारिता वर्जित है - (प्रभूनाथ वि. बोर्ड रेव्हन्यू - 1980 MPLJ 522 = 1980 JLJ 620 डीबी हाईकोर्ट म. प्र.)

नोटिस शो-काज स्पष्ट होना चाहिए - बाबूलाल वि. स्टेट म. प्र. 1983 RN 27 पैरा 2 रेव्हन्यू बोर्ड म. प्र.

आरक्षित वन एवं संरक्षित वन भूमि में लैण्ड रे. को. म. प्र. की धारा 248(1) तथा धारा 1(2) के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकती। केवल धारा 80(1) (IF Act) के अधीन ही कार्यवाही बदखली की जा सकेगी - भगवान दास वि. स्टेट म. प्र. 1981 रा. नि. 243 (V.P.Sheth M.BR)

आरक्षित वन एवं संरक्षित वन तथा अप्राधिकृत कब्जा साबित करने का प्रभार-राज्य सरकार पर है - अजीजुल्ला खान वि. स्टेट म. प्र. 1980 रा. नि. 308 (308) पैरा 3, 4 अजुद्दी वि. स्टेट म. प्र. 1983 NR 86 रे. वो. सौभाग वि. स्टेट म. प्र. 1979 रा. नि. 428 पैरा 6 (रे. बोर्ड)

धारा 80 (IF Act) - गवर्नमेन्ट और अन्य व्यक्ति की संयुक्त सम्पत्ति में संयुक्त रूप से वन, पड़त भूमि या उपज में हितबद्धता होने पर धारा 80(1) के अधीन गवर्नमेन्ट प्रबन्ध को अपने कब्जे में धारा के प्रावधानों का पालन करते हुए ले सकती है और धारा 80 (2) (IF Act) के अधीन अध्याय II तथा IV के प्रावधान लागू कर सकती हैा अध्याय II तथा IV (IF Act) के लागू कर दिये जाने पर आपत्तिकर्ता कब्जेदार को आपत्ति करने का और अधिकारों के विनिश्चय कराने का मार्ग उनमें बताये प्रावधानों के अधीन खुल जाता है। अध्याय II में आरक्षित वन का सम्बन्ध है तथा अध्याय IV में संरक्षित वन का सम्बन्ध है।

सिविल कोर्ट में हम के आधार पर यह स्थापित करने की प्रार्थना की जा सकती है कि विवादित भूमि वन भूमि या पड़त भूमि नहीं है और वादी का वैधानिक अधिकार है - (नर्बदा प्रसाद वि. म. प्र. राज्य 1990 रा. नि. 388- पैरा 3 हाईकोर्ट म. प्र.)

रेव्हन्यू-पटवारी कागजात में विवादित भूमि "आरक्षित वन" दर्ज है। इस भूमि पर म. प्र. लेण्ड रेव्हेन्यू कोड, 1959 लागू नहीं होगा। ब्रजनंदन सिंह वि. स्टेट म. प्र. - 1983 - रा. नि. 95 पैरा 7 रे. बोर्ड; म. प्र. धारा 80 (अ) के अन्तर्गत अपील

नियम 80 अ के विरुद्ध अपील (नियम)

मध्य प्रदेश शासन अधिसूचना क्र. 7356/X/65 दिनांक 26-6-65 : राज्य शासन धारा 80 (अ) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए निम्न नियम बनाता है :

(1) इस नियम में अधिनियम से तात्पर्य भारतीय वन अधिनियम, 1927 (वर्ष 1927 के (16) से है।

(2) कोई व्यक्ति, वन अधिकारी द्वारा धारा 80 (अ) की उपधारा (1) के अन्तर्गत पारित आदेश की सूचना प्राप्त होने पर, 60 दिवस के भीतर अपील कर सकता है।

(3) प्रत्येक अपील निम्न रीति में होनी चाहिये :

(क) वह लिखित में हो।

(ख) उसमें अपीलार्थी का नाम व पता हो।

(ग) यह विशिष्ट विवरण हो कि किस तिथि के आदेश के विरूद्ध अपील की गई है।

(घ) अपीलार्थी को आदेश की सूचना किस तिथि को प्राप्त हुई।

(ड.) विशिष्ट तथ्यों का विवरण।

(च) अपील करने का कारण व आधार सुसंगत व सिलसिलेवार दर्ज हो।

(छ) किस बात की आज्ञप्ति की मांग की गई का समावेश हो।

(ज) निम्नानुसार अपीलार्थी या उसके अधिकृत एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित हो :

मैं ..... (अपीलार्थी), एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त अपील ज्ञाप में अंकित और ऊपर जो बातें प्रदर्शित की गई हैं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास से सही है।

हस्ताक्षर

(4) अपील का ज्ञापन, जिस आदेश के विरुद्ध किया गया हो, उसकी अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न होना चाहिये, बशर्ते अपीलीय अधिकारी को सन्तुष्ट कर दे कि कौन से अच्छे कारणों से उसने अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है और अपीलार्थी को, अपीलीय अधिकारी के आदेश की प्रति देने हेतु यथा-समय जो शुल्क/अभिलेख/अपील अधिकारी निश्चित करे, प्रस्तुत करना होगा।

(5) अपील का ज्ञापन या तो अपीलार्थी द्वारा या उसके अधिकृत एजेन्ट द्वारा स्वयं अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिये या डाक द्वारा प्रेषित करना चाहिये।

नोट - उपसचिव, म. प्र. शासन, वन विभाग अपील अधिकारी मनोनीत किये गये हैं।

(अधि. क्र. 11685-C-65 दि. 19-11-65 राजपत्र दि. 19-11-65 पृष्ठ 1587 पर प्रकाशित)

धारा 81. ऐसी सेवा करने में असफलता जिसके लिये सरकारी वन की उपज के किसी अंग का उपयोग किया जाता है - यदि कोई व्यक्ति, किसी ऐसे वन की उपज को या वन उपज के किसी भाग को, जिस पर सरकार का साम्पत्तिक अधिकार है या उसकी हकदार है, का अंश इस शर्त पर हकदार है कि ऐसे वन में सम्बन्धित सेवा, सम्यक् रूप से करता रहेगा, तो राज्य सरकार का समाधान कर देने वाले रूप में यह तथ्य प्रमाणित हो जाने की दशा में कि वह अब ऐसी सेवा नहीं कर रहा है, ऐसी अंश अधिहरणीय हो जावेगा :

परन्तु जब राज्य सरकार द्वारा, सम्यक् रूप से नियुक्त अधिकारी द्वारा हकदार व्यक्ति की, और ऐसे साक्ष्य की (यदि कोई हो) जिसे वह सेवा के सम्यक् रूप में किये जाने के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करे, सुनवाई न करे, तब तक ऐसे अंश का अधिहरण नहीं होगा।

टिप्पणी-धारा 81

1. इस धारा में वन उपज सरकारी सम्पत्ति या सरकारी हकदारी में कोई भाग/अंश या हिस्सा किसी व्यक्ति को सेवाएँ देने के एवज में (बदले में) (in consideration) में प्रतिफल स्वरूप दिया जाता है और ऐसा व्यक्ति सेवाएँ आगे नहीं देता है तो राज्य सरकार, सेवाएँ न देने पर, उस व्यक्ति के वन उपज में हक के अंश या भाग को अधिहृत (confiscate) कर सकती है।

2. किन्तु ऐसी अधिहरण की कार्यवाही के पूर्व सम्बन्धित हकदार व्यक्ति को कारण बताओं नोटिस देकर उसे स्पष्टीकरण देने का तथा सेवायें यथावत जारी होने के प्रमाण में साक्ष्य देने का अवसर देकर सुनवाई करना होगी।

3. सहज न्याय का सिद्धान्त है कि जिस कार्यवाही से व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उस कार्यवाही में उसे कारण बताओं नोटिस देकर जवाबदेही का एवं साक्ष्य का युक्तियुक्त अवसर देकर सुनवाई की जाना चाहिये और प्राधिकारी को उसके जवाब एवं साक्ष्य पर विचार करके उपयुक्त न्यायोचित निष्कर्ष निकालना चाहिये। राज्य सरकार या प्राधिकारी को यह समाधान या संतुष्टि कर लेना होगी कि सेवायें अपेक्षितआगे नहीं दी गई हैं। उनका पालन नहीं किया गया है और यह समाधान/संतुष्टि न्यायोचित जांच से ही होगी।

[1]धारा 82. शासन को देय, बकाया राशि की वसूली - अर्थदण्ड (Fines) के अतिरिक्त सभी राशियाँ जो इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य शासन को देय हों, या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अन्तर्गत या इमारती लकड़ी के या अन्य वनोपज के ठेके के कारण या इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज के सम्बन्ध में किसी संविदा के कारण, जिसमें संविदा भंग के कारण वसूली योग्य रकम शामिल है, या संविदा के रद्द करने के फलस्वरूप, या इमारती लकड़ी के विक्रय सम्बन्धी नोटिस की शर्त केअन्तर्गत, अन्य वनोपज की नीलामी द्वारा या निविदाआमंत्रण जो कि वन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की गई हो, और समस्त क्षतिपूर्ति (Compensation) जो इस अधिनियम द्वारा राज्य शासन को प्रदान किया जाना हो यदि निश्चित समय में नहीं पटाई जावे तो वह तत्समय प्रभावशील विधान केअन्तर्गत इस प्रकार वसूल किये जा सकेंगे जैसे यह राशि राजस्व की बकाया राशि हो।

टिप्पणी (1) धारा 82 के अधीन यदि कोई ठेकेदार ने वन विभाग से कोई वनोपज का ठेका लिया है तथा बयाने की रकम जमा कराई है, ठेकेदार द्वारा शेष रकम न पटाने के कारण, दोबारा नीलाम में पहिले से कम मूल्य प्राप्त होने पर, ऐसी हानि की राशि बकाया भू-आगम के रूप में वसूल नहीं की जा सकती। ऐसी राशि व्यवहारवाद में वसूल होगी।
(देखें AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट 203, 206, 207) जबलपुर लॉ जर्नल 1970 टिप्पणी क्र. 82)

टिप्पणी (2) यदि राज्य शासन के अधिकारी वनोपज की बिक्री करते हैं तो उस मूल्य पर देय विक्रय कर की राशि भूराजस्व के सदृश्य वसूली योग्य है।
(देखें - ओरियन्ट पेपर मि. वि. म. प्र. राज्य, म. प्र. लॉ जर्नल 1971, पृष्ठ 514)

टिप्पणी (3) धारा 82 में मध्य प्रदेश संशोधन (क्र. 9, वर्ष 1965) के अन्तर्गत वनोपज के नीलाम होने पर, शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप, पुन: नीलाम होने पर यदि कम राशि प्राप्त होती है; तो वह धारा 82 के अन्तर्गत वसूली योग्य है। (M.P.L.J. 1980, 465 P.B.)

टिप्पणी (4) उपवन मण्डलाधिकारियों को बकाया राशि की वसूली की शक्ति - अधिसूचना क्र. 7-21 सात-सा. 7-78 दिनांक 19 जुलाई, 1979 - म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 वर्ष 1959) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा राज्य के समस्त उपवन मण्डलाधिकारी को वे शक्तियाँ प्रदान करती हैं जो कि उक्त संहिता की धारा 146 तथा 147 द्वारा किसी तहसीलदार को प्रदाय की गई हैं, और यह निर्देश देती है कि वे इस प्रकार प्रदत्त की गई शक्ति अपनी-अपनी अधिकारिता के प्रभार क्षेत्र (Jurisdication) में ऐसे बकाया धन की वसूली हेतु प्रयुक्त होंगी जो कि -

(1) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) की धारा 82 के अधीन भूराजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य राशि और

(2) राज्य सरकार के वन विभाग के ऐसे कोई अनुदान, अनुबन्ध, पट्टा (Leases) या संविदा के अधीन शोध हो जिसमें यह उपबन्ध हो कि वह (धन) उस रीति से वसूली योग्य है जैसे भू-राजस्व की बकाया के तौर राशि वसूल की जाती है।

---

1. म.प्र. विधान क्र. 9 वर्ष 1965 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।

टिप्पणी (5) अभिसंधान किये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली - जब वन विभाग धारा 68 के अन्तर्गत राजीनामा लेता है, तो प्रकरण में आयद की गई रकम, धारा 82 के अनतर्गत भू-राजस्व के बकाया के समान वसूल की जा सकती है।

धारा 83. ऐसे धन के लिये वन उपज का धारणाधिकार (Lien)

(1) जब किसी वन उपज के सम्बन्ध में या उसके लिये कोई राशि देय है, तब ऐसी उपज पर उसकी वसूली का प्रथम भार है ऐसा समझा जावेगा, और जब तक ऐसी राशि चुका नही जावे, तब तक के लिये, वन अधिकारी ऐसी वन उपज, अपने कब्जे में ले सकेगा।

(2) जब यह राशि शोध्य (Due) होती है, तब चुका नहीं दी जाती है, तो वन अधिकारी द्वारा ऐसी उपज का लोक नीलाम (Public auction) द्वारा विक्रय किया जा सकेगा, और विक्रय के आगमों को प्रथमत: ऐसी बकाया राशि को चुकाने में किया जावेगा।

(3) यदि कोई धन उक्त बकाया राशि, चुकाने पर अतिशेष रहे, उसके लिये यदि हकदार व्यक्ति द्वारा विक्रय की तारीख से दो माह के भीतर, दावा नहीं किया जाता तो वह सरकार को समपहृत (Forfeited) हो जावेंगी।

टिप्पणी (1) - यह धारा वन अधिकारियों को (1) वनोपज की जप्ती (2) तथा उसके विक्रय के अधिकार देती है, ठेकेदार द्वारा किश्त न पटाना वन निविदा की शर्तों का बड़ा उल्लंघन है तथा इस उल्लंघन के लिये कटाई व ढुलाई का कार्य रोका जा सकता है तथा नियम 29 के अन्तर्गत वन संरक्षक द्वारा निविदा समाप्त की जा सकती है तथा ऐसी निविदा की समाप्ति पर ठेका द्रोत्र (Contract area) में अवशेष वनोपज शासन की सम्पत्ति हो जाती है।

(म. प्र. शासन वि. सरदार बूटासिंह राजनान्दगांव, 1972 MPLJ 392, AIR 1972 MP 116)

टिप्पणी (2) - धारा 82 एवं 83 एक दूसरे के पूरक हैं तथा बकाया वसूली हेतु दोनों विधियाँ कार्यान्वित की जा सकती हैं। (AIR 1980 All 100 & 213)

धारा 84. इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित भूमि के लिये यह समझा जावेगा कि उसकी आवश्यकता भू-अर्जन अधिनियम (1994 का 1) के अधीन लोक प्रयोजन के लिये हैं - जब कभी राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के प्रयोजन में, किसी प्रयोजन के लिये कोई भूमि अपेक्षित है तो ऐसी भमि के बारे में यह समझा जावेगा कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, की धारा (4) के अर्थ के अन्दर उसकी लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

धारा 85. बन्धपत्र के अधीन शोध्य शस्तियों की वसूली - जब कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के किसी अनुबन्ध के अनुसार या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अनुपालन में किसी बन्धपत्र (Bond) या लिखित (Instrument) द्वारा प्रसंविदा (Binds) करता है कि वह उसके सेवक या उसके अभिकर्त्ता किसी कार्य को नहीं करेंगे, तब भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 74 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे बन्धपत्र या लिखित में जो राशि उनकी शर्तों के भंग होने की दशा में दी जाने वाली राशि के रूप में वर्णित है, ऐसे भंग होने की दशा में उस समस्त राशि को ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानों वह राशि भू-राजस्व की बकाया है।

धारा 85-क. केन्द्रीय सरकार के अधिकारों के लिये व्यावृत्ति - इस अधिनियम की कोई बात किसी राज्य सरकार को उस राज्य के बाहर की सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई आदेश देने या कोई कार्य करने के लिये सम्पृक्त सरकार की सम्मति के बिना केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्य सरकार के किन्हीं अधिकारों पर अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये प्राधिकृत नहीं करेगी।

यह धारा राष्ट्रपति के एडोप्टेशन आर्डर, 1950 (Adopation Order, 1950) द्वारा प्रतिस्थापित

धारा 86. निरसन

टिप्पणी - इस धारा के अन्तर्गत अनुसूची में बनाये गये विधानों का निरसन बतलाया गया है तथा यह धारा निरसन संशोधन अधिनियम, 1984 (विधान क्र 2, वर्ष 1984) की धारा 2 के अन्तर्गत बनाई गई अनुसूची के साथ निरस्त कर दी गई है।

मध्यप्रदेश वन सुरक्षा पारितोषित नियम 2004

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना :

(1) ये नियम वन सुरक्षा पारितोषित नियम 2004 कहलावेंगे।

(2) ये पूरे मध्य प्रदेश राज्य में लागू होंगे।

[1](3) ये नियम, इनके म.प्र. राज्य पत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा आपेक्षित न हो :

(a) अधिनियम से तात्पर्य भारतीय वन अधिनियम 1927 (XVI वर्ष है 1927)

(b) 'वन संरक्षक' से तात्पर्य वह अधिकारी फोरेस्ट सरकर का प्रभारी अधिकारी हो या राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य अधिकारी जो उसके समकक्ष घोषित किया गया हो।

(c) वन मण्डलाधिकारी से तात्पर्य वह अधिकारी है जो वनमण्डल के प्रभार में हो।

(d) 'अन्य वस्तु' से तात्पर्य वाहन, औजार, पशु, हथियार, टूल्स आदि है जो वन अपराध कारित करने में उपयोग में लाये गये हो।

इन नियमों में जो शब्द तथा अभिव्यक्ति प्रयोग में लाई गई है लेकिन उनको परिभाषित नहीं किया है, उसका वही अर्थ होगा जो उसके लिये अधिनियम में दिया गया हो।

3. पारितोषिक :

(1) वन अपराध में लिप्त अपराधी को, न्यायालय द्वारा दोषिसिद्ध किये जाने पर, या वन अधिकारी द्वारा प्रशमन करने पर, वन मण्डलाधिकारी उस व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्होंने वन अपराध का पता लगाने, या अपराधी को पकड़ने या अपराधी को दोषसिद्ध कराने या वन उपज तथा अन्य वस्तु राजसात करने में असामान्य, सहायता की हो तथा राजसात की वस्तु का मूल्य रु. 25000/- के आसपास या अधिक हो, तो वन मण्डलाधिाकरी उसको पारितोषिक दे सकता है। पारितोषिक की राशि प्रकरण में प्राप्त क्षतिपूर्ति से अधिक नहीं होगी।

(2) पारितोषिक की राशि रु. 10,000/- या अधिक हो तो वन संरक्षक की पूर्व अनुमति ली जावेगी।

(3) पारितोषिक वन विभाग में उपवन मण्डलाधिकारी तथा पुलिस में उपजिला अधीक्षक से उच्च अधिकारी को देय नहीं है।

(4) स्वीकृति अधिकारी : पारितोषिक की राशि वन मण्डलाधिकारी स्वीकृत कर सकते है।

(5) पारितोषिक की राशि की वसूली यदि पुरस्कार देने के पश्चात् अपराधी अपील में दोषमुक्त हो जाता है तो पुरस्कार की राशि की वसूली नहीं होगी। जब तक प्रकरण में कोई धोखाधड़ी न की गई हो।

(6) पारितोषिक गोपनीय होगा तथा वन विभाग की 'गुप्त निधि' से स्वीकृत किया जावेगा। तथा सूचना दाता का नाम गुप्त रखा जावेगा। उसका न्यायालय में परीक्षण नहीं होगा वन मण्डलाधिकारी कान्टिन्जेट मद से यह राशि भुगतान कर सकते हैं।

(7) इन नियमों के लागू होने पर इससे सम्बन्धित, इस विषय के पूर्व के समस्त नियम समाप्त हो जावेंगे, लेकिन इन समाप्त नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को इन नियमों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही माना जावेगा।

अधि. क्र. 25.10.2004-X-3 दिनांक 5 अगस्त 2005

परितोषिक नियम (3) का प्रावधान वन प्राणियों का शिकार या ऐसी वनोपज जिसका मूल्य निर्धारण करना संभव न हो पर लागू नहीं होगा।

---

1. ये नियम म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 30.10.04 के पृष्ठ 998 पर प्रकाशित।